छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 08, शक सम्वत् 1940)

[अंक 19]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 8, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ0चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, आज तो एकदम ग्रीन-ग्रीन में है। पूरा सब एवरग्रीन है । बहुत अच्छा लग रहा है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आज धर्मजीत भैया रहेंगे। आज सदन में भाभी जी बैठी हैं।

श्री अमरजीत भगत :- और कोई जींस और कोई एकदम आज गेटअप में आज धर्मजीत जी भी हैं।

अध्यक्ष महोदय:- अनूप नाग।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, कल मुझे स्वाइन फ्लू लगाने का एक स्लीप मिला। मैंने कहा कि स्वाइन फ्लू लगाकर अगर बच भी जाउंगा। अगर मेरी पत्नी को स्वाइन फ्लू हो जायेगा तो क्या होगा ? मैं बोला कि अगर जीना है तो साथ में, मरना है तो साथ में, स्वाइन फ्लू का इंजेक्शन लगवा नहीं लेते।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक सीट और दिलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- सेवनलाल जी।

श्री अनूप नाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय:- कहां हो अनूप नाग।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कांकेर जिले के अंतागढ़ से कोयलीबेड़ा एवं आमाबेड़ा मार्ग की स्वीकृति एवं लागत राशि

1. (*क्र. 1618) श्री अनूप नाग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर के अंतागढ़ से कोयलीबेड़ा तथा अंतागढ़ से आमाबेड़ा निर्माणाधीन मार्ग की स्वीकृति कब तथा कितनी लागत की दी गई एवं कार्यादेश किस व्यक्ति/फर्म को दिया गया ? कार्य की पूर्णतावधि क्या थी ? (ख) क्या उक्त कार्य की लागत में वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो कब-कब तथा कितनी-कितनी एवं कार्य कब तक पूर्ण होना है ? (ग) निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने हेतु संबंधित एजेंसी के ऊपर क्या कार्य कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क), (ख) एवं (ग) जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

अध्यक्ष महोदय :- बोलिए-बोलिए।

श्री अनूप नाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो आ गया है परंतु मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि तीनों मार्गों पर वर्ष 2010 से स्वीकृत है और कार्य 2011-12 में पूर्ण होना था। उसमें दो मार्ग कार्य पूर्ण हो गये हैं। नहीं होने के क्या कारण हैं? दूसरा आपने परिशिष्ट में बताया है कि दो मार्ग अंतागढ़ से बेड़मा तथा कलगांव से कोयलीबेड़ा मार्ग के अनुबंध समाप्त होने की कार्यवाही प्रचलन में है। इसके क्या कारण हैं ? तथा कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरूद्ध आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? कृपया बतायें। तीसरा अंतागढ़ से बेड़मा मार्ग की फर्म...। जी।

अध्यक्ष महोदय:- पहले एक ही प्रश्न पूछ लो। उसको अ, ब कर लो फिर तीसरा पूछ लेना।

श्री अनूप नाग :- दो और तीन का बतायें फिर दो छोटे-छोटे और हैं। नया अवसर है इसलिए कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय:- हां, चलिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय नेता जी, आज अकेले। (श्री धरमलाल कौशिक की ओर इशारा करते हुए) हंसी।

श्री मोहन मरकाम :- क्या बात है अध्यक्ष जी, उनको अकेले छोड़कर चले गये।

श्री धरमलाल कौशिक :- अजय चन्द्राकर हैं न।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कोई नहीं दिख रहा है।

[1] † परिशिष्ट "एक"

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता जी, वैसे अकेले ही लड़ना है। हम लोग आपकी क्षमता को जानते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- ऐसा है कि अभी तो अकेले पर्याप्त हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा खाली पड़ा हुआ है (सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपकी क्षमता हम जानते हैं। नहीं-नहीं हैं न ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता जी, अच्छे-अच्छे सूरमा लगे थे। आपने लोगों को धोबी पछाड़ दिया। (हंसी)

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने विलंब का कारण पूछा है। मूल रूप से यह जो सड़क निर्माण हो रहा है। विलंब का कारण यह है कि यह पूर्णतया नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। सुरक्षा बल के बिना वहां सड़क बनाया जाना संभव नहीं है। सुरक्षा बल रहते हैं तो वहां सड़क का काम चलते रहता है। कभी-कभी नक्सली गतिविधियों के चलते सुरक्षा बल को दूसरी तरफ मूवमेंट के लिए भेजा जाता है तो काम रूक जाता है। प्रारंभ में पर्याप्त संख्या में कैम्प स्थापित नहीं होना भी कारण रहा रहा। लगातार सुरक्षा उपलब्ध नहीं होना भी एक कारण रहा और सुरक्षा बलों की उपस्थिति में कार्य केवल 4-5 घंटे हो पाता है क्योंकि 24 घंटे सुरक्षा मुहैय्या करना संभव नहीं होता और ठेकेदारों की मशीनरी नक्सलियों के द्वारा जला दिया जाता है, उसमें भी विलंब हो जाता है और पर्याप्त मशीनरी लेबर की व्यवस्था नक्सली मूवमेंट के कारण नहीं हो पाता और निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वाहन जो किराये में लेना है, वे भी डर के मारे नहीं जाते। ये कुछ कारण हैं, जिसके कारण विलंब हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- नाग जी।

श्री अनूप नाग :- मंत्री महोदय जी, आपने बताया कि दो मार्ग अंतागढ़ से बेड़मा तथा कलगांव से कोयलीबेड़ा नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कार्य अभी ठप सा है परंतु 10 वर्ष होने जा रहा है और वहां पर्याप्त कैम्प भी लगे हुए हैं। ठेकेदार छोड़कर भाग गये हैं। उनका न कोई कर्मचारी है और न ही मशीनरी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो और कार्य प्रारंभ किया जाए। ये मेरे क्षेत्र के बड़े महत्वपूर्ण मार्ग हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की चिंता से वाकिफ हूं और ठेकेदार का जो नक्सली मूवमेंट के कारण विलंब होना, ठेकेदार का समय में उपलब्ध नहीं करा लेना सामग्री या अन्यान उसके कारण, परन्तु विभाग द्वारा इस पर चिंता जाहिर करते हुए दोनों सड़कों के लिए जनवरी, 2018 में नोटिस दिया गया कि या तो आप काम पूरा करो या तो हम लोग टेण्डर कैंसल करें। तो ठेकेदार ने एक आवेदन दिया कि कुछ समय और दिया जाए। तो मार्च, 2019 तक उनको समय

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया गया है। हम लोग उनको सड़क दिखाये हैं। मुझे लगता है कि जून तक पूरा हो जायेगा। अगर पूरा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। उसमें और विलम्ब नहीं करेंगे।

श्री अनूप नाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नये टेण्डर जारी होंगे क्या ? यदि होंगे तो कब तक ? हम क्या उम्मीद रखें, ये रोड कब तक बन जायेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मार्च तक समय दिया गया है। लेकिन अभी कार्य चल रहा है। हम लोगों ने अधिकारी भेजकर दिखवाया है। यदि वह मार्च तक नहीं करेगा तो हम सिर्फ जून तक इंतजार करेंगे। यदि वह जून माह तक नहीं कर पाया तो निरस्त करेंगे। नया टेण्डर करेंगे और शेष बचा हुआ सड़क है, बहुत कम कांक्रीट सड़क बचा है। उसको तत्काल पूरा करने को कहेंगे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बिना 6 प्रतिशत पेनाल्टी के पिछले 7 सालों से काम दे रहे हैं। क्या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आपके पीछे से प्रश्न आ रहा है। कुलदीप जुनेजा प्रश्न कर रहे हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- क्या चीज ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न दोहरा दीजिये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय मंत्री जी, पिछले 7 सालों से बगैर 6 प्रतिशत पेनाल्टी के काम दिए जा रहे हैं। क्या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है, ऐसा आयेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे।

<u>महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक के प्राप्त आवेदन</u>

2. (*क्र. 1418) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुंद में वर्ष 2016-17 एवं दिसंबर, 2018 तक पुलिस अधीक्षक महासमुन्द को कितने आवेदन प्राप्त हुये ? कितने आवेदनों को जांच हेतु थानों में भेजा गया? वर्ष एवं थाना अनुसार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" में आवेदन के जांच पश्चात् कितने आवेदनों पर अपराध पंजीबद्घ किये गये ? कितने आवेदन प्रश्नावधि तक जांच हेतु लंबित हैं ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) वर्षवार थानावार/अनुविभागवार जानकारी परिशिष्ट पर ††[2] संलग्न परिशिष्ट है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में आवेदन के जॉच पश्चात् 175 आवेदनों पर अपराध पंजीबद्घ किये गयें हैं एवं 34 आवेदन प्रश्नावधि तक जॉच हेतु लंबित है.

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब आ गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मानीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि महासमुन्द जिले में एस0डी0ओ0 (पी0) कार्यालय और एस0पी0 कार्यालय में 4,781 आवेदन सन् 2016 से 2018 के बीच में आये हैं। जिसमें 175 आवेदनों में अपराध पंजीबद्ध हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फरियादी थाना परिसर में जा रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है तभी फरियादी बड़े कार्यालयों में जा रहे हैं। आप सक्षम और विद्वान मंत्री हैं। आपके कार्यकाल में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कृपया इसका ध्यान रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बस इतना ही कहना है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य जी ने जो पूछा है उसकी जानकारी वर्षवार थाने की संख्या समेत दे दिया हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- वे संतुष्ट हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- एस0पी0 को जो आवेदन प्राप्त हुए, सभी थानों को भेजा गया है। पूरी जानकारी दे दी गई है कि कितने में अपराध पंजीबद्ध किया गया, कितने में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। जो हस्तक्षेप योग्य नहीं था, उसे न्यायालय में जाने का जो आदेश करते हैं, हमारा पुलिस विभाग का पैमाइसी नालिश नियम है, वह हम लोगों ने कहा है। लंबित प्रकरणों की भी जानकारी दी है। अगर कोई विशेष प्रकरण है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा है तो बता दें। मैं निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई कराने का उनको आश्वस्त करता हूँ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महासमुन्द में बहुत सारे प्रकरण हैं, जो अभी लंबित हैं। उसमें अतिशीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अतिशीघ्र, अध्यक्ष जी।

††[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन एवं संचालित योजनाएं

3. (*क्र. 788) डॉ. विनय जायसवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन कब किया गया ? (ख) अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के तहत कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन 05 सितंबर 2008 को किया गया. (ख) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत 27 योजनाएं संचालित है. योजनाओं की जानकारी ‡[3] संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

डॉ0 विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ में सनिर्माण कर्मकार मण्डल का गठन कब हुआ है और इसमें जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उसमें कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? इसमें मंत्री जी का उत्तर आ गया है कि 27 योजनाएं संचालित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा पूरक प्रश्न यह था कि पिछली सरकार में सनिर्माण कर्मकार मण्डल के द्वारा श्रमिकों को जो जूते का वितरण है, वह जो 27 योजनाएं संचालित हैं, वह किस योजना के तहत श्रमिकों को जूते का वितरण किया गया है ? जो जूते का वितरण किया गया, उसका आधार क्या था ? उसकी क्वालिटी क्या आई0एस0आई0 मार्क या लेदर कव्हर शूज, उसकी क्वालिटी के लिए इसमें किन मापदण्डों का पालन किया गया और जिस एजेंसी को जूता खरीदी के लिए निर्धारित किया गया, उसको क्वालिटी के लिए इसमें सम्मिलित किया गया कि नहीं किया गया ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सुरक्षा उपकरण योजना है, मैंने माननीय सदस्य को पूरा बता दिया था कि 27 योजनाएं संचालित है, उसमें सुरक्षा उपकरण योजना है, जिसमें मजदूर जहां खतरनाक काम करते हैं, वहां जूते की जरूरत पड़ती है तो उसके तहत उनको जूता उपलब्ध कराया जाता है और ये आई.एस.आई. प्रमाणित होते हैं । जो जेम पोर्टल है, उसके माध्यम से टेण्डर मंगाया जाकर उनको स्वीकृत किया गया था और आई.एस.आई. प्रमाणित है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जी से आग्रह है कि जो पिछली बार जूतों का वितरण किया गया है, वह बहुत ही गुणवत्ताविहीन जूतों का वितरण है और उसमें किसी भी मापदण्ड का पालन नहीं हुआ है और बड़े स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जूते का जो वितरण हुआ है, उसकी जांच कराएंगे क्या?

---

‡[3] परिशिष्ट “तीन”

अतारांकित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो निश्चित रूप से मैं दिखवा लूंगा ।

प्रश्न संख्या-4 XX XX

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत श्रमिक जोड़ों को प्रोत्साहन राशि का प्रदाय

5. (*क्र.1576) श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विगत वर्ष में विवाह उपरांत कितने श्रमिक जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है.

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत वर्ष, 2018 में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की मिनीमाता कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 543 हितग्राहियों को 1,07,35,000/- रुपये सहायता राशि प्रदाय की गई है.

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला है, पर उसमें एक पूरक प्रश्न है । माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिक परिवार को शादी में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का क्राईटेरिया कैसे निर्धारण किया जाता है तथा सामग्री की क्वालिटी और क्वांटिटी का मापदण्ड कैसे तय किया जाता है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विवाह योजना के बारे में प्रश्न किया है, उसमें पात्रता है कि पंजीकृत निर्माण महिला हितग्राही के स्वयं का विवाह या हितग्राही के धर्मज या हितग्राही द्वारा अधिमान्य गोद लिया हुआ या हितग्राही की सौतेली पुत्री अथवा प्रथम दो पुत्रियों की सीमा तक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, 2 हितग्राही द्वारा शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ न लिया हो, उसको मिनी माता कन्या विवाह योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। इसमें उनसे शपथ-पत्र आवश्यक दस्तावेज जरूरी है, उसमें शपथ-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र जिसमें कन्या की आयु 18 वर्ष से कम न हो और एक विवाह प्रमाण-पत्र, शादी का कार्ड जो वे लोग छपवाते हैं, वह शादी का कार्ड और फोटो । उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आवेदन अस्वीकृत हो जाता है ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी और क्वांटिटी का मापदण्ड कैसे तय किये जाते हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किस चीज की क्वांटिटी ? शादी का ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें दी जाने वाली सामग्री की क्वांटिटी और क्वालिटी कैसे तय करते हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो सामग्री के संबंध में पूछा ही नहीं गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें सामग्री का है ही नहीं । शिवरतन शर्मा जी ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित एक पूरक प्रश्न है । माननीय मंत्री जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि श्रमिकों को मिलने वाली जो साईकिल है...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें साईकिल का नहीं पूछे हो, विवाह के बारे में पूछे हो ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित मेरा प्रश्न लगा है । जो साईकिल वितरण करना था, वह ट्रेक्टर और पिक-अप में रखी गई है, वह पिछली सरकार के समय का है । ये आपके संज्ञान में ला रहा हूं । पूरी साईकिल ट्रेक्टर में रखे-रखे चोरी हो गई, चोरी कर ली गई । श्रमिकों को साईकिल नहीं मिल पाया और आज मार्केट में वह साईकिल 3 हजार रूपये में बिक रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसका अलग से लिखकर दे दीजिए, मंत्री जी जांच करा लेंगे ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित है । मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ला रहा हूं, उत्तर नहीं मांग रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- विवाह में दहेज में साईकिल देने का प्रावधान था ?

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, श्रमिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सहायता राशि का प्रश्न है इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसको दिखवाकर जांच कराने की कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आवेदन मिलेगा तो आप जांच करा लीजिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिखवा लूंगा ।

<u>बलौदाबाजार भाटापारा डीवीजन में विभिन्न कार्य हेतु जारी प्रशासकीय स्वीकृति</u>

6. (*क्र. 1518) श्री शिवरतन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2018-19 में बलौदाबजार भाटापारा डीविजन में किन-किन मदों में कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है ? (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य प्रारंभ हुये तथा कितने अप्रारंभ होने शेष है ? कार्य प्रारंभ नहीं करने के क्या कारण हैं ?

अशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दी गयी है.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि 2018-19 में बलौदा बाजार भाटापारा डीविजन में किन-किन मदों में कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है ? कितने कार्य प्रारंभ हुये तथा कितने कार्य प्रारंभ नहीं हुए ? माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी है कि 44 कार्य प्रारंभ हुए और 61 कार्य अप्रारंभ हैं । मंत्री जी ने जवाब में लिखा है कि 27 काम ऐसे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि निविदा कार्यवाही वित्त निर्देश 57/2018 के अनुसार वित्त विभाग से सहमति की कार्यवाही प्रचलन में है । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार विभाग ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी, कभी कहीं ऐसा निर्णय नहीं हुआ, एक बार विभागीय प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के बाद विभाग से दोबारा अनुमति की आवश्यकता पड़ी । प्रशासकीय स्वीकृति तभी जारी करते हो, जब आपको वित्त विभाग से सहमति प्राप्त हो जाती है । वित्त विभाग से आपको दोबारा सहमति लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है । एक कारण यह बता दीजिए, दूसरा आप 27 काम प्रचलन में बता रहे हैं, इसकी सहमति कब तक प्राप्त हो जायेगी और कब तक चालू करा देंगे, यह बता देंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है कि दोबारा वित्त से स्वीकृति की आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार बदली, कितना पैसा हमारे पास है, किन-किन मदों में आवश्यक खर्च किया जाना है, इन बातों को देखा जाना होता है, इसलिए कार्यों में रोक लगाया गया है । वर्तमान में जो कार्य शुरू नहीं हुये हैं, उसको रोक दिया जाये । ताकि पूरी वित्तीय स्थिति की जानकारी हो जाये, वित्तीय स्थिति की जानकारी के बाद क्रमश: उनको प्रारंभ करें, सिर्फ इसलिए रोका गया, दोबारा माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि 27 कार्य की बात, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि यह जो अप्रारंभ 38 कार्य थे, वित्त विभाग से सहमति मिल चुकी है, 11 के लिए सहमति मिल गई, 15-2-2019 को हमने सहमति ले ली, 27 कार्य के लिए 23-2-2019 को सहमति ले लिये हैं ।

अध्यक्षस महोदय :- धन्यवाद दे दीजिए ना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- धन्यवाद दूंगा, पहले पूरक प्रश्न कर लें, उसके बाद । माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पूर्व की सरकार ने कार्यादेश जारी कर दिया । प्रशासकीय स्वीकृति दी । हमको अपनी आर्थिक स्थिति देखना था कि काम की क्या स्थिति है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पूर्ववर्ती सरकार ने यह जो प्रशासकीय स्वीकृति दी, अपने को आबंटित बजट से बाहर जाकर क्या स्वीकृति दी थी, जिसके चलते आपको दोबारा इसके परीक्षण की आवश्यकता पड़ी ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में जो प्रावधान किया जाता है, वह राशि रहता है और खर्चे क्रमश: होते जाते हैं, जब सरकार बदली है तो जानकारी लेना सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारे पास कितना पैसा है,किस--किस मद में आवश्यक है । पहले किसको खर्च करें, किसको बाद में, सिर्फ यह कारण है, अध्यक्ष जी । दूसरा नहीं है । अगर पूर्व सरकार या वर्तमान की बात होती तो अनुमति ही नहीं लेते अध्यक्ष जी, अनुमति जब मैं बता रहा हूँ कि पूर्व सरकार के द्वारा स्वीकृत काम ही है, जिसमें 38 के लिए वित्त से सहमति मिल चुकी है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, पहला तो आपने पूरी सहमति दे दी, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यह पी.डब्लू.डी. विभाग की बात नहीं है, प्रदेश के सारे विभागों में खाली राजनीतिक दुर्भावना के चलते सारे कार्य रोके जा रहे हैं, किसी भी विभाग ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है, उनका जो बजट आबंटन था, उस बजट आबंटन के अंदर स्वीकृति जारी की है । खाली राजनीतिक भेदभाव के चलते, खाली पी.डब्लू.डी. नहीं, सारे विभाग में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है ।

श्री अमरजीत भगत :- राजनीतिक भेदभाव तो आप लोग करते थे । हम लोग बजट में सम्मिलित होने के बाद भी उसमें प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होता था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी जवाब देने में सक्षम है । आपको सरकार ने जवाब देने के लायक नहीं समझा है ।

श्री अमरजीत भगत :- ठीक है, जवाब देने के लायक नहीं समझा है । वह बात छोड़िये, लेकिन आप राजनैतिक द्वेष से बात कर रहे हैं । राजनीतिक भेदभाव तो आप लोग करते थे । बजट में होने के बाद भी उसमें प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होता था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीगण अक्षम है तो यह बता दीजिए । हर बार प्रश्नकाल में चार लोग हल्ला करे और मंत्री जी की उपस्थिति में ....।

श्री धरमलाल कौशिक :- उनको उत्तर देने के लिए सहयोगी बना दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनको बाजू में बिठा दीजिए । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोग विधानसभा में चर्चा के लिए आते हैं..। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- जब भी प्रश्न करते हैं, चार लोग... (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- इसीलिए आपको मंत्री नहीं बनाया गया है ।

श्री अमरजीत भगत :- बने या नहीं बने, वह बाद की बात है । हमारी सरकार है, हमसंतुष्ट हैं । लेकिन आप भी कौन सा मंत्री बन गये थे । आप बन पाये क्या ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- सारे मंत्री है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- एक बयान आया था कि जिस क्षेत्र में विधायक नहीं है, उस क्षेत्र में शेडो विधायक बनाये जायेंगे तो यहां भी एक मंत्री के सहयोगी के रूप में शेडो मंत्री बना दीजिए। उनका अहं भी संतुष्ट हो जायेगा और मंत्री को मदद भी मिल जायेगी।

श्री भीमा मंडावी :- अमरजीत भैय्या, आप शेडो मंत्री हैं क्या?

अध्यक्ष महोदय :- अनावश्यक हस्तक्षेप न करें, प्रश्नकाल का समय वैसे ही कम रहता है।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी को बतायें क्योंकि हर बात में खड़े हो जाते हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने कहा था कि पूरक प्रश्न कर लूं फिर धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद दिये नहीं है, पहले धन्यवाद देने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आपने सहमति दी है उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद ज्ञापित किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमरजीत भगत जी को भी दे दीजिए। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पर सवाल यह है कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के सचिव वही, वित्त विभाग के सचिव वही, दोनों ने मिलकर सहमति जारी की, नई सरकार बनने के बाद अधिकारियों में परिवर्तन तो हुआ नहीं फिर आपको समीक्षा की क्यों जरूरत पड़ गई? अधिकारी बदल जाते तो आप समीक्षा करते तो समझ में आता।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, जनता परिवर्तन चाहती थी, जनता ने परिवर्तन कर दिया है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो आपको सहमति मिल गई क्योंकि वित्त विभाग का प्रमुख सचिव और पी.डब्ल्यू.डी. का प्रमुख सचिव एक ही हैं इसलिए आपको अनुमति मिल गई।

प्रश्न संख्या : 7 XX XX

<u>जांजगीर चांपा जिले में टी.आई. एस.आई, एएसआई. एवं आरक्षक के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पद</u>

8. (*क्र. 1073) श्रीमती इन्दू बंजारे:- क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में कितने टीआई. एसआई. एएसआई. एवं आरक्षक के कितने पद स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त हैं? थानेवार जानकारी देवें?

अप्रशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू):- जांजगीर-चांपा जिले में टीआई/एसआई/एएसआई एवं आरक्षक के स्वीकृत/उपलब्ध/रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :—

संवर्ग	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
निरीक्षक	23	23	00
उप निरीक्षक	55	39	16
सहा. उप निरीक्षक	86	77	09
आरक्षक	845	804	41

02. जिला जांजगीर के थानों में टीआई/एसआई/एएसआई एवं आरक्षक के स्वीकृत/उपलब्ध/रिक्त पदों की थानेवार जानकारी परिशिष्ट पर ††[4] संलग्न है.

श्रीमती इन्दू बंजारे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि जांजगीर जिले में कितने टी.आई., एस.आई., ए.एस.आई., एवं आरक्षक के कितने पद स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त हैं? मुझे इनकी जानकारी मिल गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहती हूं कि जो पद रिक्त हैं उनको कब तक भरेंगे?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यथाशीघ्र।

<u>दुर्ग जिले के रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों द्वारा कम्पनी एक्ट उल्लंघन की प्राप्त शिकायतें</u>

9. (*क्र.1540) श्री देवेन्द्र यादव: क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से जनवरी, 2019 तक दुर्ग जिले के रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित किन-किन उद्योगों द्वारा फैक्ट्री एक्ट 1956 का उल्लंघन करने की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं? (ख) इन शिकायतों के निराकरण हेतु शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रश्नांकित अवधि में दुर्ग जिले के रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सोना बेवरेज प्रा. लिमिटेड रसमड़ा तथा रायपुर पावर एंड स्टील लिमि. रसमड़ा में कारखाना अधिनियम, 1948 के उल्लंघन करने की शिकायतें प्राप्त हुई है. (ख) इन शिकायतों के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही का विवरण †[5] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

---

[4] परिशिष्ट "छः"

[5] परिशिष्ट "सात"

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री देवेन्द्र यादव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल किया था उसमें क्लेरिकल मिस्टेक के कारण कंपनीज एक्ट 1956 की जगह फैक्ट्रीज एक्ट 1956 लिखा गया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सम्माननीय विभाग के सम्माननीय अधिकारीगणों ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत जवाब दिया और जो जानकारी दी वह भी अधूरी दी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो जानकारी दी गई है, जिसमें रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सोना बेवरेज प्राईवेट लिमिटेड रसमड़ा तथा रायपुर पॉवर एंड स्टील लिमिटेड रसमड़ा का कारखाना अधिनियम 1948 के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। क्या ये जानकारी संपूर्ण है या यह अधूरी जानकारी है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र में दो जगह की शिकायतें प्राप्त हुईं थीं, एक तो भीमराव बागड़े जी ने शिकायत की थी, सोना ब्रेवरेज प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर-2 में, इसमें शिकायत का विवरण था कि सुरक्षा के उपकरण दिलाये जाने तथा दुर्घटना के शिकार मजदूरों को मुआवजा दिलाये जाने व निश्चित समय सीमा में वेतन भुगतान एवं वेतन पर्ची दिलाये जाने बाबत्। इसमें 28-07-2015 को जांच की गई थी, कारखाना अधिनियम की धारा 88, नियम 108, कारखाने में घटित दुर्घटना की सूचना दिये जाने एवं धारा 41 नियम 73 श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किये जाने के संबंध में उल्लंघन पाया गया था, उल्लंघन पाये जाने के बाद उसमें उनको नोटिश दिया गया और उनको कारखाना अधिनियम के अधिभोगी, कारखाना प्रबंधक को कार्यालय से नोटिश क्रमांक 2034, 2035, दिनांक 30.07.2015 को जारी किया गया था। 18.8.2015 को अभियोजन संबंधी कार्यवाही की गई है, प्रकरण श्रम न्यायालय में दायर किया गया था जिसमें 23-11-2015 को श्रम न्यायालय द्वारा संबंधित संस्थान को 30 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया था।

श्री देवेन्द्र यादव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो क्लेरिकल मिस्टेक के बारे में बताया था उसके तहत फैक्ट्रीज एक्ट मेन्टेन वर्क एनवायरनमेंट कंपनसेसन एंड रिलेटेड इम्पलाईज एंड हिस वर्क एनवॉयरॉनमेंट, कंपनीज एक्ट इज ओनली रिलेटेड मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट रूल्स. कंपनीज एक्ट के उल्लंघन के और मामले और साथ ही साथ कारखाना अधिनियम 1948 के और मामले जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं वह इस प्रकार है :-दिनांक 26-08-2016 से लगातार श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, प्रधानमंत्री कार्यालय तक निराकरण हेतु शिकायत की गई। जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वहां और वहां के जो कर्मचारी हैं उनका विवाद लगातार चल रहा है और दिनांक 25-11-2017 को उप श्रमायुक्त द्वारा उनकी बैठक भी करवाई गई थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इस जानकारी को देना उचित नहीं समझा। क्या माननीय मंत्री जी इस पर संलिप्त और जो कूटरचना की गई है। सदन के सामने जानकारी छिपाने की कोशिश की गई है, क्या आप उन अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनी एक्ट श्रम विभाग में नहीं आता है। श्रम का अलग कानून है, अलग नियम है। कंपनी एक्ट हमारे श्रम विभाग में नहीं आता है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल भी पूरा नहीं हुआ है और मैं जवाब से भी संतुष्ट नहीं हूं। इस पर जो जानकारी मिली है मैं उसी आधार पर चर्चा कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो जानकारी पूरी नहीं दी गई है। जय बालाजी में स्थानीय छत्तीसगढ़वासियों को 600 लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, वह प्रकरण अभी तक लंबित है। क्या उस पर उचित कार्यवाही करेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जय बालाजी कंपनी का विवाद फैक्ट्री एक्ट से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न में उद्भूत ही नहीं होता है। हमारे यहां कंपनी एक्ट ही नहीं होता है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी कंपनी में जहां पर दस से ज्यादा लेबर्स काम करते हैं और वहां पर मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। वह कंपनी एक्ट के अंतर्गत आता है। इस पर साफ साफ जवाब मिला है उसमें साफ लिखा है कि कारखाना अधिनियम 1948 की उल्लंघन करने की शिकायतें प्राप्त है। ये दो ही दिन का विवरण लिखा है जबकि इसके अलावा जो जय बालाजी का विषय है उसकी मेरी पास संपूर्ण कागज है।

अध्यक्ष महोदय :- वह दूसरे एक्ट में आता है, आप दूसरे एक्ट की बात कर रहे हैं। आपने लिपिकीय त्रुटि की है, आपसे हुई है, प्रश्न पूछने में हुई है, विभाग से हुई है, मंत्री से हुई है, कुछ तो बताओ कहां त्रुटि हुई है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, शुरू से स्वीकार कर लिये हैं कि टंकण त्रुटि हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- टंकण त्रुटि हुई है तो कहां से हुई है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कारखाना अधिनियम 1948 का जो जवाब आया है, वह जवाब भी संपूर्ण नहीं आया है। कारखाना अधिनियम 1948 का उल्लंघन लगातार जय बालाजी प्राईवेट लिमिटेड कर रही है और उनकी शिकायतें उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सभी जगहें हुई है। उस पर कार्यवाही की प्रक्रिया आगे भी चल रही है। सी.एल.सी लेवल पर उसकी बैठकें हुई हैं लेकिन अभी तक उस पर पूर्व सरकार का ध्यान आकर्षण नहीं हुआ, पूर्व सरकार ने ध्यान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी 600 लोगों को उनकी नाकरियों से निकाला जा रहा है। उस प्रश्न को इस पर गायब किया गया है। उस विषय को गायब किया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं दी, उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी ? वहां पर जिनके अधिकारों का हनन किया गया, क्या उनके लिये उचित प्रावधान करके सरकार जय बालाजी से चर्चा करेगी ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न आपके लिये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आप उसको विस्तृत रूप से लिखकर, जानकारी देकर, जो संबंधित मंत्री हैं उनके पास जाईये। कक्ष में बैठिये, समझिये उसके बाद जब अगले विधानसभा रहेगा तब प्रश्न कीजिये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, श्री धर्मजीत भैया पिछले चार पांच मिनट से खड़े थे। भाभी जी आई हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहे थे, लगता है।

धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हमारी तकलीफ को आप नहीं समझ रहे हो। पिछली बार हमारा एक ध्यानाकर्षण इसी चक्कर में सब चला गया था। वो बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। अध्यक्ष जी, इसलिए हम पहले खड़े हो गये। ये नहीं बोल सकेंगे कि हम नहीं पूछ रहे थे।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, समय से पहले खड़ा हो के इंतजार कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- आज उनको फ्री कर दीजिये, आज उनको मुक्त रखें।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, दबाव में रहते हैं।

धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, कोई दवाब नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, भाभी जी के ऊपर हमारे श्री धर्मजीत भैया का जो प्रभाव है न वह बहुत पहले से है। कहीं कोई दबाव नहीं है।

धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वैसा आप विवाद की स्थिति पैदा मत करो। वैसा प्रभाव नहीं है, मैं ही उनके प्रभाव में हूं। (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, आप भाभी जी के ही प्रभाव में ही है न।

धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हां। आपको भी रहना चाहिए और सभी को रहना पड़ता है। उसमें कहीं कोई बहादुरी दिखायेगा तो गलत बात है। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, तभी दबाव में रहते हैं।

<u>रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर नगर निगम को शुद्ध पेयजल एवं अधोसरंचना मद में स्वीकृत राशि</u>

10. (*क्र.1204) श्री धर्मजीत सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर-नगर निगम को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने एवं अधोसंरचना मद में कितनी राशि शासन स्तर से वर्ष 2014 से 31 दिसम्बर, 2018 की अवधि में दी गई ? (ख) कंडिका "क" के क्षेत्र में स्वीकृत मद से कितने कार्य कराए गए ?

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” †† संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” ††[6] संलग्न है.

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से बिलासपुर के, दुर्ग के, भिलाई के, रायपुर के, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिये आपकी योजनाओं में प्रदत्त राशि के बारे में पूछा हूं। सरकार के नियमों के मुताबिक रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी भी बनने वाली है। भिलाई और दुर्ग भी बहुत बड़ा जबर्दस्त शहर है। हाईकोर्ट ने संज्ञान दिया कि यहां पीने का पानी ठीक से नहीं मिल रहा है उसकी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ति करने के लिये सरकार को निर्देश दिया था, आपको नहीं। आपके पहले वाली सरकार को निर्देश दिया था। मेरे जवाब में आपने मिशन अमृत का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका नाम मिशन अमृत है या अमृत मिशन है ? क्योंकि मैं मिशन अमृत के बारे में पूछना चाहता हूँ। सरकारी जवाब में अमृत मिशन लिखा है। तो अब ये दोनों में कोई अलग-अलग योजना है या वही योजना है ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय भईया, सिंह धर्मजीत या धर्मजीत सिंह लिखिए। मतलब तो एक ही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि उस दिन धोखा हो गया। स्काय वॉक और स्काय। एक स्काय वॉक रायपुर शहर में समस्या बना हुआ है और एक स्काय स्किम पूरे प्रदेश के लिए समस्या बनी है। अंतर आ जाता है। चलिये कोई बात नहीं है मैं इसको सुधारने के लिए बोला था। क्योंकि आपके जवाब में अमृत मिशन लिखा है, ऐसी नाम की कोई योजना ही नहीं है ?

माननीय मंत्री जी अधोसंरचना के मद में नगर पालिक निगम रायपुर को आपने 19 हजार, 36 लाख, मिशन अमृत में शुद्ध पेयजल के लिए नगर पालिक निगम दुर्ग को 9800, 1 लाख और नगर पालिक निगम बिलासपुर को 17 हजार, 304 लाख कुल मिलाकर 46 हजार, 141 लाख रूपये दिया। मैं इसमें आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके ही परिशिष्ट **ब** में आपने जवाब में दिया है बिलासपुर में अमृत मिशन की राशि जारी होने के बाद भी बिलासपुर में एक भी काम नहीं किया गया है। तो आखिर ये पैसा कहां गया है ? बिलासपुर में ये काम क्यों नहीं किया गया है? और अगर किसी राशि का उपयोग किया गया है तो क्या-क्या काम किया गया है? क्योंकि बहुत बड़ी राशि है और वहां पर इस राशि को बंदरबांट करने और कागजों में बुकिंग करके पैसा खाने का काम कई वर्षों से चला है। जरा मुझे बहुत ही गंभीरता से बताईये कि परिशिष्ट **अ** के अनुसार इस मद में 6 हजार, 373 लाख रुपये दिये, पर परिशिष्ट **ब** में आपने बताया है उसमें बिलासपुर को एक भी काम एलाट क्यों नहीं हुआ ?

[6] † परिशिष्ट “आठ”

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन के तहत बिलासपुर में जो राशि स्वीकृत है। ये हमको 3755.52 लाख रुपये की राशि प्रदत्त है। इसके तहत काम अप्रैल 2020 तक पूर होगा। 27 किलोमीटर पाईप लाईन बिछायी गई है और वी.टी.पी. का भी काम चल रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी उसको लिखकर देना था, आपने तो अपने जवाब में एक भी काम का जिक्र नहीं किया है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैं आपको बता दिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय,हां। अब आप बता रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ये अधोसंचना के मद में 38 हजार, 18 काम स्वीकृत हुए हैं। ये अधोसंरचना का मतलब है पेयजल के लिए बिलासपुर में नाली बनाये हैं, सी.सी. रोड बनाये हैं और सब उल्टे सीधे काम किये हैं इन सब कामों की जांच जो अधोसंरचना में 3 हजार, 18 काम आपने कराये हैं इसकी स्थल पर जाकर जांच करायेंगे कि ये पेयजल के लिए था या और बेकार की बातों के लिए था ? कृपया करके बतायें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में अधोसंरचना मद में 5 कार्य स्वीकृत किये गये थे, पूर्ण संख्या 05 है। ये शुद्ध पेयजल के लिए ये अलग-अलग वर्षों का है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2012 से अभी तक का पूछा हूँ? ये कई सालों का है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कई सालों का है और विस्तृत है।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो चाहते हैं कि आप की जांच करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा एक बण्डल इनके लिए लाया हूँ, वह सब आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बण्डल-बण्डल लाया हूँ, ऐसा दिखाना।(व्यवधान) वे जो पूछेंगे, आपको वह बताना चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह बता रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं। वह आप बहुत अच्छा किये हैं? मुझे आपकी क्षमता पर कोई शंका नहीं है। मेरा आपके लिए कोई आरोप नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा बिलासपुर रायपुर में पीलिया डायरिया से लोग करते हैं। करोड़ो रुपये सरकार का जा रहा है। शुद्ध पीने का पानी भी नहीं है। आखिर वह पैसा कहां जाता है ? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ और ये आपके समय का भी नहीं है इसलिए आप नि:संकोच होकर जवाब दीजिए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, अभी मैं पूछूंगा कि इसकी जांच होगी या नहीं। वर्ष 2017-2018 में स्मार्ट सिटी रायपुर को 22,414 लाख स्वीकृत हुए, मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2017-2018 की बात कर रहा हूं, उसके अगेन्स्ट में आपने सिर्फ 2388 लाख दिया, सरकार से दुर्ग को 18,934 लाख स्वीकृत हुआ था, 1152 लाख रुपया दिया, बिलासपुर को 35,486 लाख मंजूर हुआ था, 2942 लाख दिया, अध्यक्ष जी, जो राशि स्वीकृत भी हुई है, उस राशि का सिर्फ 10 प्रतिशत ही इन तीनों बड़ें शहरों में पेयजल की आपूर्ति के लिए आपने भेजा है, उस 10 प्रतिशत में भी सी.सी. रोड, नाली, चबूतरा, और न जाने क्या-क्या बनाकर एक बूंद पानी किसी को नहीं मिल रहा है। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पाईपलाईनें नहीं बदली गई हैं। यह किस प्रकार का अमृत मिशन है, आप यह बताईये कि यह पैसा कम क्यों गया?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्मार्ट सिटी का प्रश्न नहीं है, आवश्यकतानुसार राशि दी जाती है, जैसा काम होता है, उस अनुरूप में जितना काम हो गया, उसका पेमेन्ट होता है, फिर दूसरे काम के लिए पेमेन्ट होता है। तो ये सिर्फ पेयजल का प्रश्न नहीं है, बाकी अधोसंरचना मद, अन्य का भी है। माननीय सदस्य जी की जो चिंता है, हम चाहते हैं कि पेयजल गुणवत्तापूर्ण मिले। पिछले समय हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया था कि नगर निगम में जो पेयजल आपूर्ति हो रही है, उसमें दिक्कत है, उसको ठीक किया जाये। माननीय सदस्य जी की चिंता मैं समझता हूं और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पेयजल की जो आपूर्ति होती है टंकियों के माध्मय से या पेयजल के लिए लाईनें बिछाई गई हैं, बहुत पुरानी लाईनें हैं। इसीलिए अमृत योजना के तहत हमने काम स्वीकृत किया है। सतही पेयजल खूंटाघाट से पाईपलाईन बिछाई जा रही है और उसका काम 2020 तक पूरा होने का है तो यह सब समस्यायें जो आप बोल रहे हैं, वह दूर हो जायेंगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020 तक आदमी जिंदा रहेगा तब तो आप पानी देंगे। वहां पानी टैंकर के माफिया लोग सक्रिय हैं, ये पैसा टैंकर माफियाओं के लिए जा रहा है। इस मद का नेता लोग नाली, चबूतरा, सी.सी.रोड बनवा रहे हैं। बताईये मैं इस सरकार से पहली बार सुन रहा हूं कि सी.सी. रोड, नाली बनने से पेयजल का संकट हल होगा। फिर आप करोड़ों रुपये मंजूर क्यों किये? जब वहां काम ही कम था तो ये 35000 लाख मंजूर करके 1000 दे रहे हैं, 1500 दे रहे हैं, आपके अधिकारियों और आपके सरकार के जिम्मेदार लोगों का यह कौन से प्रकार का आकलन है ? माननीय मंत्री जी पिछले 7-8 वर्षों में पेयजल के नाम पर, अमृत मिशन के नाम पर जितनी भी राशि गई है, वह निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया गया है या नहीं किया गया है ? जिस काम के लिए वह पैसा गया है, वह काम करके क्या दूसरा काम किया गया है, क्या इस सबकी आप जांच कराने की घोषणा करेंगे ? कम से कम पिछले 4 साल का कर दीजिए, ज्यादा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय :- 5 साल कर लीजिए। आप इसकी पूरी जांच करा लें।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- 5 साल का कर दीजिए। आप जांच करा लीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिखवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- 5 साल की पूरी जांच होगी, मैं निर्देश दे रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- जांच करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र श्यामनगर में पानी की टंकी बन गई है, लेकिन वहां पर पाईनलाईन नहीं बिछी है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उसका पैसा स्वीकृत करके काम करायें ताकि गर्मी में लोगों को सुविधा मिल जाये।

अध्यक्ष महोदय :- पहले अरूण वोरा जी प्रश्न कर लें, उसके बाद आप कर लीजियेगा।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दुर्ग नगर निगम में 60 वार्डों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 23 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन वहां पर जो काम दिखलाई देना चाहिए था, इन 4 वर्षों में कहीं नहीं दिखाई दिया। अधिकांश वार्डों में दूषित पेयजल आ रहा है। धर्मजीत भैया ने जो शिकायत की, मेरी भी शिकायत है कि दुर्ग में पीलिया जैसी गंभीर बीमारी फैल रही है और 2 साल पहले 20 लोगों की मौत हो गई।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी जांच की मांग कर लीजिए।

श्री अरूण वोरा :- जी, मैं भी जांच की मांग करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां जो फिल्टर प्लाण्ट है, वहां पर भारी अव्यवस्था है और क्लोरीन गैस का भी रिसाव हुआ था। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर बात है, कई लोग कालकलवित हो जाते, लेकिन उसका समय पर काम कर दिया गया। उसमें आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। दुर्ग नगर निगम में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत 5 टंकियों का निर्माण होना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या आज आपका प्रश्न बनकर नहीं आया है ? आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री अरूण वोरा :- मैं प्रश्न ही कर रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी कहां प्रश्न किये हैं ? प्रश्न बनकर नहीं आया है ।

श्री अरूण वोरा :- मैं यह प्रश्न कर रहा हूं कि 23 करोड़ । वे समझ गये । (हंसी) समझ गए न ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उनके बदले में भैया को दे दो, वे पूछ लेंगे ।

श्री अरूण वोरा :- क्या मेरे बदले आप प्रश्न करेंगे ? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप पूछिए ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- माननीय मंत्री जी, क्या आप उन कामों की जांच करायेंगे कि उसमें क्या-क्या काम हुए हैं और क्लोरिन गैस का जो रिसाव हुआ है उसमें जिनकी वजह से हुआ है क्या उनको दंडित करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- खड़े होकर कह दीजिये कि जांच करेंगे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है, वे उस क्षेत्र के विधायक हैं और पेयजल की दिक्कत हो रही है । कहीं पीलिया से दिक्कत हो रही है, यह पुराने समय का है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिये तो बोल रहा हूं कि क्या जांच करायेंगे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं दिखवा लूंगा ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय मंत्री जी, क्या जांच करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, दिखवाना और जांच कराने में अंतर है ।

श्री अरूण वोरा :- हां, दिखवाना और जांच कराने में फर्क है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब वे कौन सी चीज का जांच कराना है, एकाध स्पेसीफिक बतायें तो मैं बताउंगा ।

श्री अरूण वोरा :- मैं स्पेसीफिक भी बता रहा हूं न ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब उसमें तो कई हजार रूपये का कार्य है, किसकी-किसकी जांच कराऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप स्पेसीफिक लिखकर दे दीजिये, वे जांच करा लेंगे । माननीय जुनेजा जी ।

श्री अमरजीत भगत :- श्री धर्मजीत भैया, आपका प्रश्न एकदम हिट हुआ । भाभी जी खुश हो गईं । बधाई हो । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- धन्यवाद । पड़ोस में रहते हैं, आपको चाय पीने के लिये बुला लेंगे । (हंसी)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा में श्याम नगर एक कॉलोनी है जहां पानी की टंकी बन चुकी है लेकिन वहां पर अभी तक पाईप लाईन नहीं बिछी है तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ पैसा स्वीकृत कर दें तो गर्मी के पहले लोगों को वहां सुविधा मिल जाये ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य की चिंता जायज है । टंकी बन गया है तो मैं उसको दिखवाकर काम करवा दूंगा ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय मंत्री जी, धन्यवाद ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जशपुर जिलांतर्गत जशपुर से सन्ना मार्ग निर्माण हेतु जारी निविदा एवं लागत राशि

11. (*क्र. 783) श्री विनय कुमार भगत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जशपुर विधानसभा क्षेत्र में जशपुर से सन्ना मार्ग के निर्माण की निविदा कब जारी की गई थी ? कार्यादेश किसको दिया ? पूर्णतावधि क्या थी ? कार्य की लागत सहित जानकारी देवें ? (ख) क्या उक्त मार्ग की लागत में एवं पूर्णता की कार्यवधि में वृद्घि की गई है ? यदि हां, तो कब-कब कितनी-कितनी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी ‡[7] संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

श्री विनय कुमार भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ गया है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कार्य पूर्ण करने की समयावधि पूर्ण हो गयी है लेकिन कार्य अभी भी अपूर्ण है । 10 किलोमीटर का पेंच अभी भी बचा हुआ है तो कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुत: सदस्य ने जो पूछा था कि यह सड़क दो पार्ट में स्वीकृत हुआ था । 5/4, जशपुर सन्ना मार्ग, 5/4 किलोमीटर से 3127 यह पूरा हो चुका है और दूसरा जो पार्ट था किलोमीटर 32 से 53 तक तो यह जो पहला ठेकेदार टेण्डर लिया उसका काम सही नहीं था, गुणवत्ताविहीन था, जांच में गुणवत्ताविहीन पाया गया इसलिये हर्षा कंस्ट्रक्शन का टेंडर निरस्त हुआ और इससे वसूली की प्रक्रिया भी जारी है उसके बाद में दूसरा टेंडर किया गया । पहले वाले टेंडर में हमारे 3-4 अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही भी चल रही है । जो दूसरा टेंडर हुआ उसको श्री विरेंद्र कुमार सिंह ने लिया, इसका भी काम सही नहीं चल रहा है । इसमें भी जांच कराने पर गुणवत्ताविहीन पाया गया, इसमें भी 3-4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उस पर जांच चल रही है और अंतिम रूप से उसको दिनांक 30.10.2018 तक उसकी अवधि बढ़ायी गयी है, लागत में कोई वृद्धि नहीं की गयी है और उनको जो समय दिया गया है उसमें मार्च तक हम लोग देख रहे हैं, नहीं होगा तो तत्काल इसका टेंडर निरस्त करके नया टेंडर करके जो शेष बचा है उस काम को करायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चंद्रा ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में पूरक प्रश्न था। माननीय मंत्री जी, ई.एन.सी. के द्वारा एक पत्र लिखा गया है उसकी तारीख दिनांक 26.02.2018 है । इसमें विषय में लिखा हुआ है कि जशपुर सन्ना मार्ग के किलोमीटर 32 से 53 तक कुल 22 किलोमीटर के चौड़ीकरण के कार्य में बरती गयी अनियमितता एवं अनुबंध के संबंध में इसमें जो भुगतान से संबंधित बात लिखी गयी है तो इसमें जो राशि बतायी गयी है उसका भुगतान भी इसमें शेष होना बताया गया है । समिति का जो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---

7 परिशिष्ट "नौ"

मूल्यांकन किया गया था वह 6 करोड़ 97 लाख 24 हजार 98 का कार्य था, इसमें निविदा दर में 13.49 परसेंट का बिलो था । इसमें 5 करोड़ 21 लाख भुगतान किया जाना था तो क्या इसमें भुगतान का कोई प्रकरण लंबित है, इसको थोड़ा सा बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ठेकेदार का भुगतान कहीं पर लंबित नहीं है ।

<u>जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत नगर पंचायतों के विकास हेतु स्वीकृत राशि</u>

12. (*क्र.1357) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में 31 जनवरी, 2019 तक नगर पंचायतों के विकास हेतु किस मद से कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है ? (ख) उल्लेखित विकास कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ? नगर पंचायतवार जानकारी देवें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक नगर पंचायत जैजैपुर में इतने कार्य अपूर्ण हैं । अपूर्ण होने के क्या कारण है और कब तक उसे पूर्ण करवा देंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में 31 जनवरी, 2019 तक इन चार वर्षों की जानकारी मांगी थी और 506 काम जो अपूर्ण बता रहे हैं, यह योग 4-5 सालों का है ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- केवल नगर पंचायत जैजैपुर का बता दें । 4 नहीं मैंने तीन सालों की जानकारी मांगी है । वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में 31 जनवरी, 2019 तक ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे ज्यादा है । इसमें जितने स्वीकृत हैं वे काम चल रहे हैं और इसीलिए अपूर्ण बताया जा रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो । अध्यक्ष महोदय, यह पिछले सरकार का काम है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम स्वीकृत कर दिये थे, जिनका बजट नहीं है उनको भी स्वीकृत कर दिया था । हमने उनकी जानकारी मंगाई थी और जो अपूर्ण कार्य हैं उनको हम दिखवा रहे हैं, अगर उनकी आवश्यकता नहीं है, वे अपूर्ण हैं, जिनको पुराने समय में स्वीकृत कर दिया गया था। मैंने उनकी जानकारी मंगवाई है कि ये काम इतने समय से क्यों अपूर्ण हैं ? हम उनका औचित्य देखेंगे, अगर वे काम वास्तव में करने लायक हैं तो उनकी पुन: स्वीकृति देंगे और अगर उनकी जरूरत नहीं है तो उन कामों को निरस्त करेंगे और उनके बदले माननीय सदस्य या आप लोग जो सुझाव देंगे, उनको स्वीकृत करेंगे ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्य अपूर्ण हैं, उनको निरस्त करने का क्या औचित्य है ? जो कार्य अपूर्ण हैं, उनको पूर्ण कराएं । पहले किसने क्या किया, यह अलग मैटर है लेकिन जो कार्य अपूर्ण हैं, उन्हें निरस्त करेंगे तो वे कार्य अधूरे रह जाएंगे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कार्य अपूर्ण हैं, उनको आप पूरे करवाएं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, जो काम अपूर्ण हैं । स्वच्छ भारत मिशन के तहत निजी शौचालय बनाने के हैं । निजी शौचालय बनाने के प्रकरण में ही सबसे ज्यादा अपूर्ण हैं । निश्चित रूप से हम जो बनाते हैं, लोगों को व्यक्तिगत रूप से राशि दी जाती है और किश्त के हिसाब से दी जाती है । जितना काम वे करते हैं, उतना भुगतान किया जाता है और जितना काम होता है उसके लिए राशि भुगतान की जाती है । ये व्यक्तिगत शौचालय बनाने का काम है, उन लोगों ने नहीं बनाया है। हम पूछवा रहे हैं, नोटिस भी देंगे कि अभी तक काम क्यों नहीं हुआ है । उसको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने नगर पंचायत जैजैपुर का जानना चाहा था ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं आपको केवल नगर पंचायत जैजैपुर की ही जानकारी दे रहा हूं ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- नगर पंचायत जैजैपुर में आपने सभी शौचालयों को पूर्ण बताया है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने उसके प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया है ? अगर नहीं किया है तो कब तक कर देंगे और भुगतान नहीं करने का क्या कारण है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, अर उनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है तो निश्चित रूप से शीघ्र दिलवा देंगे ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास के सबसे ज्यादा अपूर्ण हैं । 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के अपूर्ण हैं । यह महत्वपूर्ण है, गरीब लोगों के आवास की व्यवस्था है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री आवास किन कारणों से अपूर्ण हैं ? क्या हितग्राहियों के कारण अपूर्ण हैं या आपने उनको भुगतान नहीं किया, उसके कारण अपूर्ण हैं और कब तक इसको पूर्ण कराएंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, 2017-18 में 213 स्वीकृत हुए हैं, उसमें से 78 पूर्ण हो गए हैं । जिन मामलों की जानकारी माननीय सदस्य दे रहे हैं कि वे अपूर्ण हैं, वे अभी हाल ही में स्वीकृत हुए हैं । उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराने का प्रयास करेंगे ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

बिलासपुर नगर में अमृत मिशन के तहत जल आपूर्ति योजना की लागत एवं जारी कार्यादेश

13. (*क्र.1026) श्री शैलेश पाण्डे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर नगर में खूंटाघाट जलाशय से पेयजल आपूर्ति हेतु अमृत मिशन के तहत निर्माणाधीन योजना की लागत कितनी है तथा कार्यादेश किस संस्था/फर्म को कितनी अवधि में पूर्ण करने हेतु दिया गया है ? (ख) उक्त योजना हेतु खूंटाघाट से प्रतिवर्ष कितना पानी प्रदाय किया जाना है ? विगत पॉच वर्षों में एवं वर्तमान वर्ष में खूंटाघाट की कुल भराव क्षमता के अनुपात में कितनी मात्रा में पानी का भराव रहा ? उक्त भराव के आधार पर उक्त योजना हेतु कितने मात्रा पानी की सप्लाई की जा सकेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जानकारी प्रपत्र "अ" †[8] संलग्न है. (ख) उक्त योजना हेतु खूंटाघाट जलाशय से प्रतिवर्ष 31 मि.घ.मी. पानी प्रदाय किया जाना है. विगत पांच वर्षों में एवं वर्तमान वर्ष 2018-19 में खूंटाघाट की कुल भराव क्षमता के अनुपात में पानी के भराव की मात्रा का विवरण प्रपत्र "ब" † संलग्न है. खूंटाघाट जलाशय में पानी भराव की क्षमता के आधार पर पेयजल प्रदाय हेतु 6.82 मि.घ.मी. पानी की सप्लाई हो सकेगी. जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना खारंग अहिरन लिंक परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् 31 मि.घ.मी. जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी.

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि जब हम किसी संस्था को किसी कंपनी को इतना बड़ा काम देते हैं 300 करोड़ का अमृत मिशन योजना के अंतर्गत तो उसमें सुरक्षा के क्या मापदंड रहते हैं क्योंकि आम जनजीवन प्रभावित होता है। जब हम शहर में गड्ढा खोदते हैं, रोड खोदते हैं, रोड खोदते हैं और इससे पहले भी सीवरेज की योजना 10 साल चल रही है, इस योजना के अंतर्गत शहर में परेशानी के कारण उसमें लगभग 18 लोगों की मौत हो गई तो अमृत मिशन योजना के अंतर्गत शहर में फिर गड्ढा किया जा रहा है और उसमें परसों एक मजदूर की मृत्यु हो गई और यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हम सुरक्षा के मापदण्ड के अनुसार कंपनी को जो काम देते हैं, उसको नहीं देते हैं क्या। इसमें किसकी जिम्मेदारी है। इंजीनियर की होती है कि ठेकेदार की होती है। सुरक्षा जो हम अमृत मिशन योजना के अंतर्गत देते हैं कोई काम किसी को। गाडियां आ रही हैं, गड्ढे में न गिर जाएं। लोग आ रहे हैं, परेशानी न हो जाए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एक बार दोबारा बोलिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अमृत मिशन योजना के अंतर्गत जो हमने काम दिया है, उसमें जो गड्ढे शहर के अंदर किये जाते हैं। यातायात प्रभावित होता

[8] परिशिष्ट "दस"

है। जनजीवन प्रभावित होता है। मजदूर उस गड्ढे के अंदर काम करते हैं। परसो एक गड्ढे के अंदर मजदूर गिर गया, वही पर मिट्टी धस गयी और वह मर गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- सीधा-सीधा यह पूछ लो कि जो अमृत मिशन का काम चल रहा है, उसमें सुरक्षा नहीं है। लोग गिरकर मर रहे हैं। उसका क्या सिद्धांत है? क्या रास्ता हे? आप लंबा खीचोगे, टाइम कम है न।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सदस्य सुन नहीं पाये थे, इसलिए रिपिट कर रहा हूं। क्वेश्चन यह है कि सुरक्षा के मापदण्ड जो हैं...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- निश्चित रूप से माननीय सदस्य की चिंता जायज है। कोई मजदूर काम कर रहा है। उनकी सुरक्षा उनको मिलना चाहिए और इसके लिए हमने संबंधित कंपनी को सेफ्टी के लिए नोटिस दिया है और उसमें कार्रवाई करेंगे। जो लापरवाही व्यक्त करेंगे उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और पिछले समय एक घटना हुई थी। हमने तुरंत उसको संज्ञान में लिया है और उनको हेलमेट लगाकर काम करना चाहिए, सेफ्टी के जो उपाय होते हैं, उनको करना चाहिए। हमने उनको निर्देश दिया हुआ है और एक घटना हुई है, उसमें हमने तत्काल 5 लाख रूपये का मुआवजा भी स्वीकृत किया है।

श्री शैलेश पाण्डे :- मंत्री जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय:- पाण्डेय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अमृत योजना के लिए जो कार्य वहां पर चल रहा है, उसी में 12 लोगों की मौत हुई है।

श्री शैलेश पाण्डे :- सीवरेज में 18 की मौत हुई थी। अमृत मिशन में परसो एक हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- तो उसको कहीं भुगतान हुआ है? उनके मरने के पश्चात् किसी ने दिया है, यह पूछ रहे हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- सर, 18 लोगों का। मैं यही जानना चाहता हूं कि जो सीवरेज परियोजना के अंतर्गत 18 लोगों की एक्सीडेंट से मौत हुई है। उनको क्या मुआवजा दिया गया या उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, उनके मुआवजा की जिम्मेदारी मंत्री जी किसकी है?

श्री शैलेश पाण्डे :- या देंगे क्या 18 लोगों को?

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रश्न पूछा है, वह अमृत मिशन के तहत जल आपूर्ति वाला पूछा है। अब वह सीवरेज वाला है या उस सीवरेज वाले को बाद में पूछ लेंगे। मुझे बता दीजिए, मैं उसको दिखवा लूंगा। सीवरेज का कहीं कोई...।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, उसी शहर में बन रहा है। आप यह तो बोल सकते हैं कि जो सीवरेज आपके द्वारा सरकार के आपके विभाग के द्वारा खोदी जा रही है, उसमें जो मरे हैं उनको भी मुआवजा देंगे। इतना बोलने में क्या हर्ज है ? अगर दे दिये होंगे तो ठीक। नहीं दिये होंगे तो देंगे बोल दो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- सर, मेरा एक निवेदन है...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसमें 5 लाख..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इनको पूछने दो न। इनको पूछने दो न।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुझे अनुमति दी है। आसंदी से अनुमति के बाद मैं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपने अपना प्रश्न पूरा कर लिया।

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- सर, मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय :- हां-हां, आप मेरी अनुमति से।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि इससे पहले भी बिलासपुर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं 18 लोग..। मैंने आपको उदाहरण दिया। मैंने कोई आपसे प्रश्न नहीं किया है..।

अध्यक्ष महोदय :- कहने दो।

श्री शैलेश पाण्डे :- 18 लोगों की सीवरेज में डेथ हो गई थी और कई लोग घायल हो गये थे। क्या उनको मुआवजा दिया गया था ? क्या आपने दिखवाया ? क्या उनके परिवारों के साथ न्याय किया ? क्या इस प्रकार हुआ ? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार का है, आपका नहीं है। तो मेरी चिंता यह है कि बिलासपुर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जब भी कोई घटना होती है। चाहे अमृत मिशन के नाम पर हो। सीवरेज के नाम पर हो। अभी हो ही रहा है। अभी चल ही रहा है गड्ढा। तो समस्या जनता की होती है और फिर परेशानी भी होती है। क्षेत्र के लोग मेरे पास आ जाते हैं। प्रश्न यही है कि..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, और बोलिए। आप जितना प्रश्न करेंगे, मैं सब जवाब दूंगा। आराम से बोलिए। धीरे-धीरे बोलिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- मेरा प्रश्न यह है कि जो पुरानी सरकार थी, उन्होंने उनको मुआवजा दिया है कि नहीं दिया है। जोकि पुराने लोग थे, जिनको सीवरेज के अंतर्गत जैसे जो गड्ढे हुए थे, उसमें 18 लोगों की मौतें हो गई थीं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा आप जो पूछ रहे थे। बहुत सारा प्रश्न पूछ रहे थे। पूछ लीजिए। अच्छे से पूछ लीजिए और एकाक दो प्रश्न और जोड़कर पूछिए। एक साथ सबका जवाब दूंगा। पूछिए। और एकाक दो और है उसको भी पूछिए, मैं सबका जवाब आपको दूंगा।

श्री अरूण वोरा :- माननीय मंत्री जी, यह बहुत गंभीर मामला है। लोगों की मौतें हो रही हैं और दुर्ग में भी यही स्थिति है। गड्ढा खोद-खोदकर रख दिया गया है, जिसको पाटा नहीं जा रहा है। यह पूर्ववर्ती सरकार का काम है। अब हमारी सरकार आ गयी है। आप अधिकारियों को निर्देश दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप पाण्डेय जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए। माननीय पाण्डे जी के प्रश्न का आप उत्तर दीजिए ।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- किनका ?

अध्यक्ष महोदय :- पाण्डेय जी के प्रश्न का।

श्री शैलेष पाण्डेय :- मेरा एक ही प्रश्न है, सर।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- एक ही प्रश्न है न। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीवरेज वाला मामला है। वहां बिलासपुर नगर निगम में सीवरेज का काम चल रहा है। सीवरेज वाले में वहां का 80 प्रतिशत काम हो गया है। माननीय सदस्य ने अमृत मिशन के काम के बारे में पूछा है। वह दूसरे ट्रेक पर चले गये हैं। वह सीवरेज वाले में चले गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ...।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- एक मिनट रूक न भैय्या। तै हा पूछ लेबे।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम आसंदी से आग्रह कर रहे हैं।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- मुझे जवाब तो देने दो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे क्या इनसे पूछकर हाथ उठाना है ?

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब देने दीजिये। .....(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपके रहते हुए ये निर्देश कर रहे हैं।.....(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं। खड़े होकर बोलिये न। आप संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद भी बैठे-बैठे बात कर रहे हैं।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- आप बैठे-बैठे मत बोलिये।

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, आपके शासनकाल का है।

श्री अजीत जोगी :- मुझे अनुमति मिल गई है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- मेरा उत्तर तो पूरा होने दीजिये।

श्री अजीत जोगी :- उत्तर हो गया, मुझे पूछने दीजिये।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- पूछिये, जोगी जी।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- जोगी जी को पूछने दीजिये।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वत: बिलासपुर शहर से बहुत नजदीक से संबंधित है। अनेक वर्षों से बिलासपुर शहर को नालियां खोद-खोदकर बर्बाद कर दिया गया है। वह चाहे अमृत योजना हो, चाहे सीवरेज योजना हो, करीब 20 लोग मर चुके हैं और करीब 110 लोग घायल हो चुके हैं। पुरानी तकनीक का उपयोग करने के कारण, गड्डे खोदने के कारण आजकल कहीं भी पेयजल की योजना, सीवरेज की योजना, नई तकनीक से चलाई जाती है। अन्दर ही अन्दर पाईप लाईन खोदी जाती है। ऊपर कुछ नहीं खोदते। एक मशीन होती है, जो अन्दर पाईप लाईन बना देती है। उसका उपयोग न करके बाबा आदम के जमाने का नालियां खोद-खोद कर पूरे शहर को बर्बाद किया है। क्या मंत्री जी इस पर विचार करके, आप कह रहे हैं कि 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। वहां कोई काम पूरा नहीं हुआ है अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10-15 साल में यह काम पूरा नहीं होगा। क्या आप तकनीक बदलेंगे ? आधुनिक तकनीक जो बड़े शहरों में, विदेशों में सीवरेज और पेयजल के लिए उपयोग की जाती है, उसका उपयोग बिलासपुर में करेंगे ?

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय जोगी जी का बिलासपुर से पुराना सम्बन्ध है और उनकी चिंता जायज है।

अध्यक्ष महोदय :- उनका जिला है भाई।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, ..।

अध्यक्ष महोदय :- उनका जिला है। बिलासपुर उनका जिला है।

श्री अजीत जोगी :- मेरा जिला है, शहर है।

अध्यक्ष महोदय :- घर है।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो लोग हाथ उठा लिए हैं। मेरा उत्तर ही नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनका जवाब दीजिये न, जोगी जी का जवाब दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब जोगी जी के बाद आगे बढ़ जाओ। क्या बोलना चाह रहे हो।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी का जवाब आ जाये।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- मुझे बोलने देंगे तब तो बोलूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- समय निकल रहा है, बोलो न।

श्री शिवरतन शर्मा :- समय देखकर, घड़ी देखकर .....(व्यवधान)

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, डांटिये, बीच-बीच में हल्ला करते हैं। मुझे जवाब भी देने नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जवाब दीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, एक सीधा सा प्रश्न है।

श्री अमरजीत भगत :- साफ उत्तर नहीं देंगे तो जोगी साहब का पुराने मंत्री से बहुत अच्छा सम्बन्ध है। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ...(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब ही नहीं आ रहा है। जवाब ही नहीं दे रहे हैं। खाली घड़ी देख रहे हैं, घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। वे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- वहां मजदूर मर रहे हैं, और यह सरकार .....(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- समय खिसक रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। .....(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पांच लाख रूपया मृत्यु पर मुआवजा दिया गया। क्या किसी के जीवन की कीमत पांच लाख रूपये होती है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ? क्या दोषी व्यक्तियों ....(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं पहले जोगी जी का जवाब तो दे दूं। बीच में ही खड़े हो जा रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिये।....(व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिये। ....(व्यवधान) मंत्री जी का उत्तर आने दीजिये भाई। अब आप लोग अलग-अलग प्रश्न करते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग अनावश्यक हस्तक्षेप मत करिये न। उनको जवाब देने दीजिये।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब ही देने नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जोगी जी का जवाब दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा। संसदीय कार्यमंत्री के रहते हो रहा है, और अच्छा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब आप टाइम पास करना सीख रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- टाईम पास करवा रहे हैं।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- अब आपसे पूछकर थोड़ी न टाइम पास करूंगा या जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2016-17

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2016-17 पटल पर रखता हूं ।

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 पटल पर रखता हूं ।

पूछा

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लगभग 1 करोड़ आदिवासियों के सामने पिछले कुछ महीनों में जो 5-6 घटनाएं हुई हैं, उनके कारण एक अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है । सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में वाइल्ड लाईफ एसोशिएशन ने एक केस दर्ज किया और सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन किया कि जिन आदिवासियों के वन अधिकार पट्टे किसी भी कारण से अस्वीकृत हो गए हैं, उन सबको बेदखल कर दिया जाये और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि उन 70 हजार आदिवासियों को बेदखल कर दिया जाये । यदि हमने तत्काल कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण 70 हजार आदिवासी बेदखल होंगे ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण डिलमिली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 30 हजार करोड़ रूपये का स्टील प्लांट सेंशन किया है, उससे भी हजारों आदिवासी बेदखल हो जाएंगे । 30 हजार करोड़ का स्टील प्लांट एक बहुत बड़ा प्लांट है और उससे भी हजारों आदिवासी बेदखल होंगे । तीसरा, एन.एम.डी.सी. में उन्होंने एक नई खदान की मांग की है और कोडेनार पंचायत में जनसभा भी हुई, कोडेनार पंचायत में जनसभा में अपनी भूमि देने से इंकार कर दिया और ये कहा कि अगर एन.एम.डी.सी. को ये खदान दी जायेगी तो केवल कोडेनार नहीं, हमारे आसपास के 40-50 गांव में ये

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

जमीन जायेगी, वहां भी हजारों आदिवासी बेदखल होंगे । उसी तरह से राजस्थान की कम्पनी को सरगुजा क्षेत्र में 1878 स्क्वेयर किलोमीटर की खदान मंजूर की गई है । 1878 स्क्वेयर किलोमीटर में न जाने कितने हजार आदिवासी प्रभावित होंगे और इसके अतिरिक्त जब 2002 में हाथियों का संकट बहुत बड़ा था तो हमारी सरकार ने 30 कोयला खदानें खतम करके बांगों डेम के पास हाथियों का पार्क बनाने का निर्णय लिया था, जिससे वे वहीं तक सीमित रहें और पूरे प्रदेश में घूमकर जिस तरह से निर्दोष आदिवासियों की मौत हो रही है, उसको रोका जा सके । ये पांच प्रकरण ऐसे हैं कि अगर इनको नहीं रोका गया तो लाखों की संख्या में आदिवासी बरबाद हो जाएंगे । हम लोगों ने इस पर स्थगन दिया है। मैं चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है । इस पर स्थगन स्वीकृत करके इस पर चर्चा करवाई जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, मैं दिखवा लेता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- एक मिनट अध्यक्ष जी । अध्यक्ष जी, वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छत्तीसगढ़ के 70 हजार आदिवासी बेदखल होने वाले हैं । यह पटटा अध्यक्ष जी, कोई सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली के कोर्ट में नहीं बनने वाले हैं, यह प्रदेश सरकार के अधिकारियों के द्वारा बनता है । हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जंगल की बहुतायत है, वहां आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त लगाया है, जो वर्षों से वहां है, उनको पटटा नहीं दिया गया है । यह प्रशासनिक असफलता के कारण नहींदिया गया है । अगर उस आदेश का पालन होगा तो हमारे आदिवासी तबाह हो जायेंगे । गली-गली के हो जायेंगे, परेशान हो जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी । अध्यक्ष महोदय, फारेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने छत्तीसगढ़ में हसदेव और अन्य जंगलों में 1878 वर्ग किलोमीटर वन भूमि में ओपन कॉस्ट माइनिंग हेतु 30 खदानों का चयन कर दिया ।

अध्यक्ष महोदय :- आप पढ़िये मत ।

श्री धर्मजीत सिंह :- 5 हजार से अधिक वन पटटे निरस्त कर दिये गये । 2 लाख से अधिक वनवासी अपने पारिवारिक भूमिसे वंचित हो गये । जब सरकार भोरमदेव अभ्यारण्य को खत्म करने का साहस करती है, इसमें जनता का हित है, 70 हजार आदिवासियों को पटटा देने का सरकार निर्णय ले, अगर कानूनी कार्यवाही करना है तो सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को खड़े होना चाहिये । हमारे गरीब आदिवासियों को जो वर्षों से वहां रहते हैं, एक कानून का बहाना करके वंचित नहीं किया जा सकता । अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें स्थगन दिया है । इसमें सदन में चर्चा कराई जाये । यह ज्वलंत मुददा है, गंभीर मुददा है । आप इस पर चर्चा करायेंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं देख लूंगा ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार के गठन के पश्चात पूरे प्रदेश में पुलिस आतंक कायम कर रही है । राजिम पुन्नी मेला में साधु संत आये थे । नागा साधु संतों के साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की । परसों जगदलपुर में इस सदन में मंत्री माननीय लखमा जी के बयान के विरोध में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे । उस प्रदर्शन में लाठी चार्ज हुआ, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के हाथ में फ्रेक्चर आया है । प्रदेश में लगातार सरकार का विरोध करने वाले कार्यकताओं को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का कार्य इस सरकार के द्वारा कराया जा रहा है । हमने इसविषय को समय-समय पर आपके सम्मुख उठाया है । इस विषय पर भी ध्यानाकर्षण आपके सामने दिया है । कृपया ध्यानाकर्षण स्वीकृत करके चर्चा कराये ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मैंने सुना है कि आप भी नागा साधु बनने वाले हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नागा साधु बनूंगा तो पहले गुरू आपको बनाऊंगा । आप जब बन जाये तो आपसे दीक्षा लेने जरूर आऊंगा । आप कब बन रहे हैं, सदन को बता दो ।

एक माननीय सदस्य :- 15 साल में घर में बैठे लोगों पर भी अपराध दर्ज किया गया है, उसको भी याद रखिये ।

श्री अजय चन्द्राकर(कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में पांचवी विधान सभा, इस सरकार के कार्यकाल की पहली विधान सभा आहूत की गयी । पहले दिन ही हमने एक सिलसिलेवार ब्यौरा दिया कि आते ही जो उनका पुराना चेहरा था, लोगों को मारने का पीटने का, दौड़ाने का, समाज का कोई वर्ग उस समय बाकी नहीं था, जिनको आप लोगों ने नहीं पीटा हो । आज भी शुरूआत में वही घ्टनायें हुई, लोकतांत्रिक संस्थाओं के, लोकतांत्रिक व्यक्तियों के, सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं के, संस्थाओं के साथ, निरंतर मारपीट की जा रही है, स्वर को दबाने की कोशिश की जा रही है, नागा साधु एक उदाहरण है । संग्राम सिंह जी एक उदाहरण है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसे विषय हैं, यह छत्तीसगढ़ की प्रवृत्ति के खिलाफ है । छत्तीसगढ की मूल आत्मा के खिलाफ है । हम इसमें तत्काल जांच की मांग करते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा विषय माननीय जोगी जी ने उठाया है, वह आदिवासियों के पटटे के संबंध में है । यह सरकार जो करना चाहे, हम उसको समर्थन प्रदान करेंगे । छत्तीसगढ़ के जो स्वाभाविक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने जो रिजेक्ट किया था, उसी का गड़बड़ हुआ है । उसको करना चाहिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह न्यायिक मामले है । हर बात में मत खड़ा हो ना।

श्री बृहस्पत सिंह :- हम लोगों को चुप रहने का अधिकार है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय उनका पहले हो जाने दीजिए, क्यों बीच में आते हो ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसे ही मुख्यमंत्री जी आयेंगे, दो-तीन को तो खड़ा होना ही है । उनको मंत्री बनना ही है ?

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आपका हो गया न? आपने ध्यानाकर्षण कर लिया?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा था कि हमारे प्रदेश के वनवासियों का जंगल के प्राकृतिक संसाधनों पर स्वाभाविक रूप से अधिकार है। लोकतांत्रिक संस्थाओं से, वैधानिक संस्थाओं से यदि किसी के द्वारा यदि किसी तरह की विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो सरकार आगे जाने के लिए जो भी कार्यवाही करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। यदि आप आवश्यक समझते हैं कि यह जनहित का विषय है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सारे काम रोककर इस पर सदन में तत्काल चर्चा कराई जाए क्योंकि यह प्रदेश के 30 प्रतिशत से अधिक वनवासियों से जुड़ा हुआ विषय है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जगदलपुर की जो घटना है, जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा और जिस दिन सदन प्रारंभ हुआ उसी दिन से हमने इस विषय को सरकार के ध्यान में लाया था कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से प्रताड़ना की गई, लाठी से मारकर हाथ को तोड़ा गया इसके पहले आरंग की घटना को आपके ध्यान में लाये थे कि पुलिस के द्वारा कैसे उनको उठाकर ले जाया गया और उन्हें 8 घंटे बैठाया गया। ऐसी अनेक जो सिलसिलेवार घटना घट रही है उस संदर्भ में हमने उस दिन इसीलिए स्थगन दिया था कि एक बार उसमें चर्चा हो जाए। लेकिन उसमें ध्यानाकर्षण दिया गया है और उसे स्वीकार करके उस पर चर्चा कराई जाए जिससे आने वाले समय में वह रूक सके। दूसरी बात जिस बात को जोगी जी ने कहा कि वन अधिकार पट्टा जो निरस्त हुआ था और जो बेदखली की बात है तो निश्चित रूप से इससे प्रदेश का एक बड़ा तबका और ऐसे 70 हजार से अधिक लोगों की बेदखली करेंगे जिससे उनको क्षति होगी। सरकार चाहे तो उसमें अपील या कोई कानूनी सलाह करके कि जिससे उनको वहां पर सुरक्षित बचाया जा सके, उस पर भी जो स्थगन दिये हैं, यदि उस पर चर्चा करेंगे तो हम उसमें बाकी तथ्य रखेंगे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश में 70 हजार आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है और पेशा कानून का भी पालन नहीं किया जा रहा है जो कि एक महत्वपूर्ण कानून है।

अध्यक्ष महोदय :- उसको विस्तृत न करके संक्षिप्त में कर दीजिए ना। उसी बारे में सभी ने कहा है। इसमें आपकी सूचना है क्या?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। इसमें मेरे स्थगन की सूचना है। आदिवासियों के लिए जंगल उनकी संस्कृति भी है और उनके जीविकोपार्जन का साधन भी है। हमने

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए इस पर स्थगन दिया है, कृपया इसे ग्राह्य करें और इस पर चर्चा करायें।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- अध्यक्ष महोदय, बलरामपुर जिले में सेमरसोत अभ्यारण्य क्षेत्र 51 गांव का है जहां आदिवासी और सभी लोग रहते हैं। वहां पर कुछ सालों से तेंदूपत्ता और लघु वनोपज की खरीदी पर रोक लगा दी गई है। यह आदिवासियों के लिए आजीविका का मुख्य साधन होता है जिसके संबंध में मैंने ध्यानाकर्षण लगाया है। आपसे अनुरोध है कि इसे ग्राह्य कर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर):- दुर्ग के शिवनाथ नदी के लिए मैंने एक ध्यानाकर्षण लगाया है वहां पर चार नालों का पानी मिलता है और नदी प्रदूषित हो रही है। फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए मैंने शासन से अनुरोध किया है। मैं चाहता हूं कि वहां पर उसकी स्थापना की जाए।

समय :
12:13 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में 70 हजार आदिवासी परिवार संकट में हैं। माननीय जोगी जी और माननीय धर्मजीत सिंह जी ने इस पर स्थगन दिया है।

सभापति महोदय :- आप एक बार बोल चुके हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, किसान संकट में है, आदिवासी संकट में है, और लगातार हम लोग सूचना दे रहे हैं इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या इनको लगातार बोलने की अनुमति है? हम लोग भी आपसे बोलने की अनुमति चाहेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- यह लोग घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने जिन आदिवासियों का पट्टा रोका, जिसको खारिज किया उसी की गड़बड़ी हुई है और यह आपकी सरकार ने किया है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने कोई समस्या उठाई, समस्या का जवाब, प्रश्न का जवाब सरकार से आना चाहिए।

सभापति महोदय :- अध्यक्ष जी ने कहा है कि वह विचार करेंगे, आप बैठिए तो।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन अब ये इधर से (श्री मोहन मरकाम एवं श्री बृहस्पत सिंह सदस्य की ओर इशारा) कोई जवाब आयेगा इसकी क्या विश्वसनीयता है? इसकी कोई

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

विश्वसनीयता तो नहीं है न और न अधिकृत रूप से मान्यता है। जवाब इन दो-तीन बेंच (मंत्रियों की बेंच की ओर इशारा) से आयेगा तभी हम मानेंगे।

समय :
12:15 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवैध स्लाटर हाऊस (कसाई खाना) संचालित किया जाना

मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है कि शहरी क्षेत्र में स्लाटर हाऊस (कसाई खाना) खोलने हेतु नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रं.23 सन् 1956) की धारा 257 की उपधारा (2) तथा नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र.37 सन् 1961) की धारा 264 की उपधारा (2) में प्रावधान है, परंतु नियम और निर्देश नहीं होने के कारण गरियाबंद सहित प्रदेश में कई स्लाटर हाऊस खासकर शहरी क्षेत्र में खुले आम, खुले स्थल में जानवरों की कटाई कर रहे हैं और स्लाटर हाऊस में इंसीनरेटर नहीं लगाये गए हैं। रायपुर में तो रिहायशी इलाके के कत्ल खाने में ही इंसीनरेटर लगा दिये गये हैं तथा राजनांदगांव के इंसीनरेटर खराब है, साथ ही खुले में मांस बिक्री हो रही है जिससे जन-स्वास्थ्य और पर्यावरण का भारी खतरा उत्पन्न हो गया है, इससे जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, यह कथन सत्य है कि नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 257 की उपधारा (2) तथा नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 264 उपधारा (2) में शहरी क्षेत्रों में विक्रयार्थ जीव जन्तुओं/पशुओं का वध करने के स्थान तथा अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रावधान है। किन्तु यह कथन सही नहीं है कि गरियाबंद तहसील समेत कई स्लाटर हाउस खासकर शहरी क्षेत्रों में बिना नियम और निर्देश के संचालित हैं तथा जानवरों की खुले स्थलों में कटाई हो रही है। वस्तुत: प्रदेश के समस्त जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में अवैध पशु वध रोकने समिति का गठन किया गया है। जो कि शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही हेतु सक्षम है।

यह कथन सही नहीं है कि स्लाटर हाउस में इंसीनरेटर नहीं लगाए गये हैं अपितु प्रदेश की 12 नगरीय निकायों में इंसीनरेटर स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में रायपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव में इंसीनरेटर चालू है। नगर निगम रायपुर में संजय नगर में स्थित पशुवध शाला में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन में इंसीनरेटर लगाया गया है तथा नगर पालिक निगम भिलाई में राधिका नगर स्थित स्लाटर हाउस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

यह कहना सही नहीं है कि खुले में मांस बिक्री हो रही है तथा जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरण को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है।

शासन जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति पूर्ण सजग है। अत: आम जनता में किसी तरह का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री भूपेश बघेल सरकार के सबसे विद्वान और सक्षम मंत्री का आज ध्यानाकर्षण है। शायद आपके आशीर्वाद से...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, अब टाईम की जरूरत नहीं है। अब आराम से पूछिये। अभी टाईम लिमिट नहीं है, आप आराम से पूछिये।

समय :

12:17 बजे **(अध्यक्ष महोदय, (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण में कम से कम घड़ी देख के उत्तर नहीं आयेगा। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जी, आपने ध्यानाकर्षण पढ़ लिया।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने भी पढ़ लिया। अभी तीन चार दिन पहले गरियाबंद में घटना हुई थी जिसमें डी.आई.जी भी गये थे, कलेक्टर का भी दौरा हुआ और अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई। सबसे छोटा सा प्रश्न ये है कि गरियाबंद की घटना किन कारणों से हुई ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद में जो घटना हुई है। गरियाबंद का स्लाटर हाऊस से संबंधित कोई मामला ही नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि गरियाबंद ध्यानाकर्षण में उल्लेखित है, उत्तर में भी देख लीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में मैं दिया हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल इधर उधर प्रश्न नहीं पूछूंगा। गरियाबंद की घटना इसलिए घटी मैंने जो कहा है कि खुले में मांस विक्रय होता है, खुले में कांटे जाते हैं। दूसरा इंसीनरेटर का मतलब ये है कि खुले में जो मांस के कचरे फेंके जाते हैं उसको शोधित करने का पर्यावरण के अनुकूल हो, मूल विषय यह है। गरियाबंद की घटना इसलिए घटी की खुले में मांस को काट के बाजू में फेंक दिया गया। अब आपने उत्तर दिया है कि जिला स्तर में कमेटी गठित है। मैं गरियाबंद के बाद आगे प्रश्न करूंगा। पेपर, सामाचार पत्र, प्रकाशन, यदि स्लाटर हाउस या खुले मांस की बिक्री से संबंधित है, इसलिए आपके संरक्षण में मझे ये जानने का अधिकार है कि गरियाबंद की घटना का संबंध मांस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बिक्री से था या नहीं था। कलेक्टर के स्तर में यदि कमेटी गठित है तो गरियाबंद में कलेक्टर ने कितनी बैठकें इस संबंध में ली है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न स्लाटर हाउस का पूछते हैं। स्लाटर हाउस जो होता है, उसमें 10 से अधिक जानवर जहां कटते हैं, वहां स्लाटर हाउस स्वीकृत होता है। गरियाबंद में ऐसी कोई स्लाटर हाउस नहीं है। माननीय सदस्य जी जो पूछ रहे हैं, वहां किसी दुकान के पास इस तरह की घटना हुई थी, जो स्लाटर हाउस से संबंधित नहीं है। खुले में इस तरह की बिक्री हो रही है तो उसके लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित है। उनके पास अगर शिकायत आती है तो माननीय कलेक्टर महोदय, की अध्यक्षता मे समिति देखती है और उसका निराकरण करती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर वही पूछ रहा हूँ। मैं जिम्मेदारी और जवाबदारी से कह रहा हूँ कि वहां मांस फेंका गया, इसलिए ये घटना हुई। स्लाटर हाऊस जो दूसरे पैरे में है मैं उसमें अभी आया नहीं हूँ ? मेरे ध्यानाकर्षण में वह गरियाबंद की घटना है। क्या गरियाबदं की घटना मांस फेंकने के कारण घटी ? खुले में मांस स्लाटर हाऊस के अतिरिक्त, मेरे ध्यानाकर्षण में खुले में मांस बिक्री है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहीं बाहर से नहीं पूछ रहा हूँ। क्या गरियाबदं की घटना खुले में मांस बिक्री और कचरा फेंकने के कारण घटी ?एक, और दूसरा गरियाबंद कलेक्टर ने कितनी बैठकें या क्या उन्होंने खुले में मांस काटने, बेचने या कचरे के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन दिये ? यह मेरा पहला प्रश्न है उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न करूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां स्लाटर हाऊस है ही नहीं और प्रश्न स्लाटर हाऊस का पूछ रहे हैं। मैं माननीय सदस्य आदरणीय अजय चन्द्राकर जी को ये बता चुका हूँ कि स्लाटर हाऊस के बाहर का जो मामला है अगर इस तरह की घटना घटित होती है खुले में मांस की बिक्री हो रही है, तो उसके बारे में शिकायत कलेक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है। वह इस मामले को देखते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आगे बढ़ जाईये। आप दूसरा प्रश्न करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आपका ध्यानाकर्षित कर रहा हूँ। मेरा जो मूल ध्यानाकर्षण है उसमें स्लाटर हाऊस, कटाई कर रहे हैं, निर्देश नहीं होने के कारण गरियाबंद सहित प्रदेश में कई स्लाटर हाऊस खासकर शहरी क्षेत्र में खुले आम, खुले स्थल में जानवरों की कटाई कर रहे हैं ये मेरे ध्यानाकर्षण में लिखा है, ये उत्तर नहीं देना चाहे तो वह अलग बात है अब मैं दूसरा प्रश्न कर लेता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप दूसरे प्रश्न पर आईये।

असंशोधित/मुद्रणार्थ के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। 12 नगरीय निकाय में इंसीनरेटर स्वीकृत हैं। तो कब से स्वीकृत है और कितने में लगते हैं और कितने में कब तक लग जायेंगे ? और प्रत्येक की लागत कितनी है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नगर निगम रायपुर, नगर निगम भिलाई, नगर निगम रायगढ़, ये यहां पर इंसीनरेटर लगा हुआ है और यहां पर इंसीनरेटर चालू हालत में है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरी चीज पूछी है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता तो रहा हूँ। आप एक मिनट आराम से धैर्य से बैठिए तो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उधर देखकर बात करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा भी बता रहा हूँ। मैं अध्यक्ष जी की तरफ मुखातिब होकर बोल रहा हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी भी क्या बात है कि सामने देखने से आपको..?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नगरीय निकायों में 12 जगहों में इंसीनरेटर स्वीकृत है जिसमें 3 जगह चालू है और जगदलपुर में प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है और नगर निगम राजनांदगांव में भी यूनिट प्रारंभ किया जा चुका है। अंबिकापुर में निविदा आमंत्रित की गई है। जब निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इंसीनरेटर स्थापना धमतरी में तकनीकी खराबी के कारण सुधार कार्य चल रहा है। बिलासपुर में कोई स्लाटर हाऊस संचालित नहीं है। इसलिए वहां इसकी स्थापना का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मनेन्द्रगढ़ में...।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर नहीं आया। मैं उसी प्रश्न को दोहराऊंगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। मैं कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछूंगा। ये मेरा दूसरा ही प्रश्न है। पहले का तो उत्तर नहीं मिला और मैं दूसरे प्रश्न को ही पूछूंगा, कोई नई चीज नहीं पूछूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ। आपने पूछा है कि कितने जगह चालू है और कितनी जगह बंद है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह नहीं पूछा हूँ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने जगह चालू है और कितनी जगह बंद है और कब चालू होगा, आप यही तो पूछे हैं मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। तीन जगह चालू है और

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बाकी जगहों में काम चल रहा है। एकाध जगह खराब है। उस जगह के टेण्डर्स आमंत्रित किये गये हैं और टेण्डर्स की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वह कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद चालू हो जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूँ मैं कोई ?

अध्यक्ष महोदय :- भईया, अब इसमें प्रश्न दोहराने का तो नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर आये या न आये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरी तरफ से ध्यानाकर्षण में एक प्रश्न पूछ सकते हैं, दो प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन उसको दोहरायेंगे तो तीसरा प्रश्न हो जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। यदि आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं पूछूंगा। बिल्कुल आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि प्रश्नों के उत्तर नहीं आये तो उसको संख्या में निर्धारित न करें।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कितना अच्छा उत्तर दिये। ये तो उत्तर भी नहीं देते थे। हमेशा उल्झाने का काम करते थे।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने उत्तर दे दिया अब आप उनसे पूछ लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उसी प्रश्न में उनकी लागत पूछी थी कि कितनी लागत है? अब आपको एक तथ्य बता देता हूँ। उत्तर मत आये। आपको एक तथ्य बता देता हूँ कि इसी सत्र में आपने प्रश्न में कहा कि 7 स्लाटर हाऊस है अब 12 स्लाटर हाऊस लग गये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्लाटर हाऊस 12 नहीं है। कहां 12 दिया है भई? मैं नगरीय निकाय की बात बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत सारे कार्यक्रम हैं आप जल्दी समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं पूछता, एक छोटी सी दूसरी बात पूछ लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आप जल्दी समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक यदि नियम नहीं है, निर्देश नहीं है, जैसा उत्तर में उन्होंने कहा है तो खुले में मांस बेचने में स्थानीय संस्था को दंड करने का अधिकार है, अभी तक कितने लोगों को कहां-कहां कितना दंड किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय :- इसका उत्तर संभव नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय चन्द्राकर जी के किसी प्रश्न का

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

जवाब माननीय मंत्री जी की ओर से नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय :- अब आप उसी को दोहरायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं नया प्रश्न कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि यह कहना सही नहीं है कि खुले में मांस बिक्री हो रही है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में मांस बिक्री हेतु स्थान आरक्षित किया गया है ? नंबर दो गरियाबंद में जहां घटना घटित हुई, वहां कौन सा स्थान मांस बिक्री हेतु अधिसूचित किया गया था ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूलत: स्लाटर हाऊस का है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूर्व में ये व्यवस्था दी थी कि मंत्री का अगर कोई उत्तर आता है तो उस उत्तर पर हमको पूरक प्रश्न करने का अधिकार है, ये इसी सदन में, इसी सत्र में आपकी व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय :- स्लाटर हाऊस में प्रश्न था, स्लाटर हाऊस का करिये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह कहना सही नहीं है कि खुल में मांस बिक्री हो रही है, यह प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने लिखकर दिया है। मैंने माननीय मंत्री जी से आपके सामने प्रश्न किया है कि क्या नगरीय निकाय क्षेत्रों में मांस बिक्री हेतु कोई स्थान आरक्षित किया गया है और गरियाबंद में कौन सा स्थान आरक्षित किया गया है ? यह तो प्रश्न से उद्भूत होता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप गरियाबंद से जानकारी मंगा लें कि कौन सा स्थान सुरक्षित है, माननीय सदस्य जी को बता दीजियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया, माननीय मंत्री जी इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि बिलासपुर में स्लाटर हाऊस नहीं है। इसका मतलब है कि बिलासपुर शहर में 3 लाख, 4 लाख की आबादी में कुछ भी वहां मटन बिक रहा है, कोई भी काटकर बेच रहा है, कोई मेडिकल नहीं हो रहा है, कोई काटने की जगह नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, आप बताईये, आप रिकार्ड देख लीजिए, आपने अभी अपने जवाब में कहा है कि बिलासपुर में स्लाटर हाऊस नहीं है, इसका मतलब है कि बिलासपुर में किस तरीके से मटन बिक रहा है, बीमार बकरों को काटा जा रहा है, बिना मेडिकल के काटा जा रहा है। हम जब बिलासपुर में रहते हैं तो अभी बहुत दिन से नहीं जा पाया हूं, शनिचरी में स्लाटर हाऊस है, आप भी उसी मोहल्ले में रहते थे। आपने तो कह दिया कि स्लाटर हाऊस नहीं है, आप यह बताईये कि स्लाटर हाऊस

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है या नहीं ? यदि नहीं है तो वहां मटन कैसे बिकता है ? खुले में कैसे बिक रहा है, कौन काटकर बेचता है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि वहां पर स्लाटर हाऊस नहीं है, स्लाटर हाऊस उसको बोला जाता है जहां 10 से अधिक जानवर की कटाई रोज होती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसकी निगरानी के लिए आपके पास कोई नियम ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आगे बढ़िये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां 10 से अधिक जानवर कटते हैं वहां पर स्लाटर हाऊस स्वीकृत होता है। वहां से कोई प्रस्ताव आया नहीं है अगर प्रस्ताव आयेगा तो उसमें विचार करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, बिलासपुर में कम से कम 200 से ज्यादा बकरे कटते हैं और आप 10 बोल रहे हैं। इतना बडा शहर है, राजधानी के बाद न्यायधानी है, वहां जरा पता कराईये, ठीक-ठीक से बकरा कटकर बिके। स्लाटर हाऊस बनवाईये नहीं तो वहां तो गोरखधंधा चलेगा। मैंने टेलीफोन में बताया था न कि चीतल का मांस मिलता है। स्लाटर हाऊस खोलिये न, क्यों लोग इधर-उधर खोजेंगे ? आप स्पष्ट घोषणा करिये कि क्या बिलासपुर में सर्वसुविधायुक्त स्लाटर हाऊस खोलने की घोषणा करते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपसे एक निवेदन है कि पूरे प्रदेश में खुले में मांस बिक रहा है। आप राजधानी रायपुर में बंजारी चौक में चले जाईये, लोग खुले में मांस बेच रहे हैं। भाटापारा नगरपालिका ने स्थान आरक्षित किया, पर जब से नई सरकार गठित हुई है, 2 महीने से खुले में मांस बिक रहा है, प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- यह बहस का विषय नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनजीवन के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें लापरवाही हो रही है।

श्री अमरजीत भगत :- खुले में मांस बिकने का सिलसिला कब से चल रहा है, आप ही लोग बता दीजिए। क्या यह सरकार आने के बाद शुरू हुआ है ? ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- ..(व्यवधान).. शासन इसमें गंभीर नहीं है, इसलिए इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12.29 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर मे विरोध में।

(श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृतव में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(2) चिरमिरी में स्थापित एस.ई.सी.एल. कोल माईन्स द्वारा स्थानीय मजदूरों को नौकरी से निकाला जाना

डॉ. विनय जायसवाल (मनेंद्रगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- चिरमिरी में स्थापित एस.ई.सी.एल. कोल माईन्स के द्वारा वहां 15 से अधिक वर्षों से कार्यरत, 15 नहीं बल्कि 35-40 से अधिक वर्षों से कार्यरत वहां छत्तीसगढ़ के स्थानीय मजदूरों को माईन्स के प्रबंधकों के द्वारा उनका निवास प्रमाण पत्र फर्जी होना अथवा उनके मूल निवास प्रमाण पत्र में अंकित नाम तथा माईन्स की पंजी में उनको अंकित नाम में भिन्नता होना बताकर जबरन निकाले जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है । छत्तीसगढ़ के सौ से अधिक स्थानीय मजदूरों से उनका रोजगार छिन लिया गया है । माईन्स के प्रबंधकों के द्वारा उनके मूल निवास प्रमाण पत्र का स्थानीय जारीकर्ता सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराए बगैर ही उक्त कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य प्रदेश के लोगों को यहां लाकर रोजगार दिया जा रहा है जिससे स्थानीय लोग बेरोजगार होने के लिये मजबूर हैं और उनके साथ छल किया जा रहा है । तदसंबंध में मजदूरों और प्रभावितों के द्वारा अनेक अवसरों पर स्थानीय प्रशासन को माईन्स के प्रबंधकों के उक्त कृत्य की शिकायत करने के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । इससे प्रभावित परिवार एवं माईन्स में कार्यरत तथा स्थानीय लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल):- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 128 की विषयवस्तु भारत सरकार के उपक्रम साउथ ईस्टर्न कोल फिल्डस लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) की कोरिया जिले में चिरमिरी स्थित कोयला खदानों में कार्यरत स्थानीय मजदूरों के मूल निवास प्रमाण पत्र में अंकित नाम तथा पते में भिन्नता के कारण नौकरी से निकाले जाने से संबंधित है ।

कोरिया जिले में एस.ई.सी.एल. चिरमिरी क्षेत्र में कुल 08 खदानें लगभग वर्ष 1985 से संचालित हैं । इन खदानों में अन्य प्रदेशों के मजदूर और छत्तीसगढ़ के 100 से अधिक स्थानीय निवासी मजदूर के रूप में कार्यरत हैं । इन मजदूरों के द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अन्य दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारियों से सत्यापन कराये जाने के उपरांत ही एस.ई.सी.एल. प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

एस.ई.सी.एल. प्रबंधन से उपलब्ध जानकारी के अनुसार एस.ई.सी.एल. चिरमिरी क्षेत्र में किसी मजदूर की शिकायत प्राप्त होने पर उस मजदूर की सेवा पुस्तिका में दर्ज मूल निवास स्थान पर उस राज्य के उसी जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा सत्यापन कराया जाता है । पुलिस अधीक्षक के जांच प्रतिवेदन होने के उपरांत शिकायत सही पाये जाने पर एस.ई.सी.एल. के प्रमाणित स्थायी आदेश के अनुसार आरोप पत्र जारी किया जाता है । कर्मचारी के द्वारा तीन दिवस के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं उसके उपरांत जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कार्यालय के द्वारा जांच समिति गठित की जाती है । जांच के कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कर्मचारी को अपना पक्ष रखने के लिए पूर्ण अवसर दिया जाता है । जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के आरोप सही पाये जाने पर उस पर प्रबंधन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

एस.ई.सी.एल. चिरमिरी क्षेत्र में कुल 271 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 119 प्रकरणों में कार्यवाही की जा चुकी है । 95 प्रकरणों में मजदूरों को दोषमुक्त किया गया है और 24 मजदूरों को निष्काषित किया गया है । शेष 114 शिकायतों पर संबंधित पुलिस अधीक्षक को जांच करने हेतु लेख किया गया है । 38 शिकायतों पर जांच प्रक्रिया किया जा रहा है ।

इन प्राप्त कुल 271 शिकायतें बाहरी निवासियों की हैं जिसमें स्थानीय मजदूर की शिकायत प्राप्त नहीं है । एस.ई.सी.एल. द्वारा शिकायत के संबंध में राज्य स्थानीय प्रशासन से कोई सुझाव नहीं लिया गया है और न ही संबंधित शिकायत जांच के लिए कोई पत्र लेख किया गया है ।

जहां तक अन्य राज्यों से लोगों को लाकर कंपनी में भर्ती किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में एस.ई.सी.एल. ने अवगत कराया है कि कम्पनी में भर्ती क्षेत्रीय स्तर पर नहीं की जाती हैं ।

एस.ई.सी.एल. की चिरमिरी खदान से स्थानीय मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने की शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई हैं । इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ को पहली बार बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं । मैं आपके जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि आज से 35-40 साल पहले जो मजदूर रेल्वे के चक्के वाला लोहा उठाते थे और उनको नौकरी पर रख लिया जाता था । उस समय नौकरी की इतनी ज्यादा किललत नहीं थी । आज एसईसीएल किस अधिकार से श्रमिकों के नाम, जाति और पते की जांच करती है, नम्बर एक । प्रबंधन, किसी के नाम, जाति या पते को कैसे जांच कर सकती है । यदि उसे यह अधिकार है तो क्या उसकी विधिवत जांच एसईसीएल प्रबंधन ने किया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विधिवत जांच की क्या प्रक्रिया है, जो शासन का वक्तव्य आया है, इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि एसईसीएल द्वारा शिकायत के संबंध में राज्य के स्थानीय प्रशासन से कोई सुझाव नहीं लिया गया है और न ही संबंधित शिकायत की जांच के लिए कोई पत्र लिखा गया है । यह केवल एसईसीएल में कुछ ब्लैकमेलर टाइप के लोग चिरमिरी में हैं । हमारे भोलेभाले श्रमिक जो अपने श्रम से 8-10 घंटे अंडरग्राउंड में काम करते हैं । आज से 30 साल पहले उनके नाम में कुछ मत भिन्नता होने के कारण, इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि नाम गलत है तो उनको कोई फायदा हो रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है या कोई अफसर बन रहा है । उन श्रमिकों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछिये ।

डॉ. विनय जायसवाल :- जी । मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि केवल फोटो और नाम भेजकर किसी श्रमिक को रिटायरमेंट के एक दिन पहले नौकरी से बर्खास्त करने का अधिकार प्रबंधन को है क्या । जांच में उड़ीसा के एक गांव के दो व्यक्ति नहीं हैं । उपक्रम छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा में आप जांच करने के लिए भेजते हैं । जबकि स्थानीय प्रबंध को, इसकी कोई जानकारी प्रबंधन के द्वारा नहीं जाती है । जांच में उड़ीसा के एक गांव के दो व्यक्ति नहीं । 24 श्रमिक जिनको बर्खास्त किया गया है, उनको प्रमाणित किया गया है कि ये, वे व्यक्ति नहीं है । जबकि जिस व्यक्ति के बारे में है, उनका यह कहना है कि ये व्यक्ति दूसरे की नौकरी कर रहा है, उसका फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं हो पाया है कि वह व्यक्ति कहां है, जिसके नाम से वह नौकरी कर रहा है । उसका फिजिकल वेरीफिकेशन भी नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करो ।

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं प्रश्न कर रहा हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी उन 24 व्यक्तियों में से एक ने आत्महत्या कर ली है । भय और आतंक का वातावरण बना हुआ है । इसकी तत्काल जिला प्रशासन के द्वारा जांच करवानी चाहिए और संबंधित दोषी अधिकारी जो, कॉकस बना हुआ है, जो श्रमिकों के खून पसीने की कमाई को लूट रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर करके पूरी जांच होनी चाहिए ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इनका मूल प्रश्न सथानीय निवासियों को निकाले जाने का है और उसमें छत्तीसगढ़ का कोई नहीं है । जाति प्रमाण पत्र जो देना है, निवासी प्रमाण पत्र देना है वह आवेदक देता है, उसका वेरीफिकेशन एसईसीएल के द्वारा किया जाता है । यदि कोई शिकायत मिलती है तो फिर जिला प्रशासन उसकी जांच करता है । यदि दूसरे प्रदेश के हैं और उनकी जाति का मामला आता है तो उसके मामले में संबंधित एस.पी. से रिपोर्ट मंगाई जाती है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई पर्टिक्यूलर कोई केस है तो वे दे दें, हम उसकी जांच करा लेंगे ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. विनय जायसवाल :- मेरे पास ऐसे 7 प्रकरणों की जानकारी है, जिससे स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनकी जाति, उनके नाम की जांच नहीं कराई गई है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदन में, जिला प्रशासन से जांच करवाने की घोषणा कर दें ।

अध्यक्ष महोदय :- घोषणा क्या करना, आप लिखकर दीजिए 7 के बारे में ।

डॉ. विनय जायसवाल :- एक बार घोषणा हो जाए तो ।

अध्यक्ष महोदय :- निर्देश देंगे । इतने बड़ी बात नहीं है, वे निर्देश देंगे उसकी जांच हो जाएगी ।

श्री भूपेश बघेल :- उसकी जानकारी दे दीजिए ।

समय :
12:38 बजे

<u>नियम 267- "क" के अधीन विषय</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1. श्री सौरभ सिंह,
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री अजीत जोगी,
4. श्री नारायण चंदेल,
5. श्री कुंवर सिंह निषाद

समय :
12:38 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

1. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
2. श्री प्रमोद शर्मा

(श्रीमती अंबिका सिंहदेव, सदस्य द्वारा खड़े होकर कुछ कहने की कोशिश करने पर)

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या कुछ कहना चाह रही हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- किस विषय पर ।

श्रीमती अंबिका सिंहदेव :- शून्यकाल में ।

अध्यक्ष महोदय :- वह अब निकल गया ।

समय :

12:39 बजे

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

<u>छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019</u>

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6, सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6, सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6, सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं ।

<u>(2) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019)</u>

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) पर विचार किया जाये। आप इसमें कुछ कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चलिए, इसमें 3 घंटे निर्धारित हैं। फिर भी आप लोग संक्षिप्त में इसे समाप्त करने की कोशिश करें। अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- जोर से नहीं, शांति से। ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। अगर वे जोर से नहीं बोलेंगे तो आप तो 6 घंटे चलाने के लिए बोल देंगे। जब वे जोर से बोलेंगे तभी तो 2 घंटे में खत्म होगा।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, प्रतिदिन इनकी मेडिकल चेकअप जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा रेस हो जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी शुरू नहीं हुआ हूं। अभी मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो ये 2-3 लोग अपनी टी.आर.पी. बढ़ाएंगे।

श्री संतराम नेमाम :- कल आपने आदेश दिया था उसके बाद भी ठीक से नहीं हो पाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी, एक शब्द नहीं बोला हूं मैं। आप भी खड़े हो जाएं। आप भी खड़े हो जाएं। कुछ बोल लें फिर शुरू करूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप शुरू करिए।

श्री अमरजीत भगत :- मैं बोल रहा हूं कि आप जब बोलते हैं तो एकदम फट जाते हैं या तो इतना साउंड रहता है कि आवाज ही नहीं आता है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सदस्य के बारे में आप भी चिंतित हैं। पूरा सदन चिंतित है।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है अमरजीत जी। आपको अवसर इसलिए दिया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डॉ. रमन सिंह जी ने आपको अवसर नहीं दिया। इसलिए आपको पूरा अवसर है। जो बोलना है बोल लो, उसके बाद में बोलना शुरू करेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- और अजय भाई जब भी भाषण देते हैं तो इनका हाथ अपने पीछे रहता है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :-चलिए-चलिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि प्रदेशाध्यक्ष बनने वाले हैं इस कॉम्पिटीशन में हैं, इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं।

असंशोधित/संशोधन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचम विधान सभा गठित हुई। माननीय भूपेश बघेल जी बहुमत दल के नेता चुने गये। प्रथम बजट भाषण हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहने के लिए बजट सत्र में 3 महत्वपूर्ण अवसर होते हैं। जब वे बजट में चर्चा का उत्तर देते हैं। छत्तीसगढ़ में चूंकि मुख्यमंत्रीगण विभाग अपने पास रखे रहते हैं। अपने विभाग का उत्तर देते हैं और विनियोग पर उत्तर देते हैं। मैं पंचम विधान सभा के नेता माननीय भूपेश बघेल जी को बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करूंगा कि वे जन आग्रहों पर जन आकांक्षाओं पर खरे उतरें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सदस्य जी जेब में हाथ डालकर क्यों रखे हैं? क्या अंदर कुछ गिर रहा है?

श्री अमरजीत भगत :- केवल जेब में नहीं रखते हैं। पीछे भी ऐसे उंगली करके रखते हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- और ऊपर सिर में भी हाथ घुमा रहे हैं। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- अब अजय चन्द्राकर जी हाथ कहां रखे हैं, इस पर अमरजीत को ज्यादा चिंता है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- कल पोरस से लेकर, टाइटैनिक से लेकर, सिकंदर से लेकर सबकी बात हुई। मैं उसमें भी बात करूंगा पर छत्तीसगढ़ में चूंकि माननीय भूपेश बघेल जी दार्शनिक पृष्ठभूमि के स्पीरिक्चूअल परिवार से आते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी सामान्य प्रशासन मंत्री भी हैं और सामान्य प्रशासन मंत्री के पास राज्य के प्रतीत चुनने के, पशु को चुनने के, कैप्शन लाइन को चुनने के, तय करने के अधिकार रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में मतलब बहुत सारे दर्शन हिन्दुस्तान की धरती पर जो आये, उसमें एक दर्शन चारवाक दर्शन था। अभी इनके संस्कृति मंत्री नहीं हैं, संस्कृति मंत्री जी को एक ही लाईन याद है कि बाहर के कलाकार नहीं बुलायेंगे। मुख्यमंत्री जी कल हस्तक्षेप किया। मैं उसमें उल्लेख करूंगा। कुछ पूछो तो आबकारी मंत्री जी ने जैसे तय कर लिया है और बोलते हैं कि नोटबंदी जैसे शराबबंदी नहीं करेंगे, एक टैग लाईन पकड़ ली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में दर्शन में छत्तीसगढ़ के वल्लाभाचार्य जी ने द्वेतादेत का प्रतिपादन किया। तो चारवाक दर्शन की जो प्रमुख लाईन है, यह छत्तीसगढ़ को भारतीय दर्शन की एक देन है। मैं चारवाक दर्शन के एक सुप्रसिद्ध लाईन को आपको समर्पित करना चाहता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपने कार्यालय के सामने छत्तीसगढ़ के बाहर, जिधर बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं, हर प्रमुख चौराहे और अपने हर विज्ञापन में उसको लिखें।

" यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत:।।
त्रयोवेदस्य कर्तारो भण्ड धूर्तनिशाचरा:।"

अप्रमाणित/असंशोधित के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब एक लाईन में यह है कि ...।

श्री बृहस्पत सिंह :- उसको हिन्दी या छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करके बता दो न भाई, हम लोग भी समझ लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, आप आसंदी से बोलिये किसी को भाषण देने के लिए आपने आज्ञा दी है। ये बीच-बीच में रोकने-टोकने से क्या होगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है, बढ़िया चलने दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह बोल रहे हैं तो सुने। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी मैं उस सब पर बोलूंगा। आज विनियोग है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बोलने दीजिये न।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- आदरणीय धर्मजीत भैय्या, हम लोग भी यही चाहते हैं। हर प्रश्न में तो अजय जी खड़े हो जाते हैं। हर बात में अजय जी खड़े हो जाते हैं। ....(व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- माननीय चन्द्राकर जी भी बीच-बीच में खड़े होकर बोलते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- छत्तीसगढ़ी या हिन्दी में अनुवाद करके बताईये ताकि हम सब लोग समझ सकें।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो घड़ी देखकर बोलूंगा नहीं, और आज बैठूंगा नहीं, जब तक बात पूरी नहीं होगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह इतनी ऊंची भाषा में संस्कृत में बोल रहे हैं। आपने संस्कृत को खत्म करके अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया। आप संस्कृत समझ कहां रहे हो?

अध्यक्ष महोदय :- वह हिन्दी में इसलिए चाहते हैं, छत्तीसगढ़ी में बता दो।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह तो ट्रांसलेट कर रहे हैं न।

अध्यक्ष महोदय :- बैठ जाओ भाई।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- हम संस्कृत के विरोधी नहीं हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- हम सब लोग समझ सके, अनुवाद करके बताते जाईये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अभी तसे अनेका वक्तव्यं। (हंसी)

श्री संतराम नेताम :- किम भाषते ? (हंसी)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चारवार की उक्ति है, उसको या तो चिंतामणी महाराज समझेंगे या सत्तू भैय्या समझेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप सबको समझाने की भाषा में बोल दीजिये। सबको समझ में आये, ऐसी भाषा में बोलिये।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- चिंतामणी महाराज समझ सकते हैं, सत्तू भैय्या गड़बड़ रामायण वाले हैं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शिष्य हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जी। (हंसी) आपका।

अध्यक्ष महोदय :- समझ नहीं पाया।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको इसमें कबीर की पंक्ति भी सुनाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं आपका शिष्य हूं, कहा उसको बता देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी सीखता हूँ। जब पहली बार विधायक बना तो राजेन्द्र प्रसाद जी शुक्ल को श्रद्धा से स्मरण कर देता हूँ। मैंने पूछा कि यह विनियोग क्या होता है, मुझे एक शब्द में समझाओ, मुझे भाषण देना है। तो बोले कि मैं एक लाईन में बताता हूँ, आपने खजाना दे दिया, विनियोग मतलब खजाने की चाबी देंगे। चाबी क्यों देना है, यह आपको बताना है। उस दिन से उस सूत्र वाक्य को ग्रहण कर लिया। आप आसंदी पर हैं, इसलिए आपको अपना शिष्य कहा। आपके कक्ष में जाकर ऐसे उनके साथ बैठते हैं तो सीखने का ही अवसर मिलता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मनुष्य जब तक जीवित रहे, सुखपूर्वक जीये। यदि नहीं है तो ऋण करके भी घी पीये। मैं यह लाईन बोलना चाहता था, माननीय भूपेश बघेल जी। चारवाक की इस लाईन को छत्तीसगढ़ शासन का सूक्ति वाक्य बना लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से उसका शार्ट में है।

श्री बृहस्पत सिंह :- जिसको घी श्यूट न करे वह क्या करे ?

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। उसका संक्षिप्त में शायद और कोई दूसरा है। **"यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्या घृतं पिबेत।"** आपने कुछ लंबा कर दिया, इसलिए समझ में नहीं आया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल, इसीलिए मैंने अपने आपको शिष्य कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक-परलोक कुछ नहीं होता। जब तक हो तब तक ऐश करो। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं "कथरी ओढ़के घी पीओ" तो यह जो नई शासन संस्कृति विकसित हुई है, वह एक उपहार संस्कृति है। मैं उपहार संस्कृति में बात करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब चारवाक दर्शन में एक बात है चारूवाक। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, काफी सीनियर हैं। अब चारूवाक, यदि उसको पसंद में आने वाली बात हो तो भी कर सकता हूँ, आपके जितने लोग हैं, मैं उससे ज्यादा आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ, लेकिन जो महत्पूर्ण । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी काफी विद्वान हैं, मुख्यमंत्री जी काफी विद्वान हैं, जिनकी मैं श्रद्धा करता हूं,

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सामने बैठे हैं। हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की वेस्टमिंस्टर प्रणाली स्वीकार की है । जो सेवक स्थायी तौर पर काम करते हैं, उसकी निगरानी के लिए जनता चुनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को सेवक नहीं कहा, मैं इस बात को बताऊंगा । जनता सेवक चुनती है, जिसमें पक्ष भी होते हैं, विपक्ष भी होते हैं। विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कोई असंतुष्टि नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है, उस प्रणाली में किसी के सहयोगी के रूठने का भी डर नहीं है और हम अपने बात को कहने के लिए विधान सभा की प्रक्रिया के अंतर्गत जो सबसे बड़ा मोशन स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव होता है, उसके अतिरिक्त जनता के बीच जाकर सरकार की असफलता या उस सिस्टम की असफलता पर बोल सकते हैं, जन-जागरण कर सकते हैं । ये संसदीय प्रणाली की आत्मा है, संसदीय प्रणाली में असहमत होने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सत्तारूढ़ दल की जवाबदेही विपक्ष के प्रति है । ये जिस संसदीय प्रणाली को हमने स्वीकार किया है, उसकी मूल आत्मा है । मैंने कहा कि अभिनंदन किया है और जिस असहमति से भूपेश बघेल जी का जन्म हुआ, जिस असहमति से आप बार-बार कहते हैं कि 15 साल में 15 लोग आये हैं तो ये लोकतंत्र की खुबसूरती है और उस असहमति को कुचलने की शुरूआत भूपेश बघेल जी ने की, ये अच्छी बात नहीं है । वह असहमति की उपज है और ये लोकतंत्र की उपज है । इसीलिए मैंने पहले बधाई दी ।

श्री अमरजीत भगत :- असहमति और बधाई दोनों एक साथ कैसे होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब वेस्टमिंस्टर प्रणाली को आप तीनों भूपेश बघेल जी, इनसे पूछ लीजिएगा, विपक्ष की भूमिका के बारे में सत्यनारायण जी से भी आपको ज्ञान मिल जायेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- 15 सालों से विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, विपक्ष की भूमिका को जानते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कहा कि मैं शिष्य हूं ।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- सहमति के बाद असहमति हो ही नहीं सकता। आपकी सहमति के बाद असहमति कैसे हो गया ।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन असहमति और बधाई दोनों एक साथ कैसे हो गया ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना भाषण दीजिए । देखिए, मैंने आपको अभी भाषण देने के लिए आपका नाम लिया है, दूसरे सदस्यों को तभी तब तक बोलने का अधिकार है, जब उनको अनुमति दूंगा । उनको मेरी अनुमति के बिना नहीं बोलना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी । अध्यक्ष महोदय, जैसा आप कहेंगे, मैं उसका पालन करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आप उनकी बात सुनने के लिए बैठ जाते हैं, तब वे बोल सकते हैं, अन्यथा वे नहीं बोल सकते, इस बात का ध्यान रखिए।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बनने के बाद मैंने माननीय भूपेश बघेल जी का जनता के नाम का पत्र पढ़ा । पहला विज्ञापन आया, पूरे पेज भरे थे । मैं देख रहा था कि उसमें कोई नीतिगत चीजें हैं क्या, सरकार का कोई दस्तावेज है क्या, सरकार का कोई विजन दिखता है क्या ? संघर्षों में आपने एक से एक बढ़कर नीतिगत कार्यक्रम को सदन में उठाया । आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए, किसी तथा-कथित अव्यवस्था हो या व्यवस्था हो, हमारा और आपका दृष्टिकोण हो सकता है, पर एक छोटे-छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर को, जो कोई भी एक आदमी, जिसके लिए भूपेश बघेल जैसे संघर्षशील योद्धा की जरूरत नहीं थी । एक छोटे-छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर को जनता के नाम पत्र लिखकर ऐसे प्रचारित किया गया कि छत्तीसगढ़ में रात भर में यवनिका का पतन हो गया और बिल्कुल एक दूसरी दुखांत नाटक खतम हो गयी और एक नया दृश्य आ गया, जिसमें बिल्कुल एक राजा प्रकट हुआ, जो सब कुछ जादू के बल में एक चिट्ठी में बदल दिया । माननीय मुख्यमंत्री जी, कल आपने कहा कि हमने 60 प्रतिशत वादा पूरा कर दिया । आपने कहा कि हमने 16 लाख से अधिक किसानों के ऋण माफ किया । ऋण में बहुत बात हुई है, उसे विनियोग विधेयक में मैं दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा, आपको मालूम है कि विनियोग में नई बात कहने की कोशिश होती है । आप जब यहां विपक्ष में थे तो 36 लाख किसान गिनते थे, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसान कहां हैं ? आप 16 लाख किसान की बात कर रहे हैं, बाकी 20 लाख किसान कहां हैं और क्या जो आपने गंगा जल पीकर कसम खाई थी, जो किसी राजनीतिक पार्टी का, राजनीतिक दल का, जिस प्रणाली का मैंने उल्लेख किया है, हम जनता के साथ कोई वायदे करते हैं तो क्या आपने अल्पकालीक ऋण माफी का वादा किया था क्या ? मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा कि आपने मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋणों के बारे में बात की थी या नहीं की थी । ये बात अलग है कि आप पांच साल के लिए दस्तावेज जारी किये हैं तो भाषण में चूंकि ये पहला खजाना आपको मिलने वाला है तो ये जरूर बताएंगे, जब आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर लिख सकते हैं, अगले साल आयेगा, आप इस साल बोल सकते हैं, यह भी बता सकते हैं कि पांचवे साल तक मध्यमकालीन और दीर्घकालिक ऋणों को माफ करूंगा । हम स्वागत करेंगे ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- दीर्घकालीन ऋण आपका तो नहीं है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय से मुझको निर्देश प्राप्त हो गये हैं । कल डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्वागत किया । जब मैंने विपक्ष की भूमिका की बात की तो विपक्ष सकारात्मक भी होता है । 2500 क्विंटल का स्वागत हुआ, हम भी स्वागत करते हैं कि आपने देने की कोशिश की । तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाया, हम भी स्वागत करते हैं, एक्जिक्यूटिव आर्डर है, आपके पास पैसे हैं, नीतिगत नहीं है, कुछ भी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, टाटा के जमीन को आपने वापस कर दिया ।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

प्रश्नों पर चर्चा हुई । लोहाण्डीगुड़ा का किया, टाटा का किया, किसका किया, नहीं मालूम । 700 हेक्टेअर जमीन अभी भी है । मेरे जैसा आदमी पसंद तब करता, जब टाटा का है, उसको वापस कर देते, बस्तर के लिए कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण आप भाषण में रखते । टाटा के विकल्प पर दूसरे जो जमीन शेष हैं या नई जमीन अधिग्रहित करके हम बस्तर या सुदूर आदिवासी अंचल में औद्योगीकरण के लिए सामानान्तर या कांग्रेसपार्टी का या नवनियुक्त मुख्यमंत्री का एक दृष्टिकोण दस्तावेज है,एक विजन डाकुमेंटस है । दुर्भाग्य से एक वाहवाहीऔर ताली के छोड़ कोई विजन डाकुमेंटस बस्तर के औद्योगीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है । वन अधिकार पटटो के निरस्त की पुन: जांच करिये । इसमें कौन सा नीतिगत निर्णय है । नीतिगत निर्णय क्या है, सब प्रशासनिक आदेश है । छोटे भूखण्डों की खरीदी-बिक्री पर हमने रोक लगा दी, आपने खोल दी । माननीय अध्यक्ष महोदय, झीरम घटना, नॉन घोटाले की एस.आई.टी. जांच ।

श्रीसत्यनारायण शर्मा :- छोटे भूखण्डों पर रोक क्यों लगाई ? उसके पीछे कारण तो बताईये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, झीरम घटना है, घोटाला नहीं है ।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, यह हमेंशा डायस से निकलकर बात करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी तरफ दिखाईये, वह क्या है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आप ही के तरफ देखकर बोल रहा हूँ । मैं उसको छोड़ देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या है वह ?

श्री अजय चन्द्राकर :- एक पत्र जो आपने विज्ञापन के माध्यम से जनता को लिखा था, वह है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं झीरम के बारे में बोलने से बचता हूँ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईन्ट आफ आर्डर है । पाईन्ट आफ आर्डर यह है कि अखबार की कतरन को दिखाकर आप कार्यवाही में भाग ले सकते हैं क्या ? अखबार की कतरन को आधार बना रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- छोड़ दूंगा, उसको । छोड़ दूंगा । मैं ऐसे ही बोल दूंगा, बिना कोई दस्तावेज के ।

अध्यक्ष महोदय :- हां तो बोलिये ना । क्या दिक्कत है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसे ही बोल दूंगा, कोई चिन्ता नहीं है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आधारहीन बातों को भी बोलकर सदन का समय बरबाद कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- सदन का समय बरबाद नहीं कर रहे हैं, अच्छा भाषण दे रहे हैं । आप भी सुनिये ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे थोड़े दिन गृह मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि आज तक इसको सी.बी.आई. जांच से क्यों रोका गया ? उसी समय बिना बातचीत के सी.बी.आई. की घोषणा की थी । मैं कारण में नहीं जाना चाहता । मैं इसमें इस बात का पक्षधर हूँ कि उपलब्धियां प्रचार का विषय नहीं है । इसमें जो कर सकते हैं आप करिये । यह पत्र लिखने का विषय नहीं है । क्या आप उन शहीदों का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह मेरे भी शहीद हैं, छत्तीसगढ़ के भी शहीद हैं, वे नक्सलियों के जितने भी दुश्मन थे, हम भी दुश्मन हैं । वैचारिक लड़ाई दूसरी जगह में लड़ी जा सकती है, इस तरह की घटनाओं को चिटठी लिखकर राजनीतिक तौर पर प्रचारित करने का अधिकार आपको कोई नहीं देता । नॉन घोटाले पर ...।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- खुद कर सकते हैं । कितना बड़ा घपला किया है, जनसंपर्क विभाग में ?

श्री बृहस्पत सिंह :- जब इनकी सरकार थी, सुरक्षा हटाया क्यों गया ? अगर सुरक्षा नहीं हटाया गया होता तो घटना क्यों होता ?

श्री अजय चन्द्राकर :- चूंकि नेता प्रतिपक्ष नॉन पर गये हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि जो निर्णय होगा, जैसा होगा, मेरे जैसे आदमी को कोई आपत्ति नहीं है । जिला खनिज संस्थान के अधिकारी, आपने कलेक्टर को हटा दिया, आपने प्रभारी मंत्री को रख दिया, कोई बात नहीं । दुरूपयोग हुये, दुरूपयोग हुये, । ठीक है । ऐसा कोई सिस्टम बता दीजिए, जिसमें दुरूपयोग, फुलप्रूफ सिस्टम, ऐसी विचारधारा बता दीजिए, जो फुलप्रूफ सही है । कोई ऐसी शासन प्रणाली बता दीजिए, जो फुल प्रूफ सही है । आपने उसे हटाकर दूसरे व्यक्ति को नामित कर दिया, उसके बाद उसके उपयोग के लिए क्या दिशानिर्देश जारी हुये । तब पूछा जायेगा कि वह आराम से जारी होंगे । ठीक है, कोई बात नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय में प्राध्यापकों की भर्ती । मैंने उस दिन भी कहा था कि इसमें सरकार को श्रेय मिलना चाहिए। ये 60 दिन की अवधि में पत्र लिखे गये उस दिन के नहीं थे। मैं तो मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वह चिट्ठी लिखते। ये 1184 जितने पद हैं उसके अतिरिक्त शेष महाविद्यालयों के सारे पदों को ये सरकार इतने दिन में भर देगी तो शायद मैं उस बात का अभी स्वागत करता। चिटफंड कंपनियां- आज मेरे एक प्रश्न में उत्तर में माननीय गृहमंत्री जी का जवाब आया है कि आपने 60 प्रतिशत पूरा कर दिया। सत्यनारायण जी शायद इसमें भी आपत्ति ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि माननीय राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जी ने कहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने नहीं बताया, उन्होंने मुझे बताया था।

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने आपको बताया और उसको आपने मान लिया और बात सही भी है कि विनियोग का अर्थ ये होता है कि चाबी सौंपना। तो जब भी चाबी आप सौंपेंगे तो कुछ सुझाव के साथ सौंपेंगे या आरोप के साथ सौंपेंगे?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, हम लोग तो चाबी सौंपना नहीं चाहते।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि इनको चाबी क्यों सौंपा जाए, चाबी क्यों दिया जाए? यह उनकी विश्वसनीयता झलकनी चाहिए इसी बात को तो अजय चन्द्राकर जी बोल रहे हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, क्या बात करेंगे, खुद डाका डलवाते हो और बात करते हो।

अध्यक्ष महोदय :- मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सासू जी, बहू को चाबी सौंपती हैं तो और कुछ सुझाव के साथ सौंपती हैं। उसी प्रकार आप कुछ सुझाव के साथ सौंपिए। पूरा आरोप मत लगाईये। यह मेरा कहना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं शुभकामना दिया और आखिरी में भी दूंगा और शासन जिस दिन पहल करेगा, मैंने स्वागत भी किया है वह जो सुझाव लेना चाहेंगे हम देंगे। मैंने कहा कि बहुमत के आधार पर इधर और उधर होता है। हम सब सेवक हैं। लेकिन ठीक है आपका कहना। कल बताया कि 60 प्रतिशत घोषणा पूरी हो गई। यदि जनघोषणा पत्र पढेंगे तो चिटफंड की केस वापसी और उनके पैसे की वापसी लिखा है। मैं कल जनघोषणा पत्र का उल्लेख नहीं किया था, चलिए, आज भी नहीं करूंगा। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आया है कि दो लाख 27 हजार 334 मुकदमें दर्ज हैं। आपने कितने मुकदमें वापस ले लिये? और जो पैसे वापस करने है उसे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि वह बहुत लंबा चौंड़ा है और परिशिष्ट में है और आठ अरब रूपये से ज्यादा है। आप निवेशकों को 8 अरब रूपये की राशि पांच साल में वापस कर दीजिए, मेरा और विपक्ष का पूरा समर्थन और सहयोग है। कहीं पर उसमें असहमति नहीं है। आप सुझाव की बात कह रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजिम कुंभ पर एक लाईन बोल देता हूं और सदन पर भी बोल देता हूं। नाम बदलना है ठीक है, आपकी नाम में असहमति हो सकती है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नाम बदले नहीं गये हैं, सुधारे गये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी दिन, अब जो भी परिस्थितियां हैं चर्चा हो गई है, सरकार का पहला लेजिस्लेशन कैसा हुआ? सरकार की गंभीरता कैसी थी? और जब लेजिस्लेशन में बात कर रहा हूं तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जरूर उल्लेख करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उल्लेख करूंगा इसलिए कि हम सब मिलकर 2-2 बजे रात तक विधानसभा में बैठे हैं और बैठेंगे, उसमें असहमति नहीं है पर जब आप उपलब्धियों में लेजिस्लेटिव कार्य को लिखते हैं तो

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपको जनता को यह बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में इन 30 दिनों में तीसरे हप्ते में क्या महत्वपूर्ण घटना घटी। मैं सहयोग दूंगा, हमारा दल सहयोग देगा कि किताब जमा नहीं है इसलिए हाऊस स्थगित। सदन में मंत्री नहीं हैं इसलिए हाऊस स्थगित। कौन सा संसदीय मापदंड सरकार बनाना चाहती है? यह आसंदी का अपमान करती है या विधानसभा का अपमान करती है या लोगों का अपमान करती है? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जिसे मैं कहता हूं कि आप मेरे नेता हैं मैंने आपसे सीखा है, मैंने आपसे जाना है इतना बढ़िया शानदार प्रदर्शन कि आज एक प्रदेश सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विद्वान अतिसक्रिय मंत्री जो हैं, घड़ी देखकर बोल रहे थे, ऐसा (कलाई की ओर इशारा) और आप मौजूद थे, हम हल्ला नहीं कर रहे थे तो भी कह रहे थे कि हल्ला कर रहे हैं और मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। चौथी बात- सारे मंत्री हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, चुनकर आये हैं। हम उनके जनमत का सम्मान करते हैं। संसदीय कार्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि संसदीय कार्य में आलोचना का स्थान क्या है। पहली बार यह घटना घट रही है कि एकाध -दो माननीय मंत्रीगणों को छोड़कर सारे लोग ऐसा पढ़ रहे हैं और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस सदन की गरिमा सर्वोपरि है और सरकार इस सदन की गरिमा के बारे में गंभीर नहीं रही है।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, बिना देखें आंकड़ा कैसे पढ़ेंगे ? आप ही बताईये न, आंकड़ा तो देखना ही पड़ेगा।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात को बोल रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, श्री सत्यनारायण शर्मा जी मुझे विनियोग में बोलने के लिये आपसे शिक्षा की जरूरत नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, 15 साल सरकार में रहने के बाद आप आंकड़ा नहीं पढ़ पाये। आप जवाब नहीं दे पाये।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भी बात नहीं सीख सकता, मैं हमेशा विद्यार्थी भाव रखता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, आप खाली गलत सलत बात सीखतें हैं। अच्छी अच्छी बात सीखिये न।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, पत्रकार सुरक्षा कानून, मैं कल एक शब्द इस्तेमाल किया था। आपको समर्पित कर देता हूं। शब्दों की सत्ता के वे मालिक हैं। कार्य करने की सुरक्षा, बेहतर जीवन उसका जोखिम आप जो पाकिस्तान में रिपोर्ट कर रहे हैं, जो सीरिया में रिपोर्ट करते हैं, बस्तर में रिपोर्ट करते हैं, जान ऐसी हथेली में रहती है। करिये, आपने क्या किया है, चिट्ठी लिख दिया, प्रेम, पाति बिल्कुल मेरे प्रिय छत्तीसगढ़ के वासी।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, इतना धीरे बोलेंगे तो कैसे काम बनेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसलिए ऐसा धीरे बोल रहे हैं कि कोई सुन न लें। जो किये हैं वे बात को सुन न लें।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब चले गये न, मुख्यमंत्री जी चले गये। सरकारी कामों में मितव्ययिता। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो 31 जनवरी तक के घाटे का अनुमान है। मार्च तक देखिये आप, हम और मितव्ययिता बरतेंगे। क्या मितव्ययिता बरतेंगे, कितना बचा लेंगे ? इसीलिये मैंने कहा कि ये 11 पाती है उसको 15 बिन्दुओं पर बोला। अब मैं दूसरी ओर बात कर रहा हूं।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं सभा सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

(3) <u>छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) (क्रमशः)</u>

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इतना बड़ा खजाना हम 90 हजार 91 हजार करोड़ रूपये का देंगे। इस प्रदेश में दो तिहाई, तीन चौथाई बहुमत के बाद भी राजनीति की स्थिरता है। सारी ब्यूरोक्रेसी सारी जनता, कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। सब असमंजस की स्थिति में है। सब उहापोह की स्थिति में हैं। राजनीति की स्थिरता किस तरह की है, पेपर में रोज छप रहा है कि प्रदेश में ढाई ढाई साल के लिये मुख्यमंत्री बनाये गये हैं। अब ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री के कारण वह ब्यूरोक्रेसी निर्णय नहीं ले पा रही है। जो लोग मंत्री बनना चाहते हैं वे किसकी परिक्रमा करें, तय नहीं कर पा रहे हैं। जनता असमंजस में है कि हमारा काम स्वीकृति होगा, दूसरा, तीसरा तो निरस्त नहीं कर देंगे। आदमी बिल्कुल कोकड़ा जैसे ऐसे देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव हो जाने दो। एक को एयरपोर्ट से बुला लिये वे अलग बात कर रहे हैं। ये राजनीति की स्थिरता के कारण इस अस्थिर सरकार को खजाने की चाबी देना मतलब खजाना लुटवाना है। ढाई साल की सुख सुविधा नहीं मालूम, ये किस हद तक चल दें। माननीय गृहमंत्री जी, सी.एस की टेलीफोन टेपिंग । मैं थोड़े दिन गृहमंत्री रहा, छोटा सा प्रशासन का अनुभव है, मुझको आपकी तरह ज्यादा अनुभव नहीं है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, और क्या क्या मंत्री रहे हैं वे भी बता दें?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो जानकारी है, चीफ सेक्रेटरी और गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी होती है। ये बहुत गंभीर विषय है। तात्कालिन सी.एस. के फोन टेप हो रहे थे तो उसने किसके ऊपर कार्यवाही की, किसके ऊपर नहीं कि और क्यों नहीं की ? आज उस बात को जाहिर करके वे क्या बताना चाहते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.एस की अध्यक्षता में कमेटी बनती है। जो सी.एस थे और जिसने मुख्यमंत्री जी के पास शंका व्यक्त की थी। वही तो आज सबसे बड़े सलाहकार हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको आगे बोलेंगे। सी.एस ने कार्यवाही क्यों नहीं कि ये जांच का विषय है। ये दोषारोपण ऐसी हवा हवाई नहीं किया जा सकता। राज्य की आंतरिक सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा से महत्वपूर्ण है। उसका परिणाम परिणाम क्या है कि वे बोलते थे वाट्सप काल करते थे। जिस तरह से वाट्सप काल करके आपको बता रहे थे, आपकी बात वाट्सप काल से उधर जा रही है। असली मामला ये है। सावधान रहिये, सतर्क रहिये और वैसे जो लोग हैं, जो प्रभाव में हैं और टेपिंग हो रही है, कार्यवाही नहीं करते। आज उस पर आपको नियमत: जांच करवानी चाहिए, जिन लोगों ने किया है । मैं ये सोचता हूं कि जिस तरह से आप बहुमत मे आये हैं, जिस तरह से आपको विश्वास प्राप्त है आप जरूर करेंगे। मैं विनियोग पढ़ रहा था । आप भी पढ़ लीजिए। मैं तो सिर्फ सोचा था। शुरूआत में कितनी कमी हुई ये पढ़ता था। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य या शिक्षा लोककल्याणी सरकार जिसको कहते हैं सरकार ने तय किया है कि 6 प्रतिशत जी.डी.पी. का हो, इसमें कम से कम 3 प्रतिशत व्यय हो। आप विनियोग में देख लीजिए, उसमें राजस्व व्यय, पूंजी व्यय लिखा है पूंजी व्यय में आधे से ज्यादा में आपको शून्य-शून्य। इतने शून्य है कि मैं पढ़ नहीं पाया। इसलिए मैं उसको जानता नहीं। क्योंकि कल आर्थिक मामलों में इतनी बहस हो गई कि मुझे शून्य-शून्य भर पढ़ना है। मैं शून्य में क्या बोलूंगा, भले ये माना जाता है कि शून्य भी छत्तीसगढ़ से पैदा हुआ। माननीय संस्कृति मंत्री जी कहां हैं? उनको छत्तीसगढ़ के कलाकारों को छोड़ कुछ मालूम नहीं है। वे बाहर के लोगों को नहीं बुलाना है। जब नागार्जुन सिरपुर में थे तो शून्यवाद का प्रवर्तक उसी को माना जाता है। शून्यवाद भी पैदा हुआ तो छत्तीसगढ़ की धरती से पैदा हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात बहुत होती है। माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कहां चले गये? मालूम नहीं। आउट सोर्सिंग। हो-हो। हमारे जोगी जी चले गये, वह भी आउट सोर्सिंग के पुरजोर योद्धा थे।

श्री बृहस्पत सिंह:- आउट सोर्सिंग बहुत बढ़िया काम किये थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- आउट सोर्सिंग तो मंत्रिमण्डल ही था। पूरी सरकार आउट सोर्सिंग में चल रही थी।

श्री संतराम नेताम :- प्रशासन में बड़े-बड़े अधिकारी भी आउट सोर्सिंग से आये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जरूर जानना चाहूंगा कि आज आप सत्ता में है। आउट सोर्सिंग का मतलब क्या है ? आउट सोर्सिंग में कितने लोग किस पद में काम कर रहे हैं ? और कितने लोगों को आपने निकाला है ? और नहीं निकाला है तो आज तक क्यों नहीं निकाला ? ये प्रदेश की जनता, जो आपने प्रदेश भर में भ्रम फैलाया, वह भ्रम टूटेगा या टूट गया है। ये हम लोग जरूर जानना चाहेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह:- माननीय आउट सोर्सिंग का मतलब बता दीजिए ? आउट सोर्सिंग में शिक्षाकर्मी काम करते थे जो शिक्षक बन गये। उनको 25 हजार सरकार देती थी और उनको 16 हजार मिलता था, 9 हजार कमीशन, उसको तो आउट सोर्सिंग नहीं बोलते हैं ? उनको 28 हजार रुपये में 14 हजार रुपये मिलता था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन जैसे आदमी समझ रहा है तो आपको समझ में नहीं आता है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आउट सोर्सिंग के बारे में जरूर बोलें। वह व्यक्ति है आउट सोर्सिंग, संस्था है, सेवा प्रदाता है और कितने को हटायेंगे, कितने को रखेंगे ? उसका मतलब क्या था ? और वे किस मुद्दे पर आन्दोलन करते थे और उसमें उसका रूख क्या है ? ये हम जरूर जानना चाहेंगे ? आज का समाचार पत्र आप पढ़ेंगे तो उस समाचार पत्र में लिखा है कि मंत्री के विडियो हमारे पास मौजूद हैं। कल एक बात हुई और तत्काल 2-4 इधर के, माननीय विधायकों के लिए वैसा शब्द कहना अच्छा नहीं है। कोई वैक्लपिक शब्द दिमाग मे आएगा तो खोजूंगा। मैं फ्लेटरर कहना चाहता था, मैं खुद महसूस करता हूँ।

श्री बृहस्पत सिंह:- आप सोच लीजिए। शब्द खोजने के लिए सोच रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा नहीं है। मैं कुछ दूसरा सोचकर बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर में छपा है कि हमारे पास विडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जब सीमेंट के दाम की वृद्धि हुई तो आपने कहा और 4 लोग खड़े हो गये कि साहब दिल्ली में चुनाव हो रहा है, इसलिए सीमेंट के दर बढ़े हैं। वाह भई वाह। चलिये, ठीक है साहब, हमने तो चुपचाप सुना। हमने तो कभी टोका भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार कहा कि वह 60 साल नहीं, 60 महीने हैं, आप शायद कहना चाह रहे हैं। माननीय लखमा जी नहीं है। देशी शराब का ठेका होगा, ये पेपर में छपा है और

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

पेपर लिखा है, उसके ऑडियो मौजूद हैं। ये नीति किस चुनाव के लिए है ? क्या सेन्ट्रल चुनाव के जजिया कर पटाने के लिए है ? यदि नीति घोषित नहीं हुई और यदि मंत्री जवाबदारी से बोल रहा है तो इसको क्या माना जाए ? कौन से चुनाव के लिए है ? यह कौन सा जजिया कर पटाने के लिए है ? रोज तगादा आ रहा है देश में चुनाव हो रहे हैं, आप पैसे दे दीजिए। उसके लिए ये नीति लायी जा रही है ?माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को ये सुझाव दे देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने असमति के सम्मान से बात कही। एक सहिष्णुता शब्द अभी 3-4 सालों में छत्तीसगढ़, हिन्दुस्तान की राजनीति में बहुत आया है। माननीय भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उनका बयान आया कि कोई मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मत जाये। मैं इस बात को कहूंगा क्या आज मुख्यमंत्री बनने के बाद वो इस बात को कहेंगे, इस बात को साबित करेंगे कि वह राजनीतिक सहिष्णुता थी या असहिष्णुता थी ? या मुझे, इस दल कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, मैं अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहूंगा। आप मुझे मना कर दीजिए कि आप मेरे कार्यक्रम में मत आईये। मैं नहीं जाऊंगा। आप ही कहेंगे तब। लेकिन मैं ये गर्व करता हूं कि प्रदेश में मेरा मुख्यमंत्री बना है। आप उस गर्व को महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, यह आपके ऊपर है। मेरे ऊपर नहीं है, आप कौन सी कार्यसंस्कृति पैदा करना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मैं अभी हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उसका उल्लेख क्यों करूंगा ?

श्री भूपेश बघेल :- आपने कहा न कि थे, मैं अभी भी हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी कड़ी में ये लगे हैं कि ये अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच आपने शायद परसों नहीं देखी, प्रश्नकाल में कहा कि इसका मुख्यमंत्री, मैंने उसी समय मुख्यमंत्री जी को टोका था। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, चाहे कोई भी हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी राजनीतिक सहिष्णुता एक उदाहरण से बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो विद्वान सदस्य हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं साहब, मैं आपका शिष्य हूं। इधर का शिष्य हूं और उनका भी शिष्य हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो आपका विस्तृत भाषण है, उसको थोड़ा

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संक्षिप्त कर दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल संक्षिप्त कर दूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- महोदय, कहां शिष्य, ये तो चेला चीनी हो गया और बाकी गुड रह गये। आजकल बहुत ऊंचे-ऊंचे लोग का कान काट रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक सहिष्णुता में एक बात कहता हूं। प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी बाजपेयी जी ने शुरू की। यू.पी.ए. सरकार ने भी जारी रखा। जब सुषमा स्वराज जी थीं तो रायपुर एम्स घोषित हुआ, जनाब गुलाब नबी आजाद जी उसका उद्घाटन करने आये थे, सरकार ने बंद नहीं किया। मुरली मनोहर जोशी जी यदि सर्वशिक्षा अभियान लाये तो यू.पी.ए. सरकार ने 10 साल में भी सर्वशिक्षा अभियान लागू करके रखी। राजनीतिक सहिष्णुता ये होती है कि पूर्व सरकार ने यदि जनहित में कोई घोषणा की है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है, किसी दल के नेता ने नहीं की है। आज जब उत्तर आता है, आज ही उत्तर में आ रहा था कि समीक्षा की जायेगी। इसको की जायेगी, उसको की जायेगी। ये काम भाजपा के विधायक के नहीं हैं, ये कांग्रेस के विधायक के नहीं हैं, मैंने शुरू में वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली में कहा कि हम जनता के सेवक चुनकर आते हैं। आप बहुमत में उधर हैं, हम अल्पमत में इधर हैं, दोनों का काम स्थायी सरकार की निगरानी का है। भूमिकायें अलग-अलग हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं ? मैंने पूरे अनुदान मांग में कुरूद में ये होना चाहिए नहीं कहा। लेकिन मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि कुरूद, पाटन, साजा में कोई घोषणा की होगी, इसके में की होगी, इसके में की होगी, तो उसका सम्मान होना चाहिए, वह प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा थी, किसी रमन सिंह जी की घोषणा नहीं थी। आज भूपेश बघेल जी घोषणा करेंगे तो भूपेश बघेल जी की घोषणा नहीं है, उस अथारिटी की घोषणा है जिसका पूरा प्रदेश सम्मान करता है, संस्थायें सम्मान करती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल पोरस, सिंकदर, टाईटेनिक की बात आई। पोरस, सिकंदर, सेल्यूकस, चाणक्य, घनानंद, चंन्द्रगुप्त ये सब समकालीन थे। एक राक्षस था, जो घनानंद का भी मंत्री था, बाद में घनानंद के पतन के बाद चन्द्रगुप्त का भी मंत्री बना। चाणक्य हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं, अध्यक्ष महोदय, विशाखदत्त का मुद्राराक्षस पढ़ लीजियेगा, आपकी योग्यता शासन के लिए जरूरी है, आप आईये, शासन कीजिए। आज जो आपको लिखकर दे रहे हैं, ए.सी.एस., वित्त अधिकारी या कोई भी, वह हमको भी लिखकर देते थे। आज उस ब्यूरोक्रेसी का सम्मान करने के बजाय, उस योग्यता का सम्मान करने के बजाय निर्णय राजनीति लेती है, आप लेते हैं, वह नहीं लेते। आप उनसे बदला निकाल रहे हैं, उनके मनोबल को गिरा रहे हैं। योग्य अधिकारी की उपेक्षा हो रही है। आप उदाहरण देने के लिए एक से एक बात करते हैं। आपके व्यवहार में झलकना चाहिए, उस कुर्सी पर आप बैठे हैं,

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 75 लाख जनता की अपेक्षाओ के केन्द्र हैं, उनकी निगाहें आपके ऊपर हैं, लेकिन आपने नहीं कहा। वह तो रमन सिंह जी, अजय चन्द्राकर जी के खास थे, वह तो टी.एस.बाबा के खास हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी के खास हैं इसलिए मेरे खास नहीं हैं। आप जब अधिकारियों की बात किये, हम लोग बचपन में 8वीं, 9वीं कक्षा में चरित्र-चित्रण पढ़ते थे, धाय मां का चरित्र-चित्रण करें। हम लोग लिखते थे कि धाय मां ने ऐसा किया, वैसा किया। कल का भाषण योजना का प्रस्तुतिकरण नहीं था, अपेक्षित नहीं था कि प्रथम मुख्यमंत्री का प्रथम बजट भाषण हो रहा है। एक अधिकारी, अरे बाप रे, निर्वाचित संस्था, उसके बारे में 15 मिनट गया। अब जब आप अधिकारियों के बारे में बोलते हैं तो आपकी शूचित कहां पर है ? जिस आई.ए.एस. के ऊपर मनरेगा के सबसे ज्यादा जांच है उसको पहले ऑर्डर में आपने अपना विशेष सचिव बनाया । आप कौन सी शूचिता की बात करते हैं ? कहां की शूचिता की बात करते हैं ? किसके ऊपर आरोप की बात करते हैं ? आप कौन सा तंत्र बनाना चाहते हैं ? साहब, खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग-अलग नहीं होते । इस पद में सब एक होना चाहिए यह विश्वसनीयता का पद है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टाईटेनिक डूब गया । माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता दूं कि टाईटेनिक दिनांक 10 नवम्बर, 1912 को चला और 16 नवम्बर को डूब गया । 4 दिनों में पहली यात्रा, आप इस बात को ध्यान रखियेगा कि पहली यात्रा में डूबा और क्यों डूबा उसको सुन लीजिये । उसके मालिक ने उसको तेज चलाने के लिये कहा और 10 हजार साल पुराने एक हिमखंड से टकरा गया । आपके मालिक ने आपको तेज चलने के लिये तो नहीं कहा है ? हमने 3 बार यात्रा की, आप जैसे चल रहे हैं, जैसी आप चिट्ठी लिख रहे हैं, मेरे चाहने के बाद भी आप 60 महीने पूरे करें । आप टाईटेनिक मत बनिये, हमने तो 15 साल टाईटेनिक की यात्रा की । इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं है तो मालिक की आप बात मत मानिये आप अपने विवेक पर चलिये और आप 60 महीने की यात्रा करिये, आपके पास 60 महीने का जनादेश है । फिर कहे कि पोरस का उदाहरण आया तो अब तो प्रजातंत्र आ गया है, कैसे प्रजातंत्र आ गया है ? सन् 1969 के बाद एक डॉयनेस्टी, चूंकि आप छत्तीसगढ़ के बाहर एक डॉयनेस्टी को मजबूत करने के लिये काम करते हैं, कांग्रेस एक डॉयनेस्टी में तब्दील है । आप लोकतंत्र की बात मत कीजिये, लोकतांत्रिक रूप से आप छत्तीसगढ़ में चुने जा सकते हैं लेकिन यदि आप बाहर जायेंगे तो आपको एक डॉयनेस्टी के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, आस्थाबद्ध होना पड़ेगा उसके बाद आपकी कोई फिर नहीं रहेगी, वह शब्द अच्छे नहीं हैं, मैं उस बात को नहीं कहूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपने निर्देश दे दिया है तो आगे 1-2 बातों को करते हुए चलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, अभी समाप्त नहीं हुआ है । (हंसी)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे दिन भर का समय है, वैसे भी वक्ता कम हैं इसलिये इन्हें बोलने दीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ । मैं आपको गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के कुछ दृश्य दिखाता हूं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि हमको सपना देखने का अधिकार है, हमने कहा बिल्कुल आपको सपना देखने का अधिकार है । माननीय कलाम साहब की लाईन है - सपने उसे कहते हैं जो सोने नहीं देते । साहब, आप जरूर सपने देखिये, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं लेकिन सवास्थ्य विभाग सपने देखने का नहीं है । सपने देखते-देखते तो आदमी मर जायेगा । पहले आप तो मेरी ऐसी आलोचना करते थे कि मैंने ही जाकर उसकी जान ले ली । स्वाईन फ्लू से मर रहे हैं, यदि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बात करते हैं तो आदमी को लाभ मिले और उसका समायोजित कार्यक्रम बने, यह गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ काल्पनिक नहीं होना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देशी शराब की बात हुई । यहां वन मंत्री जी बैठे हैं। वे तो मेरे भाईसाहब हैं, मैंने उस दिन भी यह बोला था कि मैं उनको बचपन से जानता हूं और उनके पुरखे भी मेरे पुरखों को जानते हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को पटाना सीखना हो तो श्री अजय चंद्राकर जी से सीखना चाहिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सक्षम आदमी हैं लेकिन नहीं मालूम जंगल में आग लगी है तो वे उससे दूर क्यों हैं ? गरियाबंद, बीजापुर उधर के जंगलों में आग है और आपने बोला कि रोम जल रहा था और नीरो बंशी बजा रहा था उसी तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में बन रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर में आपने कहा कि इन माननीय विधायकों के कहने से कर रहे हैं, हम उद्योग चलाते थे । गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की कुछ परिकल्पनायें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में आयीं । शूचिता, चूंकि मैंने कहा कि खाने के दांत और दिखाने के दांत एक होने चाहिए तो जितने जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा आयी है, साहब, आप तो राजा हैं । हमारा नाम तो वॉच डाग है । विपक्ष यानी वॉच डाग, हम तो सीमित औकात में हैं, आप असीमित हैं इसको स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री संतराम नेताम :- आप लोगों ने पिछली बार जैसा किया न वैसा उदाहरण नहीं करना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मैं बताता हूं । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- पहले आपकी भी सरकार थी । (व्यवधान)

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- मुख्यमंत्री जी आपके लिये भी बने हैं । आपकी अनुशंसा पर भी काम करेंगे । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारी असंतोष कि हमारी अनुशंसा 50-60 लोगों की है और 1-1, 2-2 कर रहे हैं । अब मैं इसमें आरोप नहीं लगाऊंगा, चूंकि हमारे विधायक साथी भी हैं लेकिन बाहर कुछ और चर्चा है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वह तो ड्राफ्टिंग भी आप ही करके देते थे न ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन में बोल रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसमें विधायक ही नहीं, मंत्री भी शामिल हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन में बोल रहा हूं और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो मैं नाम भी बताउंगा लेकिन आरोप नहीं लगा रहा हूं इसलिये अभी नहीं, यदि आरोप लगाता तो मैं दस्तावेज देता, अभी आरोप लगाने का कोई वक्त नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पेस मिलना चाहिए । माननीय, एक मंत्री जी के पी.ए. का फोन जाता है कि ट्रांसफर का सीजन आ गया है क्या करना है ? 15 साल सत्ता में रहे हैं, मैं 10 साल मंत्री था, छोटे मोटे लिंक तो हैं । पता लग जाता है, साहब ट्रांसफर के लिए फोन जा रहा है कुछ करना है क्या, बताइए ?

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है ? हमारे समय जो आरोप लगता था । हमें फोन करते हैं कि फलां मंत्री जी के पी.ए. का फोन आया था, वह काम करवा दूंगा बोल रहा है, वह आदमी विश्वसनीय है या नहीं है ? एक ही काम ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप अपना पिछला अनुभव बता रहे हैं या अभी का बता रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- दूसरी गिरावट प्रशासन में कैसे हो रही है । कल संवैधानेत्तर सत्ता के बारे में मुख्यमंत्री जी की पीड़ा व्यक्त हो रही थी, पी.ए. से कहां तक पहुंचे । सरकारी बैठक का फोटो देख लीजिए साहब । सरकारी मीटिंग बुला लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स से पूछ लीजिए । रिश्तेदार, नातेदार, संवैधानेत्तर सत्ताएं आज भी सरकारी बैठकों में मौजूद हैं । आप किस शुचिता की बात कर रहे हैं । किसके लिए शुचिता की बात कर रहे हैं । सरकारी बैठकों की गरिमा खत्म हो गई । मंत्रालय में प्रवेश की गरिमा खत्म हो गई । विधान.., अब छोड़िये साहब, दो उदाहरण ही काफी हैं । रिश्तेदार, नातेदार बैठक ले रहे हैं, किसलिए ले रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, आप जो प्रशासनिक बात कर रहे हैं । मैंने कल कहा था, गढ़बो नया छत्तीसगढ़ में । कल की एक घटना घटी, चूंकि मैंने उस विभाग में काम किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी अपनी पीठ थपथपा देता हूं । छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की पुरातन परम्पराओं से मुझे बेहद लगाव है । माननीय संस्कृति मंत्री सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हस्तक्षेप किया तब तक दर्शक चले गए थे । 6 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ । 7 बजे उसका प्लेन था । आप पहले दिन ही एक लाईन बना लें लेकिन छत्तीसगढ़ को बाहर बदनाम न करें । ये कलाकार देश, दुनिया से आए हैं । जब वे आ चुके हैं तब उसको निरस्त करते हैं तो गढ़बो नया छत्तीसगढ़ की एक नई परिभाषा आप गढ़ रहे हैं । छत्तीसगढ़ में जो कलाकार बाहर से आते हैं, वे छत्तीसगढ़ के लिए सांस्कृतिक दूत का काम करते हैं । आपको कोई एम्बेस्डर नहीं चाहिए, आपके संस्कृति मंत्री का ही चेहरा बहुत अच्छा है एम्बेस्डर होने के लिए । यदि उनका चेहरा अच्छा नहीं है तो अमरजीत भगत जी बहुत अच्छे हैं एम्बेस्डर बनाने के लिए, मुझे तो लगता है कि अब बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं है । छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति में बात करने की जरूरत नहीं है, जो राजिम मेले के साथ हुआ और अभी सरकार बनने के बाद जो पहला आयोजन उसके बाद मेरे जैसे आदमी का तो सिर झुक गया । मैं जाना चाहता था आपके क्षेत्र में खैरागढ़ आदिरंग को देखने के लिए । मैं मोबाइल में दिखा दूंगा कि कितना अच्छा आदिरंग चल रहा है। मैं देखने जाता लेकिन मैं दुर्भाग्य मानता हूं ऐसी घटनाओं के लिए । यह गढ़बो छत्तीसगढ़ का दृश्य है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्काय योजना । थोड़ी सी चर्चा हुई । छत्तीसगढ़ काल्पनिक नहीं होना चाहिए । आप स्काय योजना की जांच करिये । मोबाइल को कूड़े में फेंक दीजिए, स्मार्ट घुरूवा बना रहे हैं उसमें कर दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, ये अपना आधा पोर्सन बाहर निकालकर रखते हैं, अंदर घुसकर बात करिये ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय की ओर चेहरा रखने के लिए । अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था उसका उत्तर नहीं आया, इसलिए मैं केवल एक लाईन रिपीट करूंगा । आप इंटरनेट में देख लीजिए, गुगल में देख लीजिए । कनेक्टिविटी में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है ? पहले कनेक्टिविटी दुरूस्त होगी, उसके बाद मोबाइल देंगे या नहीं देंगे, ये बाद का विषय है । कनेक्टिविटी दुरूस्त करने के लिए आपके पास क्या समानान्तर योजना है । मैं और मेरे जैसे असंख्य छत्तीसगढ़ के गांव में रहने वाले, गांव से चुनकर आने वाले सभी दल के नागरिक यह जानना चाहते हैं कि आपने उसको रद्द कर दिया तो उसकी जगह में वैकल्पिक योजना क्या प्रस्तुत कर रहे हैं । उस दृष्टिकोण का अभाव है ।

अध्यक्ष महोदय, गढ़बो नया छत्तीसगढ़ । मैं जो बोल रहा था, चूंकि आपने कहा कल मैं पढ़ रहा था माननीय मुख्यमंत्री मैं आपको समर्पित कर देता हूं । आपसे अपेक्षाएं हैं, आपको जनादेश भी उस लायक मिला है । आप उस असहमति की उपज हैं । जब मैंने चाणक्य का उल्लेख किया तो चाणक्य ने एक बात कहा कि ऊंचे स्थान पर बैठने से आदमी ऊंचा नहीं होता, ऊंचा अपनी सोच से होता है । आपके हर कदम, अब मैं जिस बात को बोलूंगा, आपने अपने आप को प्रतिनिधि कहा, सेवक नहीं कहा, वह

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

इसलिए कहा कि मुझे तो बहुत अप्रिय लगा कि मैं मुख्यमंत्री बंगले में 40 दिन बाद आया हूं। आप मुख्यमंत्री बंगले में रहने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। जनता की सेवा के लिए बने हैं। मेरे बंगले में, पूर्व बंगले में रहते थे। 3 दनि में खाली कयि।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, क्या रोड में बैठकर थोड़ी न करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में या मंत्रालय में ही तो बैठकर करेंगे न।

श्री अजय चन्द्राकर :- और एक समान की क्षति नहीं किये। लोगों को कहा कि तुरंत नो ड्यूस दीजिए। पहली सरकार में भी जब मैं चुनाव हारा, पहले दिन खाली किया और मैंने नहीं मांगा कि कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? जनता ने चुना है, जनता देगी। व्यवस्था का कर रही है। एक मुख्यमंत्री जी ऐसा ट्वीट करते हैं कि साहब, 40 दिन तक मैं बाहर रहा। क्या 40 दिन में भूकंप आ गया? साहब, आप सड़क में रहकर कर सकते हैं। सड़क से आप सत्ता में आ सकते हैं। तो सड़क से अन्यन्य उपलब्धि को भी पा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा आपको, मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर देता हूं। मैं कल एक किताब पढ़ रहा था। अंग्रेजी अच्छी नहीं है। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, कबीरदास जी की पंक्ति है। धन रहे, न जोबन रहे। धन रहे, न जोबन रहे। रहे न काम न धाम। मुख्यमंत्री जी आपके लिए है, माननीय अध्यक्ष जी के लिए है। कबीर जग में जस रहे, करदे किसी का काम। सुंदरता, शरीर, जीवन जितनी चीजें हम माया जगत में देखते हैं, सब अस्थायी है। आपके जाने के बाद यदि स्थायी रहेगा तो वह यश स्थायी रहेगा। उस यश का यही है..।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- भैया, आप तो इन सब चीजों का उपभोग कर चुके हो। हमको तो सब मालूम है। हमको अंदर की बात सब मालूम है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं..।

श्री संतराम नेताम :- पूरा मीडिया में भी आया है। पूरे मीडिया में भी आया है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- तो वह काम कर जाओ जिससे आने वाली पीढ़ी उस मौके में याद करे। उसी के नीचे दूसरा, जिसका मैंने गूगल से अनुवाद किया..।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात और गधे से गधा मिले तो हो जाए दो-दो लात।(हंसी)

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष जी, 15 साल तक इसमें इनको मिथ्या नहीं लगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उसमें बोलकर बात समाप्त करूंगा जो माननीय अग्रज सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी के अंग्रेजी अनुवाद में समानार्थी शब्द का इस्तेमाल था। जान बूनयान के वह शब्द है मैं आपको और मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर देता हूं। आपका जीवन सार्थक नहीं है। अगर आपने किसी के लिए ऐसा कुछ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जीवन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सार्थक नहीं है, अगर आपने किसी के लिए ऐसा कुछ किया, जिसका उधार वह आजीवन न सुधार सके। सार्वजनिक जीवन की प्रासंगिकता इसमें है। आपके चुनाव की प्रासंगिकता इसमें है और नहीं तो उसके दूसरे शब्द हैं। मैंने तो आपको पहला शब्द अर्पित किया। सदन को एक शब्द अर्पित कर देता हूं कि राज तो प्रसन्न मत होइए। राज तो भल्लालदेव को भी मिला था लेकिन राज करता था दिलों में बाहुबली।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- वाह रे, ज्ञानदास चन्द्राकर (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- दिलों में बाहुबली राज करता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, गढ़बो छत्तीसगढ़ एक फेन्टेसी है अंग्रेजों के डर से या किसी के डर से जब फेन्टेसी में साहित्य की रचना शुरू हुई कि हम किसी बात को अप्रत्यक्ष तौर पर करते थे। ये गढ़बो छत्तीसगढ़ नहरों की एक फेन्टेसी है । ये जो दस्तावेज प्रेमपाती लिखी गई साथियों प्रशासनिक आर्डर को उपलब्धियों के तौर पर प्रचारित किया गया। मैं आज इस बात को कहता हूं कि एक मुख्यमंत्री जी के लिए 60 दिन पर्याप्त नहीं हैं पर जो झलक है, साहब, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि चावल को देखने से पूरी हांडी पता लग जाती है। आपका स्टेप, आपकी सोच ये साबित कर रहे हैं कि आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं लेकिन फिर यह कहता हूं कि आपके पास वक्त है। आप प्रमाणी से सेवा करें। हम हर अच्छे काम में मदद करने के लिए तैयार हैं अन्यथा जो मैंने कहा कि भल्लालदेव को भी सत्ता मिली थी। राज बाहुबली भी करता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके मंत्रिमंडल के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय छत्तीसगढ़।

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत भगत जी।

श्री अमरजीत भगत (सीतापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तुत विनियोग में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और सदन से यह अनुरोध करता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 95 हजार 899 करोड़ का जो बजट पारित कराया है, उसको व्यय करने की आप सब लोग अनुमति प्रदान करें क्योंकि हमेशा ये यह हम लोग समाचार पत्रों में लोगों के भाषण में सुनने थे कि अमीर धरती के गरीब लोग और इस अमीर धरती के गरीब लोगों के विकास के लिए यहां की दशा और दिशा बदलने के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है, उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत वर्षों बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री, कोई ऐसा जिगर वाला नेता पैदा होता है, जिसके अंदर यह जज्बा होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में आने के बाद जो निर्णय हुए हैं, सरकार से विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि किसानों को 2500 रूपया प्रति क्विंटल धान का दाम मिले, किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिले। इनको तो केवल एक ही चीज की चिंता है, इनको

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

हर चीज में राजनीति दिखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में बड़े-बड़े खेल हुए और होता भी क्यों नहीं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा अमरजीत जी, कौन-कौन से खेल हुए, जरा यह बता दो।

श्री अमरजीत भगत :- जी ?

श्री शिवरतन शर्मा :- कौन-कौन से खेल हुए और उसमें खिलाड़ी कौन-कौन थे?

श्री अमरजीत भगत :- मैं वह बता रहा हूँ न।

श्री संतराम नेताम :- समग्र में क्या खेल हुआ, उसको कौन खेल किया, मैं माननीय जी को वही बता रहा हूं, याद दिला रहा हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया था, उसके मूल कान्सेप्ट में लिखा हुआ था कि यह सरकार "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" की नीति में काम करने वाली सरकार है। महात्मा गांधी जी के उन शब्दों का भी उल्लेख किया था- हिन्दुस्तान गांव में बसता है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, इस देश का विकास नहीं हो सकता है। गांव बचेगा तो देश बचेगा। इस पर माननीय गांधी जी की मंशा के अनुरूप गांव के विकास के लिए उनके ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित यह बजट पेश हुआ है मैं बोल रहा था कि जो जिस वर्ग से चुनकर आता है, जो जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी जवाबदारी उस वर्ग के लिए होती है। आज की जो सरकार है, सरकार के मुखिया हैं, अगर मैं फिल्मी अंदाज में बताना चाहूं तो मैं बताना चाहूंगा कि "राजा प्योर छत्तीसगढ़िया" इस फिल्म का हेडिंग होगा। इसके मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य छत्तीसगढ़िया, पूरी सोच छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़ को बदलने के लिए, यहां के विकास करने के लिए जो परिकल्पना बनाई गई है, वह पूरा छत्तीसगढ़िया है। यहां के विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़िया, यहां के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया, यहां के मंत्रिमण्डल के सदस्य छत्तीसगढ़िया, यहां का पूरा टेस्ट छत्तीसगढ़िया है।

श्री मोहन मरकाम :- एक भी मंत्री आऊट सोर्सिंग नहीं है, ऐसा है आपका कहना।

श्री अमरजीत भगत :-इसमें आपको एक भी आऊटसोर्सिंग की झलक नहीं मिलेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, प्योर छत्तीसगढ़िया, आप छत्तीसगढ़ियां को परिभाषित कर दो? छत्तीसगढ़िया किसको कहते हैं?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान साथी को पता नहीं किस बात से मिर्ची लगती है ? मैं तो कभी उनका नाम नहीं लिया हूँ। मैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तारतम्य में कह रहा था।

श्री शिवरतन शर्मा :- यहां जो बैठे हैं, सारे के सारे छत्तीसगढ़िया हैं। पिछली बार भी जो बैठे थे,

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वे भी छत्तीसगढ़िया हैं। जो छत्तीसगढ़ का नागरिक है, वही इस सदन के सदस्य के लिए चुनकर आता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, बिलकुल ठीक बोल रहे हैं। इस बात से भयभीत मत होईये कि आपकी आऊट सोर्सिंग सूची में नाम है।

श्री संतराम नेताम :- आप थोड़ा पीछे तरफ जाईये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ की चुनी हुए सरकार के मुखिया की बात कर रहा हूं कि जिनके मन में, जिनके तन में, जिनकी सोच में छत्तीसगढ़ के प्रति दर्द है और जिनके मन में दर्द रहेगा, जिनके मन में सोच रहेगी, वही ऐसा क्रांतिकारी कदम उठा सकता है । कहने को तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा वाला प्रदेश है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है, जिसमें समाचार-पत्रों में पढ़ने को नहीं मिलता कि आज फलां जगह किसानों ने आत्महत्या की, आज फलां जगह किसान आन्दोलनरत् हैं, आज फलां जगह किसान आफिस का घेराव कर रहे हैं । और तो और जब हम छत्तीसगढ़ से बाहर जाते थे तो हम लोगों का सिर शर्म से झुक जाता था, जब भी कोई बात होती थी तो बोलते थे कि उसी प्रदेश से आये हो, जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं । ये सरकार की 15 साल की उपलब्धि थी। अगर मुख्यमंत्री चुनकर आये हैं और किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द क्यों है ? लोगों ने मेंडेड दिया है, हमने लोगों से कमिटमेंट किया है कि छत्तीसगढ़ का कोई किसान भूख से नहीं मरेगा, कोई किसान कर्ज में दबकर नहीं मरेगा, कोई प्रशासनिक आतंकवाद का शिकार नहीं होगा और मैं मुख्यमंत्री जी की भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे प्रदेश के नेता जिन्होंने 10 दिन का समय दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जज्बा को मैं सलाम करता हूं, 10 दिन नहीं, 10 घंटे भी नहीं लगाया, मात्र दो घंटे में छत्तीसगढ़ के किसानों का कायाकल्प करके दिखाया (मेजों की थपथपाहट) इसी बात के कारण इन लोगों के पेट में दर्द है कि जो काम हमने 15 साल में नहीं कर पाये, वाह से भूपेश बघेल, उसने दो घंटे में करके दिखाया । इन सबको मैदान से ऐसा साफ किया कि जैसे लोग जीरों में आउट हुए हों ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, माननीय अमरजीत जी, इस तरह से छटपटा रहे हैं, जैसे पानी से मछली को निकाल कर बाहर कर दो, वैसा तड़प रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है कि हिट विकेट हुए हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अगर छत्तीसगढ़ राज्य में 15 लाख किसानों को 6100 करोड़ का सहकारी बैंक में जो कर्ज लिये थे, उनको माफ किया गया है तो यहां के किसानों को फायदा हुआ है। हमारे विपक्ष के साथी कामर्सियल बैंक के ऋण के लिए बहुत चिंतित थे और

अप्रमाणित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

बोल रहे थे कि आपने सहकारी बैंक का कर्ज माफ कर दिया, उन कामर्सियल बैंक का क्या होगा, जिसमें किसानों ने कर्ज लिया है, उनका कर्ज क्यों माफ नहीं करते हैं ? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि थोड़ा सा इंतजार करिए, वह भी करेंगे और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 5 हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा का कामर्सियल बैंक के कर्ज माफी की कार्यवाही उन्होंने की है, उसके कारण किसानों के मन में पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं । अगर इस प्रदेश में 25 सौ रूपये क्विंटल धान का रेट बढ़ाया है तो यहां के किसानों को फायदा हुआ है, किसान समृद्ध होंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में छोटे लोगों के जो छोटे भूखण्ड थे, उसमें खरीद-बिक्री पर पिछली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, वे अपना आवास, आशियाना नहीं बना सकते थे, वे नियम कानून के प्रपंच में खरीद-बिक्री नहीं कर सकते थे, मैं मुख्यमंत्री जी को, राजस्व मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने उसकी खरीद-बिक्री में जो प्रतिबंध था, उसको हटा दिया । आज लोग खुशी-खुशी अपना आवास, निवास और आशियाना बना सकते हैं । पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है । इस प्रदेश के बारे में एक श्लोगन हमेशा पढ़ने को मिलता था कि अमीर धरती के गरीब लोग। खनिज संपदा का सही दोहन करने से यह राज्य टैक्स फ्री हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने तो कुछ नहीं किया । जनता ने काम करने के लिए अवसर दिया था । लोहा यहां, टिन यहां, कोयला यहां, हीरा यहां, लेकिन यहां के लोगों का आर्थिक स्थिति सुधरा नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां लोगों ने हीरा पार्क भी बनाने का सपना दिखाये थे । यहां पर बाड़ी से डीजल निकालने के लिए लम्बा खेल कर गये हैं । न यहां हीरा पार्क बना, न यहां बाड़ी से डीजल निकला, लेकिन उसमें जरूर कुछ लोगों का भला हो गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ फण्ड बना था । इस प्रदेश में चुने हुये जनप्रतिनिधियों का इतना बेइज्जती कि कलेक्टर के दरवाजे में लोग खड़े रहते थे । प्रस्ताव हुआ तो कलेक्टर की मर्जी हुआ तो पैसा देगा, नहीं तो नहीं देगा । कमेटी में चुने हुये विधायक पिछली सरकार के मुखिया से मांग करते रहे गये कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का बहुत बेइज्जती हो रहा है, कम से कम जो खनिज क्षेत्र है, उस क्षेत्र के चुने हुये विधायकों को, कमेटी में रखवा दीजिए, उनका प्रस्ताव भी सम्मिलित है । माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मांग करते थे, पानी का मांग करते थे, सड़क का मांग करते थे, वहां के अधोसंरचना के विकास के लिए मांग करते थे, एक चुने हुये जनप्रतिनिधि का वही तो दायित्व है, लेकिन सब के ऊपर सुपरसीड करके कलेक्टर को सर्वेसर्वा बना दिया था । माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ । जिस प्रकार से खनिज मद का दुरूपयोग इन लोगों ने किया था, जिस प्रकार से अधिसूचना लगने के बाद सरकारी राशि का बंदरबांट हुआ था, जिस प्रकार से लोग आपस में पैसे को बांटे थे, लिफट लगाने के लिए, स्वीमिंग पुल बनाने के लिए, कलेक्टर के बंगले का साज सजावट के लिए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार में आने के बाद उन सभी कामों को

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

निरस्त किया कि प्राथमिकता हम तय करेंगे । जो चुने हुये जनप्रतिधि हैं, वे लोग बैठकर तय करें, उनके प्रस्ताव पर कार्यवाही होगा, स्वीकृति मिलेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, कल यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम पर भी बात हो रही थी । हमारे सरकार बदलने के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जो इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी से अच्छी हो सकती है, वर्ल्ड लेवल की व्यवस्था के लिए उन्होंने विदेश में भी जाकर अध्ययन करके आये और यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम को आगे करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । उस पार के हमारे विद्वान साथी लोग, उस पर भी टीका-टिप्पणी, शंका-कुशंका, थायलैंड में ऐसा कौन सा सिस्टम है, जिसको जानने जा रहे हैं । जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों द्वारा समाचार पत्रों में इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, चिन्ता का विषय है । खुद तो कुछ किये नहीं है । सरकारी अस्पतालों को जिस प्रकार से निजी हाथों में देने का काम चल रहा था, सरकारी अस्पतालों में उस विभाग में जिस प्रकार से दवाई खरीदी से लेकर मशीन खरीदी बाकी उपकरण में जिस प्रकार से खेल चल रहा था, यह किसी से छिपा नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग में पिछली सरकार में एक बड़ा घटना हुआ, यहां महिलाओं का कोख उजाड़ दिया गया, जो हास्पीटल में अपने आंख का जांच कराने गये, उनकी रोशनी छीन ली गई। जो परिवार नियोजन के लिए हॉस्पिटल में नसबंदी कराने गये, बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हो गई। जब ऐसे व्यक्ति जिनके विभाग में खुला खेल चल रहा था, नैतिकता की बात करते हैं तो वह शोभा नहीं देता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों को बधाई देता हूं, हम लोग बहुत प्रयास किए, बहुत मांग रखे कि विधायकों को मिलने वाली जो विधायक निधि है वह बहुत कम है। उनका इतना लंबा-चौंडा क्षेत्र है इसे बढ़ाया जाए। लेकिन पिछली सरकार ने नहीं सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार में ही विधायक निधि को बढ़ाकर एक करोड़ रूपये से दो करोड़ रूपये कर दिया उसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस कुछ ही लाईन में बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय जोगी जी ने आज जो विषय लाया था, माननीय शिवरतन शर्मा जी जिस पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे कि वन क्षेत्रों में जो आदिवासी लोग निवासरत हैं उनको इंक्रोचर मानकर बाहर किया जा रहा है। वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दे रहे थे। उस पार बैठे भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मेरा एक सवाल है कि जब-जब आदिवासियों का विषय आता है तो आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में समय पर उपस्थित क्यों नहीं होती है? जब भी हलफनामा देने की बात आती है, पक्ष रखने की बात आती है तो समय पर न तो उनका पक्ष रखती है और न उनके लिए वकील खड़ा करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के मुखिया को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा है कि इस प्रदेश में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर प्रक्रिया चल रही है और हमने बाईंडअप नहीं किया है। कोई भी आदिवासी वन क्षेत्र से बाहर नहीं निकाले जायेंगे इसलिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है और कोर्ट में जरूरत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पड़ेगी तो अच्छे से अच्छा वकील हम खड़ा करेंगे। जब-जब एस.सी., एस.टी. की बात आती है तो भारत सरकार उदासीन हो जाती है। पिछले कई मौकों पर हम लोगों ने देखा है। मैं उनकी उदासीनता के लिए गहरा दुख व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में भूमि अधिग्रहण बिल के नाम पर, उनके संशोधन के नाम पर पिछली बार लोगों ने जो खेल खेलने की कोशिश की वह हम लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक है। सदन में हम लोग अपने-अपने विचार रखते हैं। कई विचारों से हम लोग सहमत होते हैं, कई से सहमत नहीं होते हैं। असहमति पर भी कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिसमें सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। पिछले दफा जो आदिवासी भू-संरक्षण के लिए कानून बना था उसे पलटने का काम किया गया था। हम लोगों ने बहुत चेताया था, सरकार नहीं मानी थी। संख्या बल के आधार पर यहां पारित कर दिया गया था और जब ये लोग क्षेत्र में गये, जगह-जगह इनका घेराव होने लगा, आदिवासी उद्वेलित हो गये उसी का नतीजा है कि आज ये लोग 15 की संख्या में सिमट गये हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उसको समाप्त करने के लिए जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं और जो विनियोग पेश किए हैं उसको खर्च करने की बड़े मन से अनुमति सदन प्रदान करे। अध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, आपको मौका मिला है। आप दस मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें। मैंने आपको मौका क्यों दिया आप समझ सकते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, समझ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जाने का टाईम हो रहा होगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री भूपेश बघेल जी की सरकार का आज विनियोग विधेयक पेश हुआ है। अध्यक्ष जी, आप बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। हम लोग भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। विनियोग विधेयक इसलिए रखा गया है कि अभी हम लोग, यह सदन जो पिछले कई दिनों से बजट का प्रस्ताव करते हम चले आ रहे हैं। उसे खर्च करने की अनुमति मांगने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विधेयक रखा है। उन्हें जनादेश मिला है, चुनाव में 68 सीट के विशाल बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी को जिताकर यहां आ के मुख्यमंत्री बने हैं। मैं अपने दल की ओर से उन्हें बधाई देता हूं। उनके लिये शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उनके सभी सहयोगियों के लिये भी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि वे जनादेश का सम्मान करें और प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जायें। अभी मैंने कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों को खड़े होते, बोलते देखा। उन्होंने कहा कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। विरोधी लोगों को बर्दास्त नहीं हो रहा है। प्रजातंत्र में जनता का ...।

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में आप और हम लोग दोनों साथ साथ बंशी बजाये हैं । कहां के असहमत हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं उनकी सरकार से असहमत हैं। हम लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रजातंत्र में इस बात को कौन इंकार कर सकता है कि जनता ने आपको चुना है तो आप चुने गये। हमको जनादेश नहीं मिला तो नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी हम इस सदन के अंग हैं। इस सदन में आप अकेले, अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ ही बैठेंगे और कहीं आपके सामने हम लोग नहीं दिखेंगे, आपका परफार्मेस भी नहीं दिखेगा। आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक दूसरे को यहां पर बताने, समझने और समझाने के लिये हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम विरोधी दल में हैं कोई बात नहीं, जनादेश मिला है।

निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटि छबाय ।
बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुहाय ।

हम बिना कोई पैसे के, बिना कोई पद के आपको अच्छा बताने के लिये, आपकी गलतियां बताने के लिये, आपकी निंदा करने के लिये, आपको गलत रास्ते से रोकने के लिये यहां पर अगर कुछ बोलें तो उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष अगर अपनी बात उठाये, तो सरकार उस पर अपनी व्यवस्था दे। आपने किसानों को प्राथमिकता दी बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग यहां लगभग किसान हैं। हमारा किसान खुशहाल होगा तो छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा। हम सरकार की आलोचना तो इस सत्र में कर भी नहीं सकते थे। क्योंकि अगर हम जो भी पूछते हैं तो आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है। वह तो पुरानी सरकार का मसला है और पुरानी सरकार के मसले को भी आप जो बचाने की कोशिश कर रहे थे वह बहुत आपत्तिजनक थी। आपको तो खुला खुला बोलना चाहिए था कि तीन साल, पांच साल, पंद्रह साल में इस प्रदेश में संसाधनों को क्या किया गया, कहां पर अव्यवस्था थी, क्यों थी, उस पर आपको लिपा पोती करने के लिये अधिकारियों ने बताया और आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता, अगर मंत्री जी बड़े दिल से स्वीकार करते कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है और हम इसकी जांच करायेंगे। अध्यक्ष जी, पर अफसोस है, सरकार के मंत्री सरकारी अधिकारियों की भाषा को यहां अपने जुबान से बोलने की कोशिश कर रहे थे। अनसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिये आपने योजनाएं बनाई है। किसान के बाद, जिसमें वे भी हैं । इस प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति के गांवों में अनेकों विसंगतियां तकलीफें हैं। माननीय मंत्री जी, वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया कि जिनके पट्टे निरस्त कर दिये गये हैं उन्हें वहां से बेदखल कर दिये जायें। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद अब प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वे हमारे आदिवासी समाज के लोग जो जंगल में वर्षों से रहते आ रहे हैं उनको बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जाकर के प्रयास करें या कोई ऐसा नियम बनायें जिसमें उनको वहां पर रहने का अधिकार है, वह सुरक्षित रहे। किसी भी प्रदेश का विकास तभी होगा जब वहां के कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी। लेकिन आपकी सरकार बनने के 15-20 दिन के अंदर ही प्रदेश में कई जगह गंभीर आपराधिक कृत्य घटित हो रहे हैं, ये अलार्मिंग है, क्योंकि अभी आपको 5 साल सरकार चलाना है। अगर आप इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं करेंगे तो अगर आप अपराधियों और गुण्डों मवालियों को नियंत्रित नहीं करेंगे, अगर आप चिटफण्ड कंपनी जैसे फर्जी गोरखधंधा करने वालों को नियंत्रित नहीं करेंगे, अगर आप सट्टा और जुंआ खिलाने और खेलने वाले लोगों को नियंत्रित नहीं करेंगे, अगर आप अवैध शराब बेचने वालों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो इस प्रदेश में अपराधियों के हौंसले बुलंद होंगे इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप कानून और व्यवस्था को सर्वोपरि मानकर, उस पर नियंत्रण लगाने और उसे अच्छा करने की कोशिश करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कई एस.आई.टी. का गठन किया। नान का एस.आई.टी. और झीरम की एस.आई.टी. और भी एक दो एस.आई.टी. हैं। आप बहुत अच्छा किये, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है मैं तो चाहता हूँ वह नंदकुमार जो हमारे साथ यहां बैठा रहा करते थे, उनकी पार्टी में हम उनके साथ थे, वह विद्याचरण शुक्ल जी, जिन्होंने हमें राजनीति का क, ख, ग सिखाया, वह महेन्द्र कर्मा जो यहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष होकर बैठा करते थे। वो उदय मुदलियार जो हमारे विधायक साथी के रूप में हमारे साथ थे, इनकी मौत पर अगर कोई जांच हो रही है तो हमको क्या आपत्ति हो सकती है इनकी जांच हो रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अफसोस 2-3 बिन्दुओं पर होता है मैं पहले भी बोल चुका हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे। इसलिए अब मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एन.आई.ए. की जांच का आदेश दिया या वहां से एन.आई.ए. की स्थापना हुई, फिर प्रदेश की सरकार ने एक ज्यूडिशरी बनायी। अब आपने एस.आई.टी. बना दी। कौन जांच गठित किया, क्या जांच हुई, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है ? कब मिलेगा ? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ? मैं इसमें नहीं पड़ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 अलग-अलग संस्थाओं की जांच रिपोर्ट में अगर मत भिन्नता आ गई तो फिर क्या होगा ? मान लीजिए कि अगर ज्यूडिशरी की कोई रिपोर्ट ऐसी आयी, जो एस.आई.टी. से मैच न करे, जब आप एन.आई.ए. का दस्तावेज मंगायेंगे तो उसमें कोई रिपोर्ट गलत आ गई जो एस.आई.टी. से मैच न हो या एस.आई.टी.का इन दोनों से अलग ओपिनियन आ जाये तो फिर क्या होगा ? मैं चाहता हूँ कि झीरम का हत्यारा चाहे जो भी हो, चाहे वह यहां हो, चाहे और कहीं हो, उसको फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए और आप उसके लिए एस.आई.टी. से अगर कोई बड़ी जांच करा सकते हैं तो कराईये।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक प्रश्न भी उठता है कि जब नंदकुमार जी की मौत हुई 5 मिनट पहले एक जिन्दा व्यक्ति जो धोती कुर्त्ता पहना हुआ था, माननीय नंदकुमार पटेल जी के साथ था, अपनी भाषा में नक्सलियों से कुछ बात किया। नक्सली उससे अपनी भाषा में बात किये और वह वहां से धोती उठाकर बाहर निकला। एक मोटर साईकिल में चाबी लगी हुई मोटर साईकिल मिली। वह बचकर आ गया और नंदकुमार जी और दिनेश पटेल की हत्या हो गई। अगर एस.आई.टी. जांच होगी तो एस.आई.टी.जांच में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो उसका इंचार्ज है, वह उस व्यक्ति से पूछताछ जरूर करेगा। तभी जांच की सार्थकता और वैधानिकता सिद्ध होगी और तब वह आई.जी.पी. क्या करेगा ? जब वह व्यक्ति उन दिनों कुछ एक-दो साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी और कुछ नेताओं की नफरत में थे, वह आज इनके मंत्रिमण्डल की शोभा बढ़ रहे हैं, उससे जांच कैसे होगी ? मुख्यमंत्री जी समझ गये, मैं किनके बारे में बोल रहा हूँ, मैं नाम लेकर कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। पर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एस.आई.टी. की जांच के लिए सबसे बडा रोड़ा वह मंत्री है। उसे आप मंत्रिमण्डल से हटा दीजिए और उनको मंत्रिमण्डल से हटाकर एस.आई.टी.को जांच करने दीजिए। अगर उसको एस.आई.टी. क्लिन चीट दे तो आपको उसको जितने विभाग का मंत्री बनाना है बनाईये। मैं कोई व्यक्तिगत रंजिश में बात नहीं कह रहा हूँ। मैं एक घटनाचक्र के आधार पर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपको विचार करना है और मुख्यमंत्री जी ये सब इसलिए बोल रहा हूँ अब ये बजट जब आपके पास आयेगा, तब तो आपका काम शुरू होगा। आपका आज से समय शुरू होगा, फिर आपसे आगे पूछेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग में पिछले 15 सालों में परिवार नियोजन के आपरेशन में कई माताओं, बहनों की मौत हुई। उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? दो-तीन लोगों को बंद कर दिये, डॉक्टर को भी बंद कर दिये, दवाई वाले को भी बंद कर दिये, सबकी गलती तो नहीं होगी। या तो डॉक्टर की गलती होगी या दवाई वाले की होगी। ये दवा निर्माता कौन हैं? इस प्रदेश में उसका किससे-किससे संबंध है? दवा निर्माता की दवाईयों का निरीक्षण कौन करता है? यहां दवा उद्योग के नाम पर कई लोग जहरीली दवाई बेचने का भी काम रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर रोक लगाईये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेण्ट में कुछ विशेष कंपनियों को ठेके देने के लिए सी.बी.सी. की गाईडलाईन का उलंघन कर दिया गया है। पूरे देश की नवरत्न कंपनियों में भी इसका पालन होता है। छत्तीसगढ़ में नई राजधानी को बनाने के लिए एक ही ठेकेदार को कई हजार करोड़ रुपया, कई सैकडो, करोड़ों रुपये का ठेका नियमों को बदल करके अधिकारी और ठेकेदार मिलीभगत करके दिये हैं। ऐसी-ऐसी शर्त बनाई जाती हैं, अभी समय नहीं है, पी.क्यू. के अंदर, पी.क्यू., जो नार्म्स हैं, मेरे पास रखा है, उस नार्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है और लोगों को ठेके मिल रहे

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं। हमारे यहां के बेरोजगार ठेकेदार ठेका नहीं पा रहे हैं और बड़े-बड़े लोग काकस गिरोह बना करके यहां पर ठेका लेने का काम कर रहे हैं।

समय :
2:07 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

माननीय मुख्यमंत्री जी सिंचाई विभाग के ठेके में भी भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। नहरें बनाये बिना ही पैसा निकाल लिये, कहीं बांध अधूरा है, कहीं एनीकट टूटा-फूटा है, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कागजों में सब काम करके करोड़ों रुपये की कमाई ठेकेदारों ने किया है। सिंचाई के संसाधन बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आज सवेरे मेरे पास टेलीफोन आया। इस प्रदेश में 90 हजार पेंशनर्स हैं। उनको छठवां वेतनमान का 32 माह का और सांतवा वेतनमान का 27 माह की पेंशन नहीं मिली है। ये बहुत से छोटे से तबके के लोग हैं। इनकी कोई उपयोगिता बहुत ज्यादा नहीं समझेगा। लेकिन 90 हजार लोग हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग हैं, इनकी तकलीफ को भी आपको सुनना पड़ेगा और जब आप अपना विनियोग विधेयक पास करेंगे तो इन पेंशनरों का भी आप जरूर ख्याल रखेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृति, पर्यटन और पुरातत्व के बारे में भी बात करना चाहता हूं। एक कार्यक्रम हुआ, उड़ीसा, बंगाल से कलाकार आये। आपके एक मंत्री जी ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान हो रहा है, हम नहीं बुलायेंगे। क्यों भाई, छत्तीसगढ़ के लोगों का कैसे अपमान हो गया? अध्यक्ष महोदय, आरोप यह था कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को एडवांश पैसा नहीं दिये थे, उनको पैसा दिये थे। उसके आधार पर संस्कृति मंत्री जी ने एक लकीर में इतने बड़े कार्यक्रम को खारिज कर दिया। आप छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम कर रहे हैं। हिन्दुस्तान के कलाकार आये थे। भारतवर्ष कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। अगर उड़ीसा, बंगाल के कलाकार आकर यहां कार्यक्रम प्रदर्शित कर देते तो कौन सा छत्तीसगढ़ का अहित कर देते? वह तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उस कार्यक्रम को करवाया। लेकिन यह एक बहुत भयंकर भूल है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की रक्षा करने, छत्तीसगढ़ के लोक कला, लोक संगीत को जिंदा रखने के लिए सरकार का जितना राजश्रय मिल सकता है, आप जरूर दें। लेकिन जब तक कोई दूसरे प्रदेश के लोग नही आयेंगे और हम दूसरे प्रदेश में नहीं जायेंगे तो भारतीय संस्कृति से हम परिचित कैसे होंगे? इसलिए माननीय मंत्री जी को आप बोलिये कि इस प्रकार का बेतुका, तुगलकी निर्णय मत किया करें। और जो कार्यक्रम रद्द किये, कलाकारों को कितनी ठेस पहुंची होगी कि छत्तीसगढ़ में आकर उनका अपमान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुरातत्व विभाग के बारे में भी बोलना चाहता हूं । पुरातत्व के बहुत से अवशेष रतनपुर में, मल्हार में, भोरमदेव में, बकेला में, पचराही में, बिलासपुर के बरामदे में रखा है । पुरातत्व मंत्री जी ने कहा था कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसके लिये भवन नहीं है, सन् 1982 से वहां पर रखा है । 1-1 मूर्तियां करोड़ों रूपये की हैं, आज पॉकेटमारों के कारण 2000 रूपया तो किसी के पॉकेट में सुरक्षित बच नहीं रहा है, वहां करोड़ों रूपये की मूर्तियां बरामदे में पड़ी हुई हैं उसकी सुरक्षा के इंतजाम को भी आप प्राथमिकता में जरूर लेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा विभाग में एक उदाहरण दे देता हूं कि शिक्षा विभाग में कितना बढ़िया काम चल रहा है । बिलासपुर जिले में कोटा ब्लॉक है और मुंगेली जिले में लोरमी ब्लॉक है, उसके गांव के स्कूल का नियंत्रण-संचालन कोटा ब्लॉक से होता है तो आप ही बताईये कि एक-एक ब्लॉक के काम के लिये एक विधायक कहां-कहां जायेगा? तो यह सब युक्तियुक्त कराईये । वहां के लोकल अधिकारियों ने कुछ भी निर्णय ले लिया और मरना हमारा होता है, हम दौरा में जाते हैं तो बोलते हैं कि कोटा के ब्लॉक वाले ने यह बोला, अब हम कहां-कहां जायें ? कोटा, कवर्धा या पंडरिया जायें ? तो आप प्लीज एक जिला और एक जगह का यूनिट बनाकर के रखवा दीजिये ।

माननीय सभापति महोदय, वन विभाग में जो टाईगर रिजर्व एरिया है वहां बहुत प्रॉब्लम है । वहां पर एक तो अमला भी नहीं है, वहां पर रोजगारमूलक काम भी नहीं खोल रहे हैं और खासकर के वन विभाग के अधिकारी रोजगारमूलक काम नहीं दे रहे हैं । मैं इस सदन में चुनौती देता हूं कि आप मेरे साथ चलिये, किसी भी एक गांव में आपको सुबह से शाम तक मैं आपको बिठाउंगा और 20 रूपये का भी कोई रोजगारमूलक काम वहां उपलब्ध होगा तो आप जो सजा देंगे, मैं उसको भुगतूंगा क्योंकि वहां काम नहीं है । वे वन विभाग के अधिकारियों के रहमो-करम पर जिंदा होने के लिये मजबूर हैं, वहां स्कूल नहीं हैं, सरकारी स्कूल नहीं हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अभी एक प्रोफेसर खैरा को देखने गये थे । आपने उनकी पीड़ा समझी होगी । मैं प्रोफेसर खैरा से 35 साल से मिल रहा हूं, 35 साल पहले उनकी जो उम्र रही होगी, मैं उस बुजुर्ग आदमी से मिलता हूं । मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि छोटी-मोटी समस्या हल हो लेकिन ईश्वर की कृपा है कि आपको मौका मिला है । वहां पर आदिवासी बच्चे रहते हैं, 40 गांव में एक भी हाईस्कूल नहीं है, क्या वन अधिनियम का उल्लंघन होगा ? कौन से वन्य प्राणी को एक मुश्किल से 2 हजार फीट का भवन बनाने से तकलीफ होगी ? स्वास्थ्य के भवन को भी नहीं बनने दिया जा रहा है । वन विभाग की तानाशाही चरमोत्कर्ष पर है और मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह बोल भी रहा हूं और आपसे उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप इसको हल करेंगे अन्यथा मुझे मजबूरन उनके संग सड़क में बैठकर के आपका ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा ।

माननीय सभापति महोदय, मिशन अमृत, सीवरेज, स्कॉय वाक इन सब वाहयात योजनाओं को बिना कोई सिस्टम के लागू किया गया है । स्कॉय वाक को तोड़वा दीजिये, ये सुरंग है । ये एम.आर.आई. मशीन है, मैं आज बोल रहा हूं कि आप देखियेगा यहां लोग चाकू मारेंगे, कपड़ा भी उतारकर वैसे ही घर भेज देंगे । वह स्कॉय वाक नहीं है और जो हिम्मती हो वही उसमें जायेगा ।

असंशोधित/मुद्रण के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है आप स्कॉय वाक की बात कर रहे हैं उसकी सुरक्षा की जवाबदारी वहां जो हमारे आदरणीय विधायक जी बैठते हैं उनको हम दे देंगे तो सब ठीक हो जायेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मिशन अमृत एक अच्छा कार्यक्रम । पता नहीं, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि यहां की कैसी कार्यसंस्कृति थी, बिलासपुर से रायपुर की सड़क नहीं बनी है, एक बीत्ते का है छोटा सा, 120 किलोमीटर का, 3-3 महारथी ठेकेदार, कोई दिलीप बिल्डकॉन, कोई ये कान, कोई वो कान, न जाने कहां के कान आये थे, एक सड़क नहीं बना सके । माननीय सभापति महोदय, हनुमान चालिसा पढ़ते हुए आपको बिलासपुर जाना पडेगा और हनुमान चालिसा पढ़ते हुए आपको बिलासपुर से आना पड़ेगा और उसके बाद भी यह गारंटी नहीं है कि यह सड़क बनेगी कि नहीं ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे ठेके निरस्त करना पड़े, चाहे उनके खिलाफ जांच करनी पड़े वह सब होते रहेगा । आप कृपा करके बिलासपुर-रायपुर सड़क को ठीक कराईये, राजधानी और न्यायधानी के बीच बहुत ही मखमल में टाट का पैबंद सरीखा वह दिखता है । माननीय सभापति महोदय, खनिज सभापति महोदय, खनिज विभाग, एसईसीएल पूरे छत्तीसगढ़ की खनिज सम्पदा का दोहन कर रहा है । वह प्रदेश के विकास में भागीदारी क्यों नही करता । करोड़ों रूपया कमाते हैं, क्यों नहीं रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ पैसा भेज देता । यह कोई उप-निवेश नहीं है कि छत्तीसगढ़ की खनिज सम्पदा को दोहन करो और ले जाकर बाहर में मौज करो । छत्तीसगढ़ में वह जितना भी खनिज खोदेगा, चाहे वह एसईसीएल हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो या और कोई हो । सभापति जी, उससे पूरी तरह से प्रदेश के विकास के लिए पैसा लीजिए । सभापति जी, अडानी को खदान देने के लिए तो इन्होंने कई हजार लोगों का पट्टा निरस्त करके दे दिया । आजकल इतनी बड़ी-बड़ी मशीनें आई हैं कि ये बड़े बड़े उद्योगपति भूखे भेड़िये के समान छत्तीसगढ़ की धरती पर हमला करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं और अपने अधिकारियों को टाइम लिमिट देते हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती को नोचो, खाली करो, गड्ढ़ा करो, कोयला, लोहा, बॉक्साइड बेचना है, बेचो और यहां से रवाना हो । सभापति महोदय, खनिज सम्पदा का दोहन संतुलित रूप से होना चाहिए । जितनी जरूरत है, उतना ही खोदो, लेकिन उनको तो परमिट मिला रहता है । राजस्थान का कोल डीपो को अडानी ने ले लिया, हमारे आदिवासी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं । धूल, धुआं, धक्का खा रहे हैं और वह वहां, सभापति जी विधान सभा की जितनी ऊंचाई है इतने ऊंचे ऊंचे चक्के वाली गाड़ियां आती हैं और एक बार में 100-100 ट्रक माल निकाल लेती हैं । यह सब क्या है, इसे रूकवाइए । धरती को खराब मत करें, प्रदूषण मत फैलाएं, आप खनिज पर रोक लगवाइए । माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने उस दिन भी कहा था कि रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं । अभी सरकार का ठीक से नियम भी नहीं बना है और रेत ठेकेदारों ने एक-एक घाट में रूमाल रख दिया है कि लाल रूमाल मेरा है, सफेद रूमाल तुम्हारा है, हरा

असंशोधित/मुद्रणार्थ के लिये नहीं

रूमाल तेरा है । अब गैंगवार होने की स्थिति है । माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको संभालने का काम आपका है । मुख्यमंत्री जी, जनादेश आपको है, आप सरकार में हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन जनता से निर्वाचित हम भी हैं । हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस सदन के प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोगों के मान और सम्मान की रक्षा भी आप करेंगे । संवैधानिक सत्ता का केन्द्र बनाने की कोशिश शुरू हो गई है । इनकी पार्टी का हारा हुआ, जमानत जप्त वाला आदमी अधिकारियों का लिख लिखकर दे रहा है कि मैं छाया विधायक हूं । कोई नया पोस्ट आपने इजाद किया है । छाया विधायक हूं । मैंने तो आज तक छाया विधायक नहीं देखा, शायद पहली बार हुआ हो । वह छाया विधायक नहीं, पूरा छतरी विधायक हो, मुझे उससे मतलब नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी अमरजीत भगत मंत्री नहीं बन रहे हैं, वे बाजू में छाया मंत्री बनेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरा मतलब है । मुझे इस बात से आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत जी, आप कितना समय लेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट सर, मैं तो समाप्त ही कर रहा हूं ।

सभापति महोदय :- 23 मिनट हो गए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, आप नहीं बोलते तो भी मैं समाप्त करता ।

श्री अजय चनद्राकर :- आज उनको प्रिविलेज है, आसंदी से उल्लेख हुआ है कि आज भाभीजी गैलेरी में हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- तैं बिना बोले मानबे नहीं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक एक बात का आग्रह करना चाहता हूं । हम लोग भी अधिकारियों के पास काम लेकर ही जाते हैं । हम अगर नाजायज काम बोलें, तो आप बिल्कुल निर्देश दे दीजिए कि वे हमारी बात को मत मानें । हम अगर जनता की कोई तकलीफ लेकर जाते हैं तो उन्हें कृपा पूर्वक यह जरूर बोलिए कि वे हमसे सम्मानजनक तरीके से वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आपके सत्ता पक्ष के लोगों से करते हैं । आप सरकारी कार्यक्रमों में जाते हैं । आप जरूर आइए, आप अगर मेरे क्षेत्र में या किसी के क्षेत्र में जाएंगे तो हम तो आपका स्वागत करेंगे । लेकिन अपमानित करने के लिए अधिकारी अति-उत्साह में काम करते हैं, उस पर रोक लगाइए । मुख्यमंत्री जी, आप अपने छाया विधायकों को पूरा सम्मान दीजिए । मैं तो बोल रहा हूं कि उनको राज्य परिवहन निगम मा अध्यक्ष, हाऊसिंग का अध्यक्ष और जो जो है बना दो । हमको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि वह तो आपके ही लोगों को बनना है । अब कोई नजदीकी हारा हो तो ठीक है, वह जमानत जप्त वाला जाता है, बताओ, इतना तो अंधेर नहीं होना चाहिए । मैं तो शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलता सभापति जी, हो सकता है कि मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ता अगर जमानत जप्त होती तो ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुख्यमंत्री जी, आपके तेवर को देख रहे हैं, जंजीर पिक्चर के अमिताभ बच्चन टाइप है, अच्छा है । लेकिन मुख्यमंत्री जी आप याद रखिए कि लोगों का दिल आप अपने प्रेम से ही और व्यवहार से ही जीतेंगे। यह जांच कराइए। मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। पर आपको बहुत ही सहृदयता से, विनम्रता से, बड़प्पन से इस कुर्सी को संभालना है क्योंकि इस प्रदेश के विकास में सबका योगदान बहुत जरूरी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- (श्री अमरजीत भगत की ओर इशारा करते हुए) हमने आपको मुख्यमंत्री के सामने शेडो मिनिस्टर घोषित कर दिया। क्या आप इसी तरह का व्यवहार करेंगे क्या कि आप शेडो मिनिस्टर हैं।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भैया, एक मिनट भैया। आप वैसे तो मीठा बोलते हैं लेकिन आज भाभी जी बैठी हैं तो विशेष रूप से आपकी मीठी आवाज निकल रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, आज यह बताओ न कि विनियोग में क्या बोलें? पिछली सरकार इन्हीं की थी। सब उनकी गड़बड़ी है। आपने कभी कुछ काम नहीं किये हो तो मैं तो मुख्यमंत्री जी के लिए सलाह के संग शुभकामानाएं दूंगा कि आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। आप संवेदनशील रहेंगे। विपक्ष के प्रति प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए आप ख्याल रखेंगे और मुख्यमंत्री जी एक बात और कहना चाहता हूं। शिवरतन जी एक मिनट थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। हम लोग भी कुछ-कुछ बोलकर आ गये हैं। कॉलेज खुलवा देंगे। यह कर देंगे। वह कर देंगे पर इस बजट में मुझे नहीं दिखा क्योंकि हम लोगों को तो पूरा सनलाइट साबुन से साफ कर दिया (हंसी) तो यह थोड़ा असंतुलित हो रहा है। देखिए, हम भी बात करेंगे कि कॉलेज खोलो बच्चों के लिए है। कॉलेज कौन खोला? भूपेश बघेल के राज में खुला। परमानेंट नाम तो आप ही का होना है न। अभी भी हम लोग बोलते हैं कि अर्जुन सिंह जी ने लोरमी का कॉलेज खोला। दिग्विजय सिंह जी ने वहां का खोला। लोग आपको याद करेंगे। यह चश्मे का थोड़ा नंबर हटा दीजिए कि यहां सामने में कौन मांग किया है? मांग कोई भी करे, नाम तो आपका होना है पत्थर आपका लगना है। इसलिए हम लोग भी हिम्मत ही नहीं कर पाये आपको कुछ लिखकर देने की किसी को कि हमारा यह काम करो। पता नहीं आप आपकी गाइडलाइन क्या है? अगर आप कह देंगे तो हम लोग भी कुछ जनहित के काम की सलाह दे देंगे। आप कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी और नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं आपका? (हंसी) अपनी जगह बैठे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बजट पास होने के बाद जरूर गंभीरता से बात करिएगा और जब कभी कोई गंभीर समस्या हो। जब प्रदेश में कोई मुसीबत आये। जब प्रदेश में कोई जनहित से जुड़े मामले हों तो आप विपक्ष के संग मीटिंग भी करके उनसे सलाह लेने की अगर कोशिश करेंगे तो यह अच्छी परंपरा होगी। अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी।

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट से संबंधित विनियोग विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। यह बजट किसानों, ग्रामीण जनजीवन के अभूतपूर्व बदलाव लाने वाला बजट है। यह सदन विनियोग विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के खजाने की चाबी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को सौंप रही है। माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी दूरदृष्टि, पक्का इरादा ये है भूपेश सरकार का वादा। जो-जो वादा उन्होंने किया है, उन वादों को पहले बजट से ही, पहले बजट में ही उनके लिए प्रावधान किया गया है। मैं देख रहा था कि पिछले 5 वर्षों से माननीय भूपेश बघेल जी के साथ संगठन में काम करने का मौका मिला जो मैंने उन्हें देखा। वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदो को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। सचमुच में वे किसान पुत्र हैं। वे दूर-दृष्टा हैं, जो सचमुच में कुछ करना, कुछ कर दिखाना चाहते हैं। मैंने उनमें जज्बा, जुनून कुछ करने, कुछ कर दिखाने की ललक देखा है। क्योंकि लगातार संगठन में 5 वर्षों तक संगठन करके पूरे छत्तीसगढ़ को उन्होंने करीब से देखा है। करीब से देखा है कि छत्तीसगढ़ की क्या मूलभूत समस्याएं हैं ? छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है ? उन्हीं के अनुसार उन्होंने इस बजट में प्रावधान किया है और उस विजन के साथ काम कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी..।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मरकाम जी, छत्तीसगढ़ की जनता शराबबंदी चाहती है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन से जो 90 हजार करोड़ से अधिक की राशि मांग की है, विनियोग विधेयक के रूप में मांग गई है। यह बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा। बजट में सरकार का विजन, सरकार का रोडमेप दिखता है। छत्तीसगढ़ में, समृद्ध छत्तीसगढ़ की परिकल्पना इस बजट में दिखती है। किसान पुत्र संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री जी के इस बजट में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ की जनता का नब्ज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाना है। इसलिए आज कहीं न कहीं यह बजट छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।

माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ के पौन तीन करोड़ जनता की गाढी कमाई का पैसा, एक-एक पैसा इस सरकार के खजाने में आता है। हमने पिछली सरकारों को देखा है। पिछली सरकारें जो बजट बनाती थीं, ऐसी योजनाएं बनाती थीं जहां सिर्फ और सिर्फ उनको ज्यादा कमीशन दिखता था। जहां सरकार के लोग बैठे थे, उनका फायदा दिखता था। ऐसी योजनाएं बनाते थे। मगर हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की एक-एक पाई, पैसा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए खर्च करने का निर्णय लिया है। बजट में जो-जो प्रावधान है, उन प्रावधानों से हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता का इसमें फायदा होगा।

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति जी, आज हम देखते हैं कि जो भी बातें की गई है, वह बजट में दिखता है। चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर एवं जगदलपुर में मल्टी सुपरस्पेशयालिटी चिकित्सा स्थापना के लिए 22 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति जी, बस्तर से हर साल सी0एस0आर0 मद से,चाहे वह एन0एम0डी0सी0 हो, एस0एस0आर0 हो, चाहे वन वन सम्पदा से हो, करोड़ों-अरबों रूपया केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को मिलता है। मगर हमने पिछले 15 सालों से सुपरस्पेशयालिटी हास्पिटल, जगदलपुर में खोलने की मांग करते रहे हैं। जब कोई जवान नक्सली घटनाओं में घायल होते हैं, या बड़ी घटना होती है, उनको रायपुर में शिफ्ट किया जाता है। अगर सुपरस्पेशयालिटी हास्पिटल जगदलपुर में बनेगा, तो वहां के बस्तरवासियों के साथ-साथ वहां के जवानों, वहां के अधिकारियों-कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24*7 सुविधाएं हेतु स्टाफ नर्सों के पदो के सृजन हेतु 10 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। हमारे विपक्ष के साथी यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की बातें उठा रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ का मतलब यही है कि हम स्व सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाये। चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, चाहे उप स्वास्थ्य केन्द्र हो या जिला अस्पताल हो, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं क्या दे सकते हैं, क्या बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो विदेशों से अध्ययन करके आये हैं, उसका लाभ हमारे आमजन को मिलेगा।

माननीय सभापति जी, राज्य में 40 प्राथमक शाला, 25 पूर्व माध्यमिक शाला, 100 हाईस्कूल, 50 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों के लिए 34 करोड रूपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है। हमारे कई साथी लगातार भवनों की मांग करते रहे, मगर पिछली सरकार ने हमारी बातों को नजरअंदाज किया। हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने इसके लिए विशेष प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, एन0सी0सी0 अकादमी लखोली में स्टेट-2 निर्माण करने हेतु 14 करोड़ रूपये बजट में प्रावधान किया है। बजट में राज्य के राज्य मार्ग, मुख्य जिला सड़क एवं अन्य सड़कों के निर्माण के लिए 442 नवीन कार्यों के लिए 400 करोड़ बजट में प्रावधान रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि पूंजीगत व्यय की व्यवस्था नहीं की है। 442 नवीन सड़कों के लिए 400 करोड़ रूपये का प्रावधान, यह पूंजीगत व्यय नहीं है तो क्या है शर्मा जी? माननीय सभापति जी, सेरीखेड़ी में विधायक आवास कालोनी के लिए आसपास में अधोसरंचना के लिए 15 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान, यह हमारे साथियों के लिए है। जो नये साथी हैं, उनके लिए है।

अप्रकाशित/प्रकाशनार्थ नहीं

माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह हेतु पिछली सरकार मात्र 15 हजार रूपये प्रति जोड़ा देती थी, लेकिन हमारी सरकार ने उसके लिए प्रति जोड़ा 25 हजार रूपये का प्रावधान किया है। उसके लिए भी इस बजट में 19 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में आंगनबाड़ी भवन हेतु 29 करोड़ रूपये बजट में प्रावधान है। पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के रिस्पांस भत्ता के लिए 45 करोड़, 84 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है । राज्य में 5 थाना एवं 20 चौकियों के निर्माण के लिए 12 करोड़ रूपये, आंगनबाड़ी एवं अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था के लिए 10 करोड़, मिनी माता अमृत धारा जल योजना के लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है । हमारी सरकार ने जो-जो बातें की हैं, उसके लिए विशेष कार्य योजना बना रही है और हमारे विपक्ष के साथी लगातार आरोप लगा रहे हैं, पर हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता को इसका लाभ मिलेगा । हमारे विपक्ष के साथी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार बदलापुर की राजनीति कर रही है । छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा पिछली सरकार ने लूटकर अपनी जेब और उनके चहेते कार्यकर्ताओं, उनके चहेते नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया, कमीशन का जो खेल चलता रहा। अगर इसमें वर्तमान सरकार जांच कर रही है तो इसमें बदलापुर की राजनीति कहां से हुई है ।

माननीय सभापति जी, पूरे देश में जो पीडीएस सिस्टम का ढिंढोरा पीटा गया कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम पूरे देश में अव्वल नम्बर है, मगर उसी पीडीएस सिस्टम में बडे-बड़े छेद थे और लगभग 36 हजार करोड़ का जो नॉन घोटाला हुआ है, अगर वर्तमान सरकार उसकी जांच करा रही है तो इसमें बदलापुर की राजनीति कहां है । आज जांच से विपक्ष के साथी इतने घबरा गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष को हाईकोर्ट में याचिका लगानी पड़ रही है कि इसकी जांच रोकी जाये । आखिर आपकी सरकार के समय में जांच शुरू हुई है, अगर उसी जांच को हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है तो इसमें बदलापुर की बात कहां आ जाती है । नान घोटाले की बात हो तो हमारे छोटे कर्मचारियों के ऊपर प्रकरण दर्ज है, बड़े-बड़े मगरमच्छ जो पूरा चांवल निगल लिये, अगर उनके ऊपर जांच हो रही है तो इसमें बदलापुर की बात कहां से आ गई। हमने देखा है कि पिछले 15 सालों में हमारे युवक कांग्रेस के 14 ऐसे कार्यकर्ता, पढ़ने वाले बेगुनाह कार्यकर्ताओं के ऊपर तत्कालीन सरकार ने फर्जी प्रकरण करके जेल भेजा गया था । मैं हूं, चाहे संतराम नेताम जी हों, चाहे बृहस्पत सिंह हो, हमारे आधे से ज्यादा विधायकों के ऊपर प्रकरण दर्ज किये गए, मगर हमने तो कभी बदलापुर नहीं कहा ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, हम लोग सिर्फ पांच लोग बोलने वाले हैं ।

सभापति महोदय :- समय का ध्यान रखिए ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- मैं 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय :- मरकाम जी, मेरा निवेदन सुनें, समय की सीमा है न। समय की सीमा को भी ध्यान रखिए ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, मैं 10 मिनट में समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय :- आपको 10 मिनट हो गए, जो कुछ भी कहना है, एक मिनट में कहकर समाप्त करिए, संक्षेप में कह दीजिए ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में 12 वर्षों से छत्तीसगढ़ का खजाना खर्च कर रहे थे । वे हमेशा एफआरबीएम की बात करते थे..।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विनियोग प्रस्तुत किया और सरकार कितनी गंभीर है, आप देख लीजिए, केवल एक मंत्री उपस्थित हैं, सिर्फ एक मंत्री हैं । बाकी मंत्रीगण तो बैठ सकते हैं, सिर्फ एक मंत्री उपस्थित हैं, इस मामले को देखिए ।

सभापति महोदय :- भोजन करने गए हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, एफआरबीएम का मतलब होता है-फिजिकल रिस्पांसबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमेंट । इसका मतलब बजट मैनेजमेंट और रिस्पांसबिलिटी पिछली सरकार की थी कि छत्तीसगढ़ के खजाने को कहां-कहां खर्च करना है, मगर इन्होंने छत्तीसगढ़ के खजाने का दुरूपयोग किया है । इसलिए छत्तीसगढ़ में इतने बड़े-बड़े घोटाले उजागर हुए हैं। इस सरकार की रिस्पांसबिलिटी थी, वित्त मंत्री की रिस्पांसबिलिटी थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री की रिस्पांसबिलिटी थी कि बजट का पैसा कहां-कहां खर्च करना है । उन्होंने खर्च नहीं किया और सिर्फ और सिर्फ कमीशन का खेल किया। इसीलिए उनको रायगढ़ के एक कार्यक्रम में सार्वजनिक बयानबाजी करना पड़ा कि एक साल कमीशन खाना छोड़ दो, 30 साल तक राज करोगे । आज 65 सीट का सपना देख रहे थे, आज 15 सीट में सिमट गये, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही थी, छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का इन्होंने इतना दुरूपयोग किया, इसीलिए आज छत्तीसगढ़ की जनता ने 65 की जगह 15 सीट पर लाकर खड़ा किया । माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- सभापति महोदय, अब तक के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री के विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति महोदय :- भोजन अवकाश समाप्त कर दिया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए इस सरकार के विनियोग का हमने विरोध किया था ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, आप की ही व्यवस्था है, सुविधानुसार भोजन करें । समय भी हो रहा है, अत: सुविधानुसार भोजन कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री कहकर संबोधित इसलिए किया कि छत्तीसगढ़ की यह पांचवी विधान सभा है, इस पांचवी विधान सभा में जो बहुमत, आदरणीय भूपेश बघेल जी के पास है, वह किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं रहा । प्रथम विधान सभा में माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री बने थे, 48 सदस्य कांग्रेस के थे, 36 भारतीय जनता पार्टी के थे, दलबदल कराने के बाद भी उनकी संख्या 64 हुई थी, 68 नहीं हुई थी । तीन बार डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, दो बार 50 और एक बार 49 रहे । अभी तीन चौथाई बहुमत से ज्यादा 68 सदस्य कांग्रेस के, सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर रहा हूँ । सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री भी अपने विधायक दल को कैसे गुमराह कर रहे हैं, उसका उदाहरण इस सदन ने देखा है। केन्द्र ने नीति निर्धारित की है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत से ऊपर नहीं होगा । यहां 12 मंत्री बन गये । तेरहवें मंत्री का एक लालीपॉप इन सब के सामने झुलाया जा रहा है । लॉलीपाप संसदीय शब्द है माननीय अध्यक्ष महोदय ।

सभापति महोदय :- असंसदीय नहीं, लेकिन विनियोग में बोलिये ना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग पर ही बोल रहा हूँ ।

सभापति महोदय :- यह विनियोग का विषय नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- विनियोग पर पूरे सरकार के क्रियाकलाप पर मुझे बोलने का अधिकार है ।

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, आपको अधिकार है, लेकिन अधिकारों का विवेकपूर्ण उपयोग करिये ना । आपके प्रथम वक्ता ने काफी देर बोल लिया है, आप विषय पर जो बोलना चाहे बोलें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं तो आपकी पीड़ा को व्यक्त करने वाला हूँ।

सभापति महोदय :- मेरी पीड़ा की आप चिन्ता मत करिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यथा समझ लीजिए, आप पीड़ा छोड़ दिये । माननीय सभापति जी, एक अनार, सौ बीमार । मंत्री एक बनानी है, लाईन लंबी है ।

सभापति महोदय :- आपके पास दूसरा पाईन्ट नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक विधेयक लाया गया कि मंत्रियों की संख्या बढ़ा दो । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी देश के संविधान के प्रति कितना प्रेम रखते हैं, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ । पूरे देश में 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया गया । कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में तिरंगा नहीं फहरा है । राजीव भवन में चरखे वाला झण्डा फहराया गया । यह

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इस प्रदेश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पीरियड में रही है । माननीय अध्यक्ष जी, जांच की बात लगातार हो रही है । जांच में चाहे इधर के वक्ता हो या इधर के वक्ता हो, झीरम घाटी का जरूर उल्लेख होता है । कल भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हो रहा था तो मैंने बीच में टोककर इस विषय को रखा था । आज मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि झीरम का सच सब के सामने आना चाहिये । पूर्ववर्ती सरकार ने प्रशांत मिश्रा, उच्च न्यायालय की अध्यक्षता की, उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया । माननीय मुख्यमंत्री जी सारे तथ्य एस.आई.टी. में करायें जाये, ठीक है । प्रशान्त मिश्रा, जांच आयोग के सामने सारे तथ्य क्यों नहीं रखते ? पहले उन्होंने माना था कि तथ्य रखूंगा तो लोगों की सुरक्षा कौन प्रदान करेगा ? अब वह सुरक्षा देने में सक्षम है और मैं समझता हूँ कि किसी न्यायिक जांच से कोई भी जांच बड़ी नहीं होती है। अब वह न्यायिक जांच भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में हो रही है। कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी झीरम घाटी का सत्य लाने के बजाय झीरम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार को लगभग 70 दिन पूरे हुए हैं। अब 70 दिन में राजनीतिक विरोधी दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को परेशान करने की 70 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इस सदन के पूर्व सदस्य के साथ जो घटना हुई, कल हमने सदन में इस मामले को उठाया, प्रदेश सरकार का मंत्री बस्तर में प्रेस कांफ्रेंस करता है और प्रेस कांफ्रेस में पत्रकारों को कहा जाता है कि ये सब आर.एस.एस. वाले हैं। ये पत्रकार भाजपा वाले हैं और जब वहां युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढ़ंग से उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो उसमें लाठीचार्ज होता है, उसका हाथ तोड़ दिया जाता है। चाहे गरियाबंद हो, कोरबा हो, सुकमा हो, रायपुर हो, राजनीतिक बदले की भावना से कार्यवाही करने में ये सरकार लगी हुई है। आपकी तरफ से जब वक्ता बोलने के लिए खड़े होते हैं एक बात बड़े जोरदार तरीके से बोलते हैं कि त्रिसतरीय पंचायती राज हमारी देन है। हमारे माननीय फलाना नेता ने यह किया वह किया। इस सरकार के बनने के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायती राज के कार्य को कमजोर किया जा रहा है। जिला पंचायत की निधि और जनपद पंचायत की निधि इन दोनों निधियों में कटौती हुई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना भाषण देते हुए यह कहा कि हमने जन घोषणा पत्र के 60 प्रतिशत से ज्यादा बिन्दु पूरे कर दिये हैं। सरकार ने जब एक महीना पूरा किया तो एक महीना पूरा करने पर बड़े जोरदार ढ़ंग से पेपरों में विज्ञापन छपा था। उस विज्ञापन में किसान का कर्ज माफी एक विषय था। लगातार सदन में हम चुनौतीपूर्ण ढंग से कहते रहे कि यदि आपने किसान का कर्ज माफ कर दिया तो नो-ड्यूज दिला दो। गंगाजल उठाकर कसम खाये थे कि 10 दिन में यदि कर्ज माफी नहीं किए तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे। 70 दिन हो गये, 70 दिन में एक भी किसान को नो-ड्यूज दिलाने की स्थिति में आप नहीं हैं। आप कहेंगे कि विनियोग आज हमने पास किया है तो हम कैसे दें।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपने अनुपूरक में भी कर्जमाफी की बात की है और उसे एक माह से ऊपर हो चुका है। उसके बाद आप किसान को नो-ड्यूज दिलाने की स्थिति में नहीं हो। आपने दूसरी बड़ी घोषणा की।

श्री मोहम्मद अकबर :- नो-ड्यूज अलग चीज है। प्रक्रिया के बाद नो-ड्यूज तो जारी किया जायेगा। 10 हजार 200 करोड़ का कर्जमाफी हुआ है, आप कैसी बात कर रहे हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है मैं दो बातें बोल रहा हूं। एक तो आपने जन घोषणा पत्र में किसान के कर्जमाफी की बात की थी। उसमें मध्यमकालीन और दीर्घकालीन कर्ज माफ करने से आप पीछे हट गये। दूसरी बात- आपने घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट कहा था कि हम दस दिन में कर्जमाफी करेंगे। अगर आपने कर्जमाफी कर दी तो आपको नो-ड्यूज देने में क्या आपत्ति है। वास्तव में कर्जमाफी का पैसा अभी तक बैंकों में जमा नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं।

श्री मोहम्मद अकबर :- 10 दिन में नहीं बल्कि मात्र दो घंटे में कर्ज माफ हुआ है। माफी की प्रक्रिया है, आगे चलकर नो-ड्यूज भी मिल जायेगा। समय का इंतजार करिये, सब चीज सामने आ जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप विद्वान सदस्य हैं। अगर आपने दो घंटे में पूरा कर दिया, घोषणा पत्र में 10 दिन की बात की थी तो प्रक्रिया जितने दिन में पूरा कर सकते थे आपको उसका उल्लेख आपको करना था। आपने वह प्रक्रिया पूरी नहीं की और आधी अधूरी कर्जमाफी की बात की है।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- शर्मा जी, अभी मेरे यहां के किसान लोग आये थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देकर गये हैं कि सारे किसानों के खाते में कर्ज की राशि पहुंच गई है। (माननीय लालजीत सिंह राठिया, सदस्य मुंह में कुछ चबा रहे हैं।)

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, पहली बात तो आप संसदीय कार्य के बहुत ज्ञाता हैं, वह खाते-खाते बोल रहे हैं, यह उनको देख लीजिए। विधानसभा में यह नहीं होना चाहिए। उनसे मुंह खाली करवाईये, फिर उनसे बोलवाईये।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, किसानों का कर्ज माफ हो गया है। खाते में उनके पैसे पहुंच गये हैं। ऋण माफी हो गई है। आप यहां पर सदन में असत्य बोल रहे हैं। आप ब्राम्हण लोग को सही शब्द बोलना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, सरकार ने एक महीने की सफलता का विज्ञापन छपवाया। उस विज्ञापन में एक बात थी कि हमने पांच डिस्मिल तक की रजिस्ट्री की अनुमति प्रदान की। आप कहें तो मैं सदन की पटल पर राजस्व सचिव के दो पद रखने को तैयार हूं। ये इत्तेफाक है कि दोनों पत्र राजस्व सचिव ने जारी किया जो एक ही समय है। नाम नहीं लेना चाहिए, जो वर्तमान में हैं, वे पहले भी थे। एक तरफ उन्होंने इसको रोकने के लिये एक आदेश किया। उसमें छत्तीसगढ़ भू राजस्व

अप्रमाणित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

संहिता की धारा 98 के अंतर्गत बनाये गये नियमों में ये स्पष्ट प्रावधान है कि कृषि भूमि का 0.05 एकड़ अथवा 0.05 रूपये लगान से कम भूखंड न किये जायें। ऐसी स्थिति में कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों में बेचना उक्त नियमों के विपरित है। एक तरफ सचिव ने पत्र जारी करके पांच डिस्मिल से भू राजस्व की धारा का उल्लेख करते हुए पांच डिस्मिल की बिक्री को प्रतिबंधित किया। आपके दबाव में उसी सचिव ने दूसरा पत्र जारी करके पांच डिस्मिल की बिक्री को एलाऊ कर दिया। साथ में ये भी जोड़ दिया कि कलेक्टर इस बात को सुनिश्चित करें कि भू राजस्व संहिता की धारा 70 और धारा 98 का पालन हो। अब धारा 70 और धारा 98 का पालन होगा। किसी भी स्थिति में पांच डिस्मिल की जमीन का पंजीयन नहीं हो सकता। विधि विरूद्ध आदेश देने का काम इस सरकार ने किया है। कल मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने जो जन घोषणा पत्र जारी किया। उस जन घोषणा पत्र में हमने 60 प्रतिशत से ज्यादा घोषणाओं को पूरा किया । मैंने खाली उनके भाषण को सुन करके, आज आपके जन घोषणा पत्र को सदन में ले करके आया हूं और ये दिखाने के लिये आया हूं कि पढ़ पढ़ के आप लोग ही बता दो, कौन सी घोषणा पूरी हुई। पहली घोषणा थी किसानों की कर्जा माफी हुई, आधी अधूरी, मध्यम कालीन दीर्घकालीन नहीं हुआ। सब का बिजली बिल आधा किया जायेगा। आपने इसको 400 यूनिट की सीमा में बांध दिया। वह भी खाली डोमेस्ट्री में बांधा। किसानों को आप किसी प्रकार की बिजली माफी नहीं कर रहे हैं। उद्योग जगत को आप किसी भी प्रकार की बिजली माफी नहीं दे रहे हैं। आपका जन घोषणा पत्र, आप पढ़ लीजिये। सबका बिजली बिल आधा किया जायेगा। क्या आप इस घोषणा को पूरा मानोगे ? हर घर रोजगार, राजीव मित्र योजना के अंतर्गत 10 लाख बेरोजगारों को समाजसेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम प्रतिमा ढाई हजार रूपये प्रदान किया जायेगा। ये राजीव मित्र योजना कौन सी है। इसमें क्या काम करना है ? सामुदायिक विकास के लिये आप क्या करने वाले हो ? कब ढाई हजार रूपये दोगे ? माननीय श्री अजय चंद्राकर जी का और मेरा दो बार इस विषय पर विधानसभा में प्रश्न आ गया।

श्री दीपक बैज :- सभापति महोदय, साहब देंगे न, अभी तो पांच साल बचा हुआ है। आपके जैसे 15 साल थोड़ी किये हैं। अभी तो दो ही महीना हुआ है।

सभापति महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी, उन्हीं बातों का रिपीटेशन है समाप्त करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, नहीं नहीं। कोई रिपीटेशन नहीं है।

सभापति महोदय :- सभी चीजें तो घोषणा पत्र में आधारित हैं। समाप्त करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अभी तो शुरू किया हूं। आप बोलेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- नहीं आपको 12, 13 मिनट हो गये। नहीं बैठ क्यों जाये? आप समाप्त करिये। जल्दी समाप्त करिये। आपके दल का समय भी तो देख लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, विधानसभा की परंपरा ये रही है कि तीन घंटे का समय निर्धारित होने के बाद छः घंटे तक चर्चा चलती रही है। आसंदी के निर्देश पर ही चलती रही है। आप थोड़ा उदारता बनाईये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय सभापति जी, ये दल के सभी को देखेंगे तो एक मिनट में खत्म हो जायेगा। हम सब लोग बैठ जायेंगे तो सामने वाले क्या बोलेंगे ? हम लोग को उदारता के साथ समय दीजिये।

सभापति महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, समय की सीमा का ध्यान रखिये। रिपिटेशन न हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप क्या कर रहे हो ?

सभापति महोदय :- रिपिटेशन ठीक नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, कल खाद्य सुरक्षा का विषय आया। खाद्य सुरक्षा में माननीय मंत्री जी अकबर साहब ने भी ये घोषणा की थी कि हम 35 किलो चावल प्रत्येक परिवार को देंगे। पर आपने आदेश क्या किया है ? बी.पी.एल. परिवार को 1 रूपये किलो में देंगे और सामान्य परिवार को 10 रूपये किलो में चावल देंगे और आपके जनघोषणापत्र में है कि आप प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल प्रतिमाह 1 रूपये की दर से देंगे। आप बोलें तो पढ़ सकते हैं मैं पढ़ रहा हूँ। माननीय अकबर साहब, आपको समर्पित है। आपने 1 रूपये किलो में देने के घोषणा की थी आपने प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल प्रति माह 1 रूपये की दर से देने की घोषणा की थी लेकिन आप 10 रूपये किलो में दे रहे हैं। क्या आप अपनी घोषणा को पूरी मान लेंगे। आप लोगों को धोखा देने की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, आप शब्दों में मत जाईये। जो इंकम टैक्स पे कर रहा है उसको 1 रूपये में कैसे दिया जायेगा? इंकम टैक्स पेयी को कैसे देंगे

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जन घोषणापत्र बनाने के पहले सोचना चाहिए था।

सभापति महोदय :- ये स्पष्ट है अण्डरस्टूड है कि इंकम टैक्स पेयी को नहीं मिलेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय,माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की और स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के सारे परिवारों को सम्मिलित किया। आप जब जन घोषणापत्र बनाते है..।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- आप चाहते हैं कि इंकम टैक्स पेयी को 1 रूपये में दिया जाये? इंकम टैक्स पेयी को कैसे देंगे, ये सोचने की बात है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश में इंकम टैक्स पेयी की संख्या कितनी है। 1, डेढ़ प्रतिशत से ऊपर नहीं है।

सभापति महोदय :- आप शब्दों पर मत जाईये। जो भी हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पर मैं केल इनकी घोषणा याद दिला रहा हूँ। आपने लोगों को धोखा देने के लिए घोषणा की है। आज ये सारी बातें क्यों हो रही है।

समय :
2:51 बजे

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, ये वर्ष 2003 में जो घोषणा किये उसको पूरा नहीं किया। वर्ष 2008 में जो घोषणा की थी उसको पूरा नहीं किया। वर्ष 2013 में जो घोषणा की थी उसको पूरा नहीं किये। हमको अभी 2 महीने हुए हैं आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं ?

श्री दीपक बैज :- माननीय शिवरतन भईया, आपके तीनों कार्यकाल निकल गये। अभी तो हमारे 2 महीने ही हुए हैं। हमारा आधा काम पूरा हो गया है और थोड़ा सा बचा हुआ है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग अपनी घोषणाओं को पूरा करेंगे। आप वर्ष 2003 की एक-एक घोषणा पूछिये। जर्सी गाय कहां है, आदिवासी लोग गेरवा धर के खोज रहे हैं ?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मंत्री जी, इसीलिए तो वह याद दिला रहे हैं। वह पूरा नहीं किये तो ये हालत हो गई। आप पूरा करिये, इसीलिए वे याद दिला रहे हैं। आपकी हालत वैसी न हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, आप चिंता मत करिये। आप जिससे समझौता करे हो, वही आपको खा जाएगा।

श्री दीपक बैज :- साहब, अभी तो पांच साल है, हमें अभी तो दो ही महीने हुए हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, ये पहले जो घोषणा किये थे, हमने तो जितनी घोषणाएं की थीं, उसमें से 36 उसका आधा पूरा कर चुके हैं। ये तो उसमें से 5 प्रतिशत को पूरा नहीं किये हैं। वर्ष 2003 में जो आदिवासियों को जर्सी गाय दिये थे। ये भीमा मण्डावी को एक जर्सी गाय मिली क्या ? आपने आदिवासियों की जर्सी गाय देने की बात की थी। हर आदिवासी परिवार को एक नौकरी देंगे, ऐसा बोले थे, उसका क्या हुआ ?

सभापति महोदय :- आप विषय पर बोलिए।

अपरिष्कृत/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दीपक बैज :-जर्सी गाय को ये लोग रख लिये थे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, ये इस तरह का भाषण दे रहे हैं। अभी दो महीने हुए हैं। अभी बाकी घोषणाएं हम पूरी करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, सत्य जरा कड़वा होता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा था कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने अपने जनघोषणापत्र के 60 प्रतिशत काम..।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, अभी हम लोग काम चालू नहीं किये हैं। अभी वर्ष 2019-2020 का हमारा बजट पास हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसलिय मैं पूरा जनघोषणापत्र लेकर इनके सामने बात कर रहा हूँ। ये बार-बार वर्ष 2003 के हमारे संकल्प पत्र की बात करते हैं। वर्ष 2003 का संकल्प पत्र जारी करने के बाद हम वर्ष 2008 और वर्ष 2013 में इस सदन में सरकार बनाकर आये हैं। ये मत भूलिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, आप आये थे जनता को धोखा देकर आये थे। इसलिए जनता ने आपको उधर भेज दिया।

श्री दीपक बैज :- आप आये थे 300 रूपये बोनस लेकर आये थे, फिर वह 2100 रूपये समर्थन मूल्य देने की बात लेकर आये थे। माननीय शिवरतन भईया जब आप 2100 रूपये समर्थन मूल्य देने की पहल करेंगे क्या आप उधर से दिल्ली सरकार को बैठकर, पूछकर किये थे? बाद में बनने के बाद उधर चिट्ठी लिख दिये?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवास का अधिकार आपने इसमें समय बांधा है। कि एक साल के अंदर आप होम स्टेट अधिनियम लायेंगे और 5 सदस्यीय परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में घर और बाड़ी देंगे और दो कमरे का मकान शहरी क्षेत्र में देंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। 3 लाख से ऊपर मकान बन चुके हैं। केन्द्र की सरकार लगातार इसके लिए पैसा दे रही है जिस काम के लिए केन्द्र से पैसा आ रहा है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- शर्मा जी, अभी पइसा नइ आवत हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, उसको आप शामिल करने वाले हो। प्रत्येक थाने में महिला सेल बनाने की बात हुई। मैं तो चुनौती पूर्वक बोलता हूँ कि जरा होम मिनिस्टर बता दें कि प्रत्येक थाने में 2 महीने के अंदर महिला सेल बनाने वाले थे। अभी तो पूरे जिले में भी महिला सेल नहीं बनाये हैं। ये प्रत्येक थाने की बात करते हैं और जन घोषणापत्र का 60 प्रतिशत पूरा करने की बात करते हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जायेगी। किसी की भी छटनी नहीं की । माननीय सभापति जी, सारे संविदा कर्मियों के निकालने के आदेश इस सरकार ने दिये हैं और पूरे प्रदेश के समाचार पत्रों मे ये छपा है। किस अनियमित कर्मचारी को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को ये सरकार नियमित करने का काम कर रही है ?

श्री मोहन मरकाम :- आप लोगों ने 15 साल में कुछ नहीं किया, हमारी सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है और जरूर पूरा करेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, शिक्षाकर्मियों को दो वर्ष में, जिनने दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली, उनका संविलियन किया जायेगा, नियमित किया जायेगा। आप बताईये कि आपने क्या प्रक्रिया शुरू की है ? क्या बजट आवंटन किया है ?

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, संक्षिप्त करें। आप कितना समय और लेंगे?

श्री शिवरतन शर्मा :- बस, 5 मिनट। माननीय सभापति जी, महिला स्वसहायता समूह का सशक्तिकरण एवं कर्ज माफी की जायेगी। लगभग 1 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। आपने किस महिला स्वसहायता समूह के कर्जमाफी की प्रक्रिया शुरू की है ? आप महिला स्वसहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए क्या करने वाले हैं ? उसका कहीं अता-पता नहीं है।

श्री मोहन मरकाम :- पता चलेगा, आप इंतजार तो कीजिए। जनघोषणा पत्र को 5 साल में क्रियान्वित करना है। आपने 15 साल कुछ नहीं किया, हमारी सरकार 5 साल में करके दिखायेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मनरेगा का क्या किया है, मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जायेगा। इनने मनरेगा को नरूआ, गरूआ, घुरूआ, बाड़ी को समर्पित कर दिया है। नरूआ, गरूआ, घुरूआ, बाड़ी पूरी तरह से असफल रहने वाली योजना है।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, समाप्त करें और बहुत माननीय सदस्य लोगों को बोलना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, अभी मैं शुरू ही किया हूं, आप आसंदी पर बैठे हैं तो वैसे भी ज्यादा बोलने की इच्छा हो रही है। नरूआ, गरूआ, घुरूआ और बाड़ी, माननीय सभापति जी, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आज ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर नरवे में अतिक्रमण हो चुका है। बाड़ी, बाड़ी के लिए पानी कहां से लाओगे ? गौठान बनाने की बात कर रहे हैं आधे से ज्यादा स्थानों में गौठान बनाने के लिए गांव में भूमि नहीं है। घुरूआ, मैने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था, इसके माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाले हो। 80 और 90 के दशक में 90 प्रतिशत सब्सिडी में गोबर गैस के प्लाण्ट बनाये थे और वह असफल हो गये। जब व्यक्गित रूप से सब्सिडी में

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बनाया गया गोबर गैस का प्लाण्ट असफल हो गया, तो सार्वजनिक रूप से बनाया गया प्लाण्ट कितना सफल होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, 5 वर्ष में हम सिंचाई क्षेत्र को दोगुना करेंगे। छत्तीसगढ़ का 34 प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र है। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ का सिंचाई का रकबा 19 प्रतिशत था। 18 साल में छत्तीसगढ़ में सिंचाई का रकबा 15 प्रतिशत है और यह 5 साल में सिंचाई के रकबे को डबल करने वाले है, उसके लिए बजट कितना लगेगा ? इस साल आपने बजट का क्या प्रावधान किया है ? खाली सिंचाई विभाग के बजट में कटौती हुई है। जब आप सिंचाई विभाग के बजट को काट रहे हो तो आप कैसे डबल करोगे, जरा ये बता दीजिए। माननीय सभापति जी, आपने लोहण्डीगुड़ा की किसानों की जमीन वापस कर दी। आपकी बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय :- लोहण्डीगुड़ा।

श्री शिवरतन शर्मा :- हॉ लोहण्डीगुड़ा।

श्री दीपक बैज :- आपसे मांग-मांग कर थक गये थे, आप तो दे नहीं रहे थे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, देश की पहली सरकार है कि किसानों की जमीन वापिस कर रही है। यह हमारी सरकार की पहली उपलब्धि है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मैं पहले से बोल चुका हूं। आपने वापस किया, आप बधाई के पात्र हो, पर ऐसे प्रकरण छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर में ही 701 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसका कल आपके मंत्री जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। आपने जो निर्णय वहां के लिए किया है, क्या वह पूरे प्रदेश के लिए करेंगे, जरा यह बता दें ?

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, यह बताईये कि किसानों की जमीन यदि किसानों को वापस हो गई तो क्या कोई अपराध हो गया ?

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। श्री केशव चन्द्रा जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में थोड़ी सी एक बात कहकर समाप्त करता हूं।

श्री मोहन मरकाम :- शर्मा जी किसानों की जमीन वापस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं बोल रहा हूं कि पूरे प्रदेश की करो।

श्री बृहस्पत सिंह :- फिर धन्यवाद दीजिए न।

सभापति महोदय :- आपका भी नाम बोलने वालों में है।

श्री मोहन मरकाम :- सरकार को धन्यवाद दीजिए न।

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, आज एक प्रश्न के उत्तर में माननीय शिव डहरिया जी ने कहा, माननीय शैलेश पांडे जी का प्रश्न था, एक मजदूर की मृत्यु हुई और उस मजदूर की मृत्यु पर हमने 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। क्या किसी की मृत्यु पर कोई मुआवजा हो सकता है ? किसी के सिर से पिता का छाया उठ, किसी की मांग का सिंदूर पूँछ जाये तो क्या 5 लाख रूपये से उसकी पूर्ति हो सकती है ? आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं लेकिन आप किसी के बदले मुआवजा नहीं दे सकते और यह शब्द इस सरकार की संवेदनशीलता को प्रकट करता है । यह सरकार प्रदेश के विकास की बजाय राजनीतिक दुर्भावना से काम करने वाली सरकार है । यह सरकार प्रदेश के भविष्य को समाप्त करने वाली सरकार है । कल माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि 15 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 28 हजार करोड़ का कर्ज लिया और इस सरकार ने 2 महीने में 12 हजार करोड़ का कर्ज लिया । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- श्री शिवरतन भैया, वह 28 हजार नहीं है, वह 43 हजार करोड़ है । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- 15 साल का भाषण सुनते-सुनते उधर यह हाल हो गया है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हमने लोगों को बांटने के लिये कर्ज लिया । ठीक है आप किसानों को बांटिये लेकिन छत्तीसगढ़ कहां जायेगा ? छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी ? छत्तीसगढ़ की अधोसरंचना का विकास कैसे होगा ? इस विषय पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है । माननीय सभापति महोदय, मैं इस विनियोग का विरोध करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिये जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री केशव प्रसाद चंद्रा ।

श्री मोहन मरकाम :- श्री चंद्रा साहब, आपको बहुत मिला है इसलिये विनियोग का विरोध मत करियेगा नहीं तो कटौती होगी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी धमका रहे हैं । (हंसी)

श्री दीपक बैज :- आप लास्ट में धन्यवाद बोल दीजियेगा । (हंसी)

श्री संतराम नेताम :- आपको याद दिला रहे हैं, आपको धमका नहीं रहे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- चलिये याद दिला रहे हैं तो आपको धन्यवाद और यदि आप धमका रहे हैं तो कृपया धमकाईये मत । (हंसी) माननीय सभापति महोदय, किसी भी सरकार का एक विजन होता है, एक उद्देश्य होता है कि हम किस रणनीति से काम करेंगे ताकि प्रदेश बेहतर ढंग से चल सके ? प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो और लोगों के हित में काम हो । आज सरकार को भी बहुत बड़ा जनादेश

अशोधित/अप्रमाणित के लिये नहीं

मिला है । छत्तीसगढ़ की जनता ने 68 सीटों का जनादेश दिया है और इस विश्वास के साथ दिया है कि यह सरकार...।

श्री अजय चंद्राकर :- इस विश्वास के साथ दिया है कि आदमी के साथ-साथ हाथी की भी रक्षा करेंगे करके । (हंसी)

श्री दीपक बैज :- क्या है अजय भैया, हाथी में गलत सवारी हो गयी है इसलिये गड़बड़ हो गया है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- श्री दीपक जी, मैं बढ़िया बोल रहा हूं । इस विश्वास के साथ दिया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मजदूर और किसानों की बेहतरी के लिये यह सरकार काम करेगी । माननीय सभापति महोदय, केवल 2 महीने हुए हैं, हम सरकार की ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहते । अभी तक इस बजट सत्र में या जो भी प्रश्न आया ।

श्री अजय चंद्राकर :- अब आलोचना भी कर लोगे तो आप तीन चौथाई बहुमत में क्या बिगाड़ लेंगे ? इसको बताओ न । (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जितने भी प्रश्न आये, जितने भी विषय आये । अधिकतर इस सरकार के कार्यकाल का नहीं रहा, पिछली सरकार के कार्यकाल का है।

श्री अजय चंद्राकर :- देखिये न, बड़े-बड़े योद्धा भीष्म पितामह सामने सिर झुकाये चुप बैठे हैं । (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, बड़े-बुजुर्ग लोग कुछ कहते हैं कि बेटा दो चीजों का घमण्ड मत करना । एक तो पद का और दूसरा धन का । आप जिस दिन ये पद और धन का घमण्ड किये, आपने जिस दिन मानव हित के विरोध में इसका उपयोग किया ।

श्री दीपक बैज :- श्री चंद्रा जी, उधर दोनों चीजें वैसी ही हो गयीं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, यह दोनों चीजें किसी के पास रहने वाली नहीं हैं, चलायमान है । मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आप 68 के बहुमत में तो हैं । आपको काम करने का मौका मिला है, छत्तीसगढ की जनता के लिये आप काम कीजिये । निश्चित रूप से 2 महीने में आपने कुछ ऐसे निर्णय लिये जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले अन्नदाता किसानों के हित में रहा, लोगों को उसका लाभ मिला, मैं निश्चित रूप से इसके लिये धन्यवाद दूंगा । सरकार का यह एक साहसिक कदम है कि आपने कर्जा माफ करने का जो निर्णय लिया, सीधे-सीधे इस प्रदेश के अन्नदाता नांगर जोतने वाले किसान को उसको लाभ मिला । बिजली बिल हाफ में भले ही कुछ विसंगति होगी लेकिन निश्चित रूप से इसका भी लाभ लोगों को मिलेगा ।

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- बिजली बिल हाफ लोगों को जो मिलेगा, वह तो मिलेगा लेकिन करंट से हाथी मर रहे हैं उसका क्या होगा ?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- सभापति महोदय, मैं वह दिन भी याद दिलाता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी विपक्ष में बैठते थे तो मैं भी इस सदन में था और जब सरकार ने निर्णय लिया कि अब हम शराब ठेका पद्धति से नहीं बल्कि सरकार के माध्यम से बेचेंगे तो यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस दिन प्रश्नकाल को रोककर स्थगन लाए थे कि सरकार के शराब बेचने से पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम हो रहा है । तमाम समाचार पत्रों में छप रहा है, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया । आज ऐसा क्या हो गया कि इस तरफ से उस तरफ जाते ही, आपका विजन बदल गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पांच हजार करोड़ का सवाल है ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- इसीलिए मैंने कहा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- पांच नहीं, आप पूरे देश में अव्वल आए थे साढ़े चार हजार करोड़ था ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जिस विश्वास के साथ आप यहां चुनकर आए हैं । कम से कम उनके साथ आप विश्वासघात मत कीजिए । शराब बंदी का आपने वायदा किया था । समाज में जहर बंट रहा है उसे रोकने का आपने वायदा किया था । सामाजिक बुराई समाप्त करने का आपने वायदा किया था लेकिन इतना बड़ा बहुमत होने के बाद भी आप इस चीज पर साहस क्यों नहीं कर पा रहे हैं । माननीय चन्द्राकर जी यह पांच हजार करोड़ राजस्व की बात नहीं है । पांच हजार के पीछे वह कारण है जिसे आप भी बेहतर ढंग से जानते हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- चन्द्रा साहब । शराब पीने वालों ने हमें वोट ही नहीं दिया था क्योंकि बंद करने वाले हैं करके, सही बता रहा हूं ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मतलब आपको वोट नहीं दिया तो उन्हें आप फांसी पर लटकाएंगे । भई, आपको वोट नहीं दिया तो आप उन्हें फांसी पर लटकाएंगे । वोट नहीं दिया इसलिए आप जहर बांटेंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद करेंगे ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- स्मगलिंग बढ़ जाएगी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नवजवानों को बर्बाद होने के लिए सरकार चलाएंगे । सभापति महोदय, इस पर आपको निर्णय लेना चाहिए था और शायद पहले ही सत्र में आप यह साहसिक निर्णय लेते । भले ही पांच हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान होता ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको साढ़े चार हजार करोड़ बोल दो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- छत्तीसगढ़ के नवजवान, किसान हर समाज के लोग आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं । आप अगर पांच अच्छे निर्णय लेते हैं और यदि एक अच्छा निर्णय लेने से चूकते हैं तो

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आपके पांच अच्छे निर्णय का कोई मतलब नहीं रहता। आपको विरोध उतना ही झेलना पड़ेगा । सभापति महोदय, सरकार का दो महीना हो गया है । आपने बजट में जो कटौती किया तो किया ।

सभापति महोदय :- आपका समय हो गया है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- थोड़ा सा समय चाहूंगा । आपका संरक्षण मिले । लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने का ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, हाथी दौड़ता कम है और मस्ती से चलता है । वे हाथी की तरह मस्ती से बोल रहे हैं, चलिए बोलिए आप । इसलिए अभी हाथी को भी संरक्षण की जरूरत है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, घोर आपत्तिजनक है । हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक हैं उन्हें हाथी कहा जा रहा है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति महोदय, निश्चित रूप से हम अभी एक से दो हुए हैं । आने वाले समय में हमारी जितने सीटें बढ़ेंगी मैं उन्हें समर्पित करूंगा, माननीय चन्द्राकर जी सदन के अंदर हाथी का खूब प्रचार कर रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- चंद्रा साहब, आज हमारे साथ आते तो सरकार में रहते, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी ।

सभापति महोदय :- इन माननीय सदस्यों ने हाथी की सूंड नहीं देखी है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, प्रशासनिक कसावट लाने में कौन से बजट की आवश्यकता है ? लेकिन सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। आज भी छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आंतकवाद कायम है । आज भी आपके अधिकारी जनहित की किसी भी बात को सुन नहीं रहे हैं । न उस पर अमल कर रहे हैं, सरकार बदली और सरकार के साथ अधिकारियों का विजन बदल गया । कल इनके साथ खड़े थे, आज उनके साथ खड़े हैं । बाकी सिस्टम वही है भ्रष्टाचार व्याप्त है । लोगों का शोषण हो रहा है । सरकार की कोई भी योजना जमीनी स्तर तक, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है ।

श्री दीपक बैज :- चंद्रा साहब, वही अधिकारी तो काम करेंगे । बाहर से थोड़े ही लाएंगे काम करने के लिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- वही अधिकारी काम करेंगे तो लेन देन को बंद करवा दो ना भइया । लेन देन को बंद करवा दो ।

सभापति महोदय :- केशव जी, आप अपने विषय पर आइए ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जी बिल्कुल। विषय पर ही हूं । माननीय सभापति महोदय, सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए था तो सबसे पहले श्रमिकों के हित पर ही निर्णय लेना था। इसलिए उस श्रम

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करने वाले व्यक्ति न वे सरकार के भरोसे रहते हैं और न ही किसी व्यक्ति के भरोसे रहते हैं बल्कि अपनी मेहनम की बदौलत अपने शरीर की ऊर्जा को समाप्त करके 4 पैसा कमा कर अपने घर परिवार का लालन-पालन करते हैं लेकिन श्रमिकों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। आज पलायन कर रहे हैं। लाचारी और बेबसी में बाहर जा रहे हैं। बंधक बन रहे हैं। उनके साथ शोषण हो रहा है। कई-कई साल तक का मजदूरी भुगतान बाकी है। अब भले ही पिछली सरकार को दोष देते रहें लेकिन आपने क्या किया? क्या दो महीने में आप उनकी मजदूरी भुगतान किये? शौचालय बना। शौचालय का भुगतान नहीं हुआ। प्रोत्साहन राशि जो प्रलोभन देकर आप बनवायें, उनको नहीं मिला। माननीय सभापति महोदय, सरकार के लिए कोई छोटी-मोटी चुनौती नहीं है। 68 सीट पर आये हैं तो आप सभी को विश्वास दिलाकर आये हैं और उनके साथ अगर आप विश्वासघात करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी सजा भी जनता देगी। आपने कोटवारों को वादा किया। मितानिनों की बेहतरी के लिए आपने वादा किया है। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का आपने वादा किया है। आपने शिक्षाकर्मियों को दो साल में संविलियन करने का वादा किया है। जो प्रेरक हैं, उनको वादा किया है। पंचायत में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे थे, जिनको निकाल दिया गया, उनको भी आपने वादा किया है और कितने सारे हैं? ये 36 बिंदु तो बता रहे हैं लेकिन 36 बिंदु को अगर आप पढ़ेंगे तो शायद उन 36 बिंदुओं का समाधान कर लें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में और कोई समस्या नहीं बचेगी। 3 वादों को आपको पूरा करना होगा।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि माननीय चन्द्राकर जी ने बिल्कुल सही कहा। हम विनियोग का विरोध भी करें तो क्या कर लेंगे ? उनके पास 68 सीट हैं। वे तो पारित करा ही लेंगे लेकिन हम भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। माननीय धर्मजीत सिंह जी ने कहा कि भई आप जैसे जिद करके सरकार में आये हैं तो जनता ने भी हमको चुनकर भेजा है और छत्तीसगढ़ की जनता की रक्षा करना छत्तीसगढ़ की जनता के साथ यदि अन्याय, अत्याचार हो रहा है तो जितनी जवाबदारी आपकी है उतनी जवाबदारी हमारी भी है कि हम उनकी बातों को रखें और न्याय दिलाने के लिए काम करें। मैं पुन: सरकार से यही कहना चाहूंगा कि आप जनता के हित में काम करें, बेहतरी के लिए काम करें। कोई किसी के साथ दुर्भावना या बदलापुर की बात करते हैं। बदलापुर की बात क्यों आई?

सभापति महोदय :- समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आखिर यह बदलापुर शब्द क्यों आया? कहीं न कहीं कुछ वास्तविकता होगी। कहीं न कहीं कुछ झलक होगी।

श्री बृहस्पत सिंह :- वह तो उधर का षड्यंत्र है साहब।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- इन बातों से आप दूर होकर छत्तीसगढ की जनता के हित में काम करें, ऐसा मैं आपसे कहते हुए इस विनियोग का विरोध करता हूं। इसलिए विरोध करता हूं कि बहुत सारी चीज जिसमें लोगों को आपने उम्मीद बंधाया है, आपने इस बजट में उनकी पूर्ति नहीं की है। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री शैलेश पाण्डे।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी के विनियोग विधेयक का मैं...।

श्री अजय चन्द्राकर :- पाण्डे जी, मुझे आपको टोकना नहीं चाहिए। पहले सदस्य हैं, पहली बार निर्वाचित हैं चूंकि आप यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रहे हैं। विनियोग में बोल रहे हैं। विनियोग में यदि आपने देखा होगा या पढ़ा होगा। आपके पास यदि कॉपी होगी तो उसमें जरूर पढ़कर बताना कि राजस्व व्यय कितने बढ़े हैं और पूंजीगत व्यय कितने घटे या बढ़े हैं। आप रजिस्ट्रर हैं, इसलिए मैं इसे सुनुंगा। आप तो जो लिखा है उसी को तो पढोगे न । कोई अपने मन से तो नहीं बोलोगे। चूंकि आप पढ़े-लिखे हैं और महर्षि रमन के नाम से आप रजिस्ट्रार थे तो उसको पढ़कर बताइएगा।

सभापति महोदय :- शैलेश पाण्डे जी।

श्री शैलेश पाण्डे :- अवश्य।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या आप ऐसा बोलकर डरवा रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- डरवा कहां रहा हूं? मैं तो वास्तविक चीज को बोलो, पढ़ो उसको बोला हूं।

श्री शैलेश पाण्डे :- जैसा आपने कहा है, बिल्कुल वैसा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, पिछले 15 वर्षों में जो सरकार प्रदेश में काम कर रही थी, मैं आपका ध्यान उस वर्ग की ओर ले जाना चाहता हूं जो अपने पैसे का इनकम टैक्स सरकार को देता है। जो जिस घर में रहता है उसका टैक्स सरकार को देता है। पानी पीता है तो उसका टैक्स भी सरकार को देता है। खाना खाता है, सामान लाता है तो उसका टैक्स भी सरकार को देता है। गाड़ी से घूमता है तो उसका टैक्स भी सरकार को देता है। ये अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, ये सब ये काम करते होंगे, लेकिन सरकार उनके लिए क्या करती है ? एक आम आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार को टैक्स देता है, वह सिर्फ मंत्री के बंगले में नहीं जाता है, वह विधायक के बंगले में कोई काम करने नहीं जाता है, उसको किसी मंत्री, किसी विधायक की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि वह ईमानदारी, स्वाभिमान से अपनी नौकरी करता है। सरकार का कर्तव्य यह होता है कि हम उनको एक सड़क प्रदान करें। समय-समय पर पानी, जो जरूरते हैं, उनको प्रदान करें। सरकार

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की तरफ समय-समय पर जो सुविधाएं हो सकती हैं, वह प्रदान करें। उसको जरूरत पड़ती होगी। ये छोटी-छोटी सी बातें हैं। लेकिन सरकार चुनाव के समय ही सड़कें बनवाती है। चार, साढ़े चार साल उसको गड्ढे में गिराती है, गड्ढे में ले जाती है, उसको परेशान करती है और वह चुपचाप रहता है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में गरीबों की स्थिति क्या है, हम जानते हैं। उनको सब कुछ देना पड़ता है। उनको दाल-चावल भी देते हैं, सरकारें देती है। लेकिन ऐसा वर्ग जो सरकार को राजस्व प्रदान करता है, व्यापारी जो सरकार को राजस्व प्रदान करती है, हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। हम उनका शोषण करते हैं। जो सरकार चलाते हैं, जो सरकार को पैसा देते हैं, हम उनके लिए कभी नहीं सोचते हैं। पिछले 15 वर्षों में जो सरकार ने किया, उस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया। मैं खुद विपक्ष में था, मैं खुद जाता था। मैं देखता था कि एक काम नहीं होता था। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, तो मुझ दिन-रात भय रहता था कि कहीं मेरे खिलाफ एफ0आई0आर0 न कर दी जाये। हुई भी एफ0आई0आर0। आज वह सम्माननीय व्यक्ति यहां पर नहीं है, जिन्होंने मेरे खिलाफ षड़यंत्र रचे हैं। जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठी एफ0आई0आर0 करवाई, बेबुनियाद एफ0आई0आर0 करवाई। इसके कारण मुझे भय रहता था। जब मेरे जैसा एक व्यक्ति भय और आतंक में रह सकता है तो एक आम आदमी की क्या हैसियत होगी ? माननीय सभापति महोदय, मैं अपने आप को छोटा मानता हूँ। पिछले 15 वर्षों में यह सरकार का रवैया था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार लोक कल्याणकारी और जनहित की योजनाएं ला रही हैं। हम जनता की पाई-पाई का हिसाब जनता को देंगे। हमारे सारे विभागों की जितनी भी योजनाएं बजट में हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे, हम पूरी ईमानदारी से सरकार को चलाये और प्रदेश की जनता के हित में काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि मैं बिलासपुर से हूँ इसलिए बिलासपुर की ही बात करूंगा। बिलासपुर एक बड़ा शहर था, बिलासपुर एक बड़ा शहर है और प्रदेश में बिलासपुर एक बड़ा स्थान रखता है। बिलासपुर दूसरे नंबर की सिटी है। वहां बिलासपुर में वर्ष 2010-11 में सीवरेज की परियोजना लाई गई थी, यह बताने के लिए कि हम केवल बिलासपुर में ला रहे हैं। लेकिन उसके लिए कोई परिक्लपना, कोई कार्ययोजना ढंग से नहीं कर पाये। उन्होंने जिस कम्पनी को दिया कि यह बिलासपुर में विशेषज्ञ के रूप में काम करेगी, वह कम्पनी काम नहीं कर पाई। बीच-बीच में भाग जाती थी। हम इस 295 करोड़ की योजना को 2 साल में पूरा करने वाले थे, हम उस योजना को 10 साल में भी पूरा नहीं कर पाये। हम उस योजना में 423 करोड़ रूपये लगा चुके हैं। उसमें 18 मौतें हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, जनता की पाई-पाई का हिसाब कौन देगा ? जो जनता 10 साल परेशान रही है, वहां 10 साल तक लोग मर रहे थे, वहां लोग 10 साल तक गड्ढे में गिर रहे थे, इसका मुआवजा

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कौन देगा ? समय का कौन दण्ड देगा ? आज तक किसी को दण्ड नहीं हुआ है। न मंत्रियों को हुआ, न अधिकारियों को हुआ। लेकिन केवल जनता को दण्ड मिलता रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ, मैं अपने बिलासपुर की जनता का दर्द बताना चाहता हूँ, जिसने मुझे यहां पर अपनी बात रखने के लिए भेजा है। मैं अपनी सरकार से उम्मीद करता हूँ कि जैसा पहले सरकार करती थी, वैसा बिलासपुर के लोगों के साथ न करे, प्रदेश के साथ न करे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी योजनाएं सफल होंगी और जनता के हित में होगी।

माननीय सभापति महोदय, पानी की समस्या, सफाई की समस्या, मच्छरों की समस्या को लेकर कईयों बार सदन में प्रश्न उठा चुका हूँ। बिलासपुर में यह स्थिति है। वहां पर अरपा-साडा की योजना लाई गई हैं। अरपा-साडा योजना वर्ष 2011-12 में लाई गई थी। लेकिन आज तक वहां पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। साढ़े चार करोड़ के आसपास खर्च कर दिए गए कि हम बैराज बनाएंगे, एनीकट बनाएंगे, हम अरपा नदी को टेम्स नदी बनाएंगे, लेकिन वहां पर बिलासपुरवासियों को, प्रदेश वासियों को कुछ सपने दिखाकर ठगा गया । न आजतक कोई बैराज बना, न आजतक कोई एनीकेट बना और अरपा सूख गई, उसमें लूटेरों ने, इस शब्द के लिए क्षमा चाहता हूं, वहां पर खनन करने वाले लोगों ने उसको खोद दिया, उसकी छाती छलनी कर दी, आज वहां पर पानी भी नहीं दिखता है । मुझे शर्म आती है कि सरकार 10 साल तक क्या करती रही, नदियों के साथ क्या करती रही, लोगों के साथ क्या करती रही ? पुरानी सरकार में पानी को लेकर कोई भी विजन नहीं था, 15 वर्षों में 500 हैण्डपम्प खोदे गये, जो 40 फीट में पानी था, वह पानी आज 150, 200, 250 फीट में पहुंच गया है, वह 500 हैण्डपम्प खराब होने की स्थिति में आ गए हैं । हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, कोई योजना नहीं है । हमने जो योजनाएं बनाईं, वह अभी-अभी बनाई, जो पूरी नहीं हो रही है । हम खूंटाघाट से पानी लाने की बात करते हैं, मेरे पास आज ही का जवाब आया है कि खूंटाघाट 60-65-70 प्रतिशत वहां जल भरता है । हम बिलासपुर को क्या पानी पिलाएंगे ? अरिहंत नदी से जल का संसाधन करेंगे, ये योजनाएं इतनी बाद में बनाई गई। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई, अंधाधुंध कटाई की गई, बिलासपुर के तापमान भगवान ने बिलासपुर को चेताया, भगवान ने सरकार को चेताया, बिलासपुर में 50 डिग्री टेम्परेचर रहा, 50 डिग्री । इतिहास में 50 डिग्री बहुत होता है, लेकिन पेड़ों की कटाई बंद नहीं हुई । मैंने याचिका लगाई तो पुरानी सरकार धोखा देने में लगी थी ।

सभापति महोदय :- कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- सभापति महोदय, आपका भरपूर आशीर्वाद चाहता हूं । मास्टर प्लान की बात करना चाहता हूं । मास्टर प्लान ऐसी चीज होती है, जिससे शहर का विकास होता है । हम उस शहर के विकास को लेकर 10-11 साल तक मजाक करते रहे । एक बार मास्टर प्लान बनाया, प्रस्तुत

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किया, फिर चेंज कर दिया, फिर दूसरी बार मास्टर प्लान बनाया, फिर चेंज कर दिया, फिर तीसरी बार बनाया, फिर चेंज कर दिया । क्यों ? इसलिए कि हम किसी विशेष लोगों को वहां पर लाभ देना चाहते थे, आपस में लडाई कर रहे थे और वहां पर भू माफियाओं का दल था, वे बड़े-बड़े नेताओं के साथ वे भ्रष्टाचार कर रहे थे, हजारों करोड़ों रूपयों की जमीन का ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया, जिससे कुछ विशेष लोगों को लाभ दिया गया और हजारों करोड़ रूपये का लाभ उनको पहुंचाया गया। इससे आम जनता को परेशानी हुई, उनको तो सुविधाएं नहीं मिलीं, आपने किसको सुविधाएं दी, आप किसको सुविधाएं दे रहे हैं, जो गरीब आदमी है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है, जो किसान है, गांव में रहता है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है । उसका विकास हम कहां कर पाये । बहुत सी बातें हैं, जो कही जा सकती हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, आज बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है । आज हमारे सामने 23 लाख बेरोजगारों का दायित्व है, चुनौती है, हम स्वीकार करते हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए कि हां, हमारे प्रदेश में 23 लाख पंजीकृत युवा बेरोजगार हैं । हमारी सरकार उनके लिए नीति बनायेगी, हमारी सरकार उनके लिए योजनाएं बनायेगी, उद्योग की नीतियां ऐसी होनी चाहिए । पुरानी सरकारों में केवल इंवेस्टरमीट हुई । इंवेस्टर आते थे, बड़े-बड़े हवाई जहाज से, बड़ी-बड़ी गाड़ियों से रायपुर में उतरते थे, बड़ा-बड़ा आयोजन करके करोडों-अरबों रूपये फूंक दिया जाता था, लेकिन इस प्रदेश की भलाई करने कोई एक आदमी नहीं आया । बेरोजगार को रोजगार देने कोई नहीं आया। हमारी उद्योग नीति, हमारी शिक्षा नीति, हमारे प्रदेश में ऐसे इंवेस्टर्स आने चाहिए, जो हमारे प्रदेश को आगे ले जा सके, जो हमारे प्रदेश को विकसित कर सके, हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे सके। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए, जो जनता के लिए अच्छी हो ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में जानते हैं, जहां पर नसबंदी कांड हुआ, जहां पर सिवरेज कांड हुआ, जहां पर गर्भाशय कांड हुआ, जहां पर आंखफोड़वा कांड हुआ, आप बताइए कि बिलासपुर की जनता के साथ पूववर्ती सरकार के द्वारा, वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या-क्या अत्याचार नहीं किया गया ? लेकिन उनके लिए कभी भी कोई संवेदनशीलता नहीं रही । आज भी नहीं है, आज भी नहीं है ।

सभापति महोदय :- शैलेश जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय शैलेश जी, संवेदनशीलता की बात हो रही है । आपके प्रश्न में माननीय मंत्री जी का जवाब आया था, वह संवेदलशील जवाब था क्या, आप जरा बता दो ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- सभापति महोदय, मैं ये उम्मीद करता हूँ और इस विनियोग विधेयक का समर्थन भी करता हूँ कि हमारे सभी विभाग, हमारे अधिकारी, प्रदेश की जनता के हित में काम करेंगे,

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

जनता की सेवा करेंगे और एक विशाल जो ऐतिहासिक बहुमत मिला है, जनता के सपनों को साकार करने का हमारा बजट है, मैं इसका पूरा-पूरा समर्थन करता हूँ । माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्रीमती रंजना दीपेन्द्र साहू । श्री देवव्रत सिंह ।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विनियोग प्रस्तुत किया है, विनियोग पर जो चर्चा हो रही है, मैं समझता हूँ कि वह सार्थक चर्चा हो रही है । बजट पारित हो चुका है, सदन के माध्यम से जो पारित बजट है, इस प्रदेश की जनता के लिए उसका प्रयोग कैसे किया जाये, उसका सदुपयोग कैसे हो, इस पर चर्चा होनी चाहिये । माननीय सभापति महोदय, दो महीने की सरकार पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, यदि इसका नाम इन्वेस्टमेंट बिल है, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसका सदुपयोग हो । माननीय सभापति महोदय, विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, भारत के नोबेल पुरूस्कार विजेता, अमर्त्यसेन यह कहा करते थे कि बजटरी एलोकेशंस एज पास बाई द पार्लियामेंट, सदन के माध्यम से यह हम जो बजट पारित कर रहे हैं, उसमें अगर समावेशी विकास की संभावना नहीं है तो फिर उसका मतलब नहीं है । आज समावेशी विकास की बात पूरे विश्व में हो रही है, लेकिन भारत में तो यह और महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ में अतिमहत्वपूर्ण है । माननीय सभापति महोदय, जब हम छत्तीसगढ़ में घूमते हैं तो हमें दो छत्तीसगढ़ दिखाई देते हैं । लगभग 17-18 वर्ष हो गये, एक छत्तीसगढ़ आपको मैग्नेटो मॉल के आसपास, अंबूजा माल के आसपास, भिलाई दुर्ग में दिखता है, दूसरा छत्तीसगढ़ आपके पास सीतापुर विधान सभा में है । इतना बड़ा अंतर हमारे छत्तीसगढ़ में है । आप यह देखिये, जिस सीतापुर विधान सभा, जिस अंबिकापुर में, जगदलपुर, बस्तर में, सारी चीजें मौजूद है, वह इस छत्तीसगढ़ राज्य को देश का अग्रणी राज्य पहुंचा सकता है, उसका या तो हम समुचित दोहन नहीं कर पा रहे हैं या लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस कारण यह दो छत्तीसगढ़ के रूप में दिखाई दे रहा है । इस विधान सभा से जो बजट पारित हुआ है, उसमें हम सब का उत्तरदायित्व है । जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो बजट में आया है, उसमें इस विसंगति और दूरी को कम करे । अभी मैं दो-तीन चीजों पर संक्षिप्त में ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा । तीन चीजों की बड़ी आवश्कता है । एक तो हमारा विकास का मॉडल है, डेवलपमेंट का मॉडल है, छत्तीसगढ़ में क्या होना चाहिये । पिछली सरकार में यह सोच थी कि कुछ बांटने से लोगों का भला हो जायेगा । बर्तन बांट दिये, पेटी बांटे, दुनिया भर की चीजें बांटी । बांटने से कुछ नहीं होगा, उस व्यक्ति को मजबूत करने के लिए 15 वर्ष में कोई योजना बनाई नहीं । सभापति महोदय, विकास के नाम पर दो व्यक्ति आज बड़े महत्वपूर्ण हैं । एक मजदूर और दूसरा किसान । आज हम लोग जो खेती करते हैं, आज इस बात को महसूस कर रहे हैं, जो पहले छत्तीसगढ़ में एक लड़ाई थी, वह अमीर और गरीब के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बीच में थी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में लड़ाई किसान और मजदूर के बीच में हो गयी । किसान चाहता है कि उसकी फसल का उत्पादन हो, मेंहनत हो, लेकिन मजदूर काम नहीं करना चाहता है । क्योंकि मजदूर हमारा, सरकार के कार्यक्रमों में कहीं न कहीं से भ्रमित हो गया है । आज अच्छे-अच्छे किसान परेशान है कि मजदूर काम नहीं करता है । माननीय मंत्री, डॉ.शिवकुमार डहरिया जी बैठे हैं, राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना, एक बड़ी योजना है, इसमें 150 दिन काम करने की बात हो रही है । अधिकतर लोगों को काम इसलिए नहीं मिलता कि हमारे पास खेत में फसल लगी रहती है, 50 दिन से ऊपर तो खेत खाली नहीं होता है तो काम कैसे दे ? शासन से मेरा निवेदन है कि आप केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजिये, जो हमारा धान की खेती करने वाला किसान है, उसके लिए इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में किसान सरपंच को आवेदन करे, मेरे को अपने खेत में निंदाई करने के लिए, रोपा लगाने के लिए, फसल काटने के लिए, रोजगार गारंटी से भुगतान किया जाये, उसके बदले उस किसान से प्रति एकड़ 2000-3000 पंचायत खाते में जमा करा लीजिए, रोजगार गारण्टी में उसको काम कराईये । किसान को अपने खेती में लाभ होगा, साथ-साथ किसान के अलावा जो मजदूर है, उसको इस बात का एहसास होगा कि किसान मुझे 100 रूपये रोजी देता है, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की योजना में 150 रूपया मिलता था, वह काम करेगा तो हमारी कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी । माननीय सभापति महोदय, किसान और मजदूर की लड़ाई में कहीं न कहीं शासन को बीच में आकर करना पड़ेगा, तभी हमारा कृषि उत्पादन बढ़ेगा । मैं दूसरा निवेदन आपसे यह करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 वर्षों में क्या हुआ इस पर अब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक लाख करोड़ रूपये का बजट है, मुझे लगता है कि इस बजट का उपयोग तब सही हो पायेगा जब हम नई कार्य संस्कृति को डेव्हलप करेंगे। नई कार्य संसकृति को डेव्हलप करने की जरूरत है। सभापति महोदय, आप भी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, सारे विधायक बैठे हुए हैं। आप किसी भी फील्ड के अधिकारी को पूछिए कि कहां हैं तो साहब वह जिला में मीटिंग में गये हुए हैं, तहसील में मीटिंग में गये हुए हैं। ये मीटिंग की जो संस्कृति है उसको बहुत ही समुचित करने की जरूरत है कि महीने में चार मीटिंग हो भले ही आप दिनभर मीटिंग करें और जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं उनको यह निर्देश होना चाहिए कि वह हप्ते में पांच दिन फील्ड में जाकर काम करें। यदि आप एस.डी.ओ. एरीगेशन या तहसीलदार से पूछो तो कोई फील्ड में नहीं मिलता सब मीटिंग में गये हुए रहते हैं। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश में हम लोग विधायक थे, उस समय मध्यप्रदेश में हम लोगों ने देखा था कि एक विभागाध्यक्ष होता था, विभाग का अध्यक्ष विभाग से होता था। उसके ऊपर सचिव होते हैं, उसके ऊपर प्रमुख सचिव होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप मध्यप्रदेश की एक नीति को फॉलो करें, एरीगेशन डिपार्टमेंट, पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट, पी.एच.ई.डिपार्टमेंट और फारेस्ट में इसमें इनके विभाग से ही

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसी व्यक्ति को आप सचिव बनाओ क्योंकि विभागाध्यक्ष अलग होता है, सरकार अलग होती है। तो मंत्रालय में उस विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को जो ई.एन.सी. रहा हो, पी.सी.सी.एफ. रहा हो उसे आप सचिव बनाईये। पहले मध्यप्रदेश में यही होता था। तो वह विभाग की अंदर की सारी बातों को शासन में बैठकर कैसे ठीक किया जा सकता है इसे वह करता था। मेरा आपसे आग्रह है कि कार्य संस्कृति को चेंज करने की जरूरत है। जो मीटिंग का दौर है उसे ठीक करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, हम यहां पर बहुत सारी बातें करते हैं, किसानों के बारे में बात करते हैं कि सरकार ने ऋण माफी की। मुझे लगता है कि ऋणमाफी में आपका एक वर्ष का बजट चला गया। शायद दो वर्ष का भी बजट उसमें जाना पड़े। मगर मुझे लगता है कि किसानों को मजबूत करने के लिए केवल ऋण माफी से कुछ नहीं होगा। हम ऋणमाफी तो करें लेकिन किसानों की दो फसल करने की जो आपने बात की है ये तब तक नहीं हो पायेगा जब तक आप किसानों को सिंचाई के साधन नहीं बनायेंगे। छत्तीसगढ़ में आपकी जितनी नदियां है, जितना आपका फ्लो वॉटर का पोटेंशियल है उसका लगभग 60-70 प्रतिशत आप कर चुके हैं। अब सिंचाई केवल ग्राउंड वॉटर से हो सकती है। जब तक छत्तीसगढ़ में जल ग्रहण और जल संग्रहण के बड़े एरिया डेव्हलप करके छत्तीसगढ़ में काम नहीं होगा, जब तक आप अंदर के वॉटर को टेप करके बिजली की सुविधा किसानों को नहीं देंगे, दोहरी फसल हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि विनियोग और बजट में एक बड़ा विषय छूट गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी रहते तो बताता कि किसानों की जितनी भी आमदनी बढ़ी है चाहे वह किसी भी प्रदेश की बात हो, आंध्रप्रदेश जहां सबसे ज्यादा प्रगति हुई है, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, वहां सब जगह ग्राउंड वाटर के माध्यम से ही सिंचाई संसाधनों से किसानों को मजबूत किया गया है। छत्तीसगढ़ में यह हो सकता है लेकिन बिजली की व्यवस्था पर्याप्त होने के बाद भी बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कम से कम एक घोषणा विनियोग पर करें कि किसानों को जो अनुदान दिया जा रहा है उसमें बिजली कनेक्शन के लिए सिंचाई पंपों की सीमा बढ़नी चाहिए ताकि किसान अपने अनुदान का समुचित लाभ उठाकर बिजली पंप से सिंचाई कर सकें। सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रसतुत छत्तीसगढ़ के वर्ष 2019-20 के बजट से संबंधित विनियोग विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। यह बजट राज्य के किसान, ग्रामीण जनजीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाला बजट है। सभापति महोदय, मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छी सोच रखी। जो किसान कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज लदते-लदते चले जाते थे और दूसरे साल जब जाते थे तो उन्हें सोसायटी में खाद नहीं मिल पाता था, इनको कर्जमाफी से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। जो किसान वर्षों से पिछड़ते जा

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

रहे थे, साहूकारों के बोझ से लद रहे थे उनका कर्ज माफ करने का काम किया गया है। कर्जमाफी में सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक का जो अल्पकालीन ऋण था जो कि लगभग पांच हजार करोड़ रूपये था इसके लिए उन्होंने इस विनियोग में प्रावधान किया है जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को मैं धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, सहकारी बैंक से बिना ब्याज का ऋण देने के लिए 184 करोड़, और ग्रामीण बैंक से बिना ब्याज का ऋण देने के लिए 20 करोड़ इस प्रकार किसानों को ब्याज मुक्त कर देने के लिए 204 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं, सदन के माध्यम से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सरकार किसानों के प्रति चिंता व्यक्त की है। सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय छत्तीसगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान से छत्तीसगढ़ की पहचान है। 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं जिनके जीने का संसाधन खेती है। हम सब लोग खेती करते थे और आज भी कर रहे हैं लेकिन जो लागत खाद, बीज, मजदूरी की लगती है वह भी वापस नहीं हो पाता था। कभी वर्षा तो कभी और कुछ की वहज से और उसमें भी जो धान के रेट में वृद्धि की गई है, इनके जैसे रेट की वृद्धि नहीं हुई। पूर्ववर्ती सरकार ने खूब ढिंढोरा पीटा, किसानों को 2100 रूपये धान की कीमत देंगे, 300 रूपये बोनस देंगे। पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों ने भरोसा किया और 15 साल राज करके इन्होंने धोखा दिया। 15 साल में इन लोगों को, हमारे साथियों को 15 साल सरकार चलाने वाले को 15 साल में 15 सीट पर सिमटकर छत्तीसगढ़ के लोगों ने रख दिया मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दूंगा कि आते ही कांग्रेस की सरकार ने 2500 रूपये अपने वादे का घोषणा पत्र का निभाने का काम किया है। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। इतना ही नहीं, जो खरीफ का धान छत्तीसगढ़ में पैदा होता है औने पौने दाम में बिकता था । व्यापारियों के पास, आपके राईस मिलरों के पास कम रेट में बेचने को विवश होते थे, उसके लिये भी इस सरकार ने नई व्यवस्था की है। उसकी भी 2500 रूपये धान खरीदने का निर्णय लिया है। खरीफ की धान खरीदी के लिये भी उन्होंने 5 हजार करोड़ का प्रावधान इस विनियोग के माध्यम से किया है। इसके लिये सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे बहुवर्ती सीमा, चावल वाले बाबा, खूब चावल बंटा, फर्जी चावल, नान घोटाले क्या क्या किये, भगवान जाने कितना कितना महापाप का काम किये, जैसे जैस इनकी मतलब निकलती गई। 15 साल सरकार इन्होंने चावल वाले बाबा बनकर किया, अंत में इन गरीबों का राशन, पेट में जाने वाला राशन, गरीबों के पेट में जाने वाले चावल को इन्होंने कांट दिया। 35 किलो की जगह, 7 किलो, पात्र, अपात्र का खूब खेल चला, इनके कार्यकर्ता हर गांवों में प्रचार करते थे। वे मोहल्ले वाले कांग्रेस को वोट देते हैं, इसकी लिए इनकी राशन कार्ड को कांट दो। हर दुकानों में राशन कार्ड, राशन बेचने वाले दुकानदार सत्ता पक्ष के लोग बैठ के ये चमकाया जाता था कि अगर हमारी पार्टी की रैली में नही जाओगे तो आपके राशन कार्ड कांट दिये जायेंगे। कांग्रेस की मिटिंग में जाओगे तो राशन

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कार्ड कट जायेगा। ऐसा कांटते कांटते गरीबों के साथ खूब मजाक बनाया। इसके लिये हमारी सरकार जन घोषणा के अनुरूप जो वादा किया ए.पी.एल. हो या बी.पी.एल हो अगर गरीब है अगर पात्रता है, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो 35 किलो चावल देने का काम इस सरकार ने किया है। इसके लिये भी सरकार ने चार हजार करोड़ का प्रावधान किया है। मैं चाहूंगा कि इसको सर्व सम्मति से पारित किया जाये। घरेलू उपभोक्ता बिजली बिल की सरकार ने जन घोषणा पत्र के अनुसार हाफ करने की बात कही थी। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं, जहां इनकी खंभे गड़े वहां तार नहीं खींचे गये हैं। लेकिन घर में मीटर लग गये, बिजली बिल धुआंधार आता रहा । इसी पवित्र सदन में लगातार चार पांच साल तक याद कराया लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनने का काम किया। मेरे बलरामपुर जिले में 65 हजार घर बिजली विहिन रहा, जब मुख्यमंत्री जी के पास विभाग थे। उस क्षेत्र में स्वयं गये थे, उन्होंने घोषणा भी करके आई, बिना मीटर लगाये बिजली लगाये लादता रहा, जिनके घर में बिजली थी उनके घर भी ऐसी बिजली आती थी जैसी बिजली बिल का कागज आता था और उसमें मुख्यमंत्री जी के हंसते हुए फोटो आते थे। उसके पास जब जाते थे तो उपभोक्ता रोने लगते थे। ये हालत इन्होंने बना के रखी थी। हंसता हुआ मुख्यमंत्री जी का बिजली बिल जाता था। उपभोक्ता रोते हुए बिजली बिल लेकर आते थे। कोई सुनने वाले नहीं थे, उसको भी नई सरकार ने बिजली बिल हाफ करने के लिये 400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। मैं चाहूंगा कि सदन में इसे सर्व सम्मति से पारित किया जाये। स्मार्ट मीटर स्थापना के लिये 32 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बहुत अच्छी योजना है। मैं चाहूंगा कि इसे भी सर्व सम्मति से पारित किया जाये। हंसदेव ताप विद्युत संयंत्र 4 इकाईयों की नवीनी पर्यावरण मापदण्डों के अनुकूल 95 करोड़, 40 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। सौर उजला सोल पम्प अनुदान के लिए 27 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। ये बहुत अच्छा बजट लाये हैं। मैं इन सब मांगों का समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग वृहद मध्यम लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित 411 नवीन निर्माण कार्यों के लिए बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य की सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी। इसके लिए भी मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ। इस बजट से 38 हजार, 578 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए इसमें 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसे सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करूंगा। राज्य के 5 फुड पार्कों की स्थापना की जायेगी जिसके लिए खाद्य संस्करण इकाईयों की स्थापना के माध्यम से 50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसे भी बहुत पैकेज के माध्यम से किया गया है, मैं इसका भी समर्थन करता हूँ। राज्य में स्थापित 11 औद्योगिक क्षेत्र भिलाई दुर्ग सहित...।

सभापति महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी समाप्त करें।

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजन के लिए 14 करोड़, 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है मैं इसका भी समर्थन करता हूँ। आश्रम छात्रावासों में शिष्यवृत्ति 900 रूपये से बढ़ाकर, 1000 रूपये किया गया है। जो बहुत पुन्य का काम किया है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर, जगलपुर ...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। आप विरोध किस बात का कर रहे हैं ये बता दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :-माननीय सभापति महोदय, 22 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आपसे एक आग्रह है कि जब 6-6, 8-8 पन्ना देखकर पढ़ना ही है तो उसको टेबल करवा दीजिए। हम मान लेंगे। हम पास कर देंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :-साहब, ये 15 साल सरकार में रहने के बाद, पन्ना उधर साईड का नहीं पढ़ पायें।

समय :

3:42 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बृहस्पत सिंह जी का भाषण हो रहा है और वे बोल रहे हैं कि मैं इस बात का समर्थन करता हूँ।। आप विरोध किस बात का कर रहे हैं ये बताईये ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्टाफ नर्सों के पदों के सृजन के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। 40 प्राथमिक शाला, 25 पूर्व माध्यमिक शाला, 100 हाईस्कूल एवं 50 हायर सेकेण्डरी भवनों के निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। एन.सी.सी. अकादमी लखोली के स्टेट टूर निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के राज्य मार्ग मुख्य जिला सड़क एवं अन्य सड़कों के निर्माण एवं पुल निर्माण 442 नवीन कार्यों हेतु 400 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। विधायक आवासीय कॉलोनी में लगातार हमारे विधायक वहां रहते हैं, अधोसंरचना के विकास के लिए 15 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह में जो 15 हजार रुपये की राशि दी जाती थी उसे बढ़ाकर 25 हजार देने का जो निर्णय लिया गया है इसके लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी एवं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए 29

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। मैं इसका भी समर्थन करता हूँ। जो एतिहासिक निर्णय लिये हैं। पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों हेतु 45 करोड़, 84 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है मैं इसका समर्थन करता हूँ। राज्य में 5 थान 20 चौकी निर्माण हेतु 12 करोड़, 50 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है, मैं जिसका समर्थन करता हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बजट में प्रस्ताव पास हो चुका है जिसका वे समर्थन कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इनको ये बोल दीजिए कि इसको खर्च करना है या नहीं करना है, ये सरकार से बोल दें और क्यों करना है कैसे करना है ये बता दें।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनी माता योजना में पेयजल के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका विनियोग लाया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो जितना बोल रहे हैं। सब विभागों में चर्चा हो चुकी है। जबरदस्ती लम्बा खिंचना है।

अध्यक्ष महोदय :- आज इससे सब लोग प्रभावित हो गये हैं कि चाबी सौंप रहे हैं। चाबी सौंप रहे हैं तो कोन-कोन से पइसा माढ़े हे तेला बतात हे।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार आग्रह किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने आपनसे विनियोग के बारे में बात कही थी । आप नियम प्रक्रिया देख लीजिए। वैसे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो बात उस सत्र में हाऊस में हो चुकी है। अमूमन विनियोग में उसका दोहराव नहीं किया जाता।

श्री संतराम नेताम :- चन्द्राकर जी, आपके द्वारा भी उसी विषय में चर्चा की गई है। आपने भी वही लोगण्डीगुडा, किसानों की कर्ज माफी पर बोला था।

अध्यक्ष महोदय :- कुछ सीखो भैया।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि इन्होंने 2100 रुपये में धान खरीदने के लिए 15 साल ढिढोंरा पीटा और नहीं दिया, इतना बड़ा महापाप किया कि इनकों किसानों ने 15 सीट में लाकर समेट दिया, इस बात का दर्द है। आपको धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपये देने में, 300 रुपये बोनस देने में किसने मना किया था? आपने किसानों की जमीन बस्तर में उद्योग के नाम पर हड़प लिया, आपने उद्योग लगाया, आपको किसानों की जमीन को वापस करने के लिए किसने मना किया था? अगर यह मिल गया तो आपको तकलीफ हो रही है। खरीफ की फसल के लिए हम लोगों ने लगातार विरोध किया, ये सरकार 5 साल नहीं सुनी, अगर कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने 2500 रुपये क्विंटल खरीफ की धान खरीदने का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रावधान किया तो इनको पेट में दर्द हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- जनता चैनलों के माध्यम से देख रही है कि आप किसान की धान नहीं खरीदने का विरोध करते हैं। आप खुल कर विरोध दर्ज कराईये। इसलिए इनको दर्द हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने खूब बिजली बिल वसूला। हंसती हुई मुख्यमंत्री की फोटो, बिजली बिल भारी, उसको अगर हाफ कर दिया तो कौन सा अपराध कर दिया ? खुल कर विरोध करिये कि यहां विपक्ष के लोग नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, अब समाप्त करिये। हो गया, बस।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्याज अनुदान पर बड़ा लंबा-लंबा भाषण देते थे, हम लोगों ने सिर्फ बैंक के माध्यम से नहीं किया, उसका बजट में प्रावधान करके विनियोग में लाये हैं, उसका समर्थन करता हूं। मैं यह सारी विनियोग मांगों का समर्थन करता हूं और सर्वसम्मति से पारित करने का सदन से अनुरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खडा हुआ हूं। सरकार को पैसा क्यों दिया जाये, खर्च करने की अनुमति क्यों दी जाये? अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में जो राशि स्वीकृत है, जो कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है, जिसको खर्च करने के लिए अनुमति दी गई है, लेकिन सरकार बनने के बाद में सबसे पहला काम यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उस राशि को खर्च करने के बजाय, उस पर प्रतिबंध लगाया। उन सारे कार्यों को रोक दिया गया और रोकने के बाद में आज भी वह जारी नहीं हुआ है। राशि तो इसीलिए दी जाती है जो कि यहां के हमारे गरीब, किसान, मजूदर, महिला, विद्यालय, चिकित्सालय हैं, ऐसी सारी जगह में उस राशि का उपयोग हो, प्रदेश खुशहाली की दिशा में जा सके।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा कि माननीय नेता जी जो बता रहे हैं, उसकी राशि रिलीज हुई है, हम लोगों के जिले में रिलीज हुई है और काम भी स्वीकृत हुए हैं और बहुत उपयोगी कामों में स्वीकृत हुए हैं। यह माननीय नेता जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी एक सीट खाली है, उसको पूरा कर ही दो। वह तुरन्त खड़े होते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की खुशहाली, विकास के लिए, सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए राशि का उपयोग किया जाना चाहिए और इसी के लिए राशि दी गई है। लेकिन

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आप पूरे बजट को उठा करके देखेंगे तो जो राशि खर्च होनी चाहिए, वह राशि खर्च नहीं हुई, ऊपर से उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरी बात इस सरकार के समन्वय की है। कृपया मंत्री थोड़ा सा बोलने के पहले, वक्तव्य देने के पहले, प्रेस वार्ता लेने के पहले यदि मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं उसमें तीन बात रखना चाहता हूं। हमारे राजा साहब बिलासपुर गये, बिलासपुर में उन्होंने कहा कि हम इस योजना को बंद करेंगे। मुख्यमंत्री जी की त्वरित टिप्पणी आती है कि योजना बंद नहीं होगी। एक मंत्री गये, उन्होंने कहा कि संसदीय सचिव बनायेंगे, मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया कि संसदीय सचिव नहीं बनायेंगे। कल एक मंत्री का वक्तव्य आया कि ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये कार्यक्रम करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी के प्रारंभिक भाषण में असत्य कथन से शुरू हो रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। मुझे पत्रकारों ने पूछा क्या संसदीय सचिव बनायेंगे ? मैंने कहा कि अभी विचाराधीन नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि हम नहीं बनायेंगे, मैंने ये कहा कि अभी विचारणीय नहीं है। दूसरी बात ये है कि इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम था।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उल्टा प्रेजेन्टेशन नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसलिए इस बात को बोल रहा हूं क्या है कि मंत्री प्रयास करते हैं और जा करके यदि कुछ वक्तव्य दे दें, कुछ बात कर दें और बात करने के बाद में उनकी बात एक लाईन में खारिज हो जाये, तो इससे अच्छा है कि बोलने के पहले कि क्या बोलना है, यदि मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर लें तो शायद उस बात का खंडन न हो और उनका सम्मान बना रहे इसलिये मैं इस बात को सदन में रखना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो ट्रांसफर उद्योग की बात आयी । मैंने आज फिर प्रेस में देखा कि जहां शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया । माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 2 मार्च से आपकी परीक्षा है। आज आपने ट्रांसफर किया, दो दिन बाद 2 मार्च आ जायेगा । वहां की जो परीक्षा की व्यवस्था है, संचालन की व्यवस्था है और ये छात्रों के साथ में जो खिलवाड़ । आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गयी ? आपको ट्रांसफर का अधिकार है, आप एक महीने बाद कर सकते हैं, परीक्षा के बाद में भी कर सकते हैं, आपको किसने रोका है ? लेकिन क्या यह जरूरी है कि जब ठीक परीक्षा है उसके पहले हम तमाम् अमले को अस्त-व्यस्त कर दें ? अस्त-व्यस्त करने के बाद उसका क्या परिणाम होगा ? यदि कल कोई घटना घटती है, पेपर लीक होने से लेकर बहुत सारी चीजों में तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा ? ये तो सब अफरा-तफरी में लगे रहेंगे कि एक को वहां पर उनके स्थान पर जाना है और एक को आना है और ये इसी सबमें लगे रहेंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय में यह कहना चाहता हूं कि आप ट्रांसफर करिये न, आपको अधिकार दिया गया है, आप सरकार में हैं । आपको ट्रांसफर करने से किसी ने नहीं रोका है ? लेकिन आप समय और परिस्थितियों

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

को भी देखें कि 2 दिन हुए नहीं हैं, परीक्षा आ गयी है । कम से कम अधिकारी आपको जानकारी दे देते, आप अधिकारियों से पूछ लेते कि परीक्षायें कब हैं और चूंकि परीक्षायें आ गयी हैं तो क्या हम ट्रांसफर करेंगे तो वह ठीक रहेगा ? आपने सीधे उठाकर पूरे प्रदेश के जिले की सूची जारी कर दी और जारी करने के बाद आज उसमें अफरा-तफरी मची हुई है और साथ ही साथ में उसके आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बोर्ड की परीक्षा है, हमारी महत्वपूर्ण परीक्षायें हैं । वह किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो । चूंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि परीक्षा के समय कहीं न कहीं इतनी सावधानियां बरतने के बाद भी एक कोई न कोई लापरवाही के कारण पूरे पेपर रद्द कर दिये जाते हैं और रद्द करने के बाद में खासकर हमारे जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, उनको इस बात को भुगतना पड़ता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि विभाग का जो बजट है । निश्चित रूप से किसानों का जो कर्ज माफ हुआ है, उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कल बधाई दी है लेकिन हम इस माध्यम से किसानों के लिये क्या करना चाहते हैं ? कर्जामाफी केवल एक उपाय नहीं है कि हम किसानों को आगे बढ़ा सकें और इसलिये जो बात आयी कि हम सिंचाई के क्षेत्र में दुगूना करेंगे । हम लोग भी यह जानते हैं कि आप दुगूना नहीं कर पायेंगे लेकिन यदि आप उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो वह भी एक अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ें, आप कृषि में ज्यादा से ज्यादा बजट लें और बजट लेकर के किसानों के हित में आप योजना बनायें । आज किसानों की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, हम आज भी छत्तीसगढ़ में हैं । आज भी हम इतने आत्मनिर्भर नहीं हैं कि यदि बारिश न हो तो हम सिंचाई कर सकें । आज भी हम ऊपर वाले के ऊपर निर्भर हैं । यदि अच्छी बारिश हो गयी तो हमारी फसल अच्छी हो गयी और अच्छी बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल खराब हो जायेगी और यदि अच्छी बारिश नहीं होगी तो उस समय हमारा जो विकल्प है या तो हम जो ट्यूबवेल है उससे सिंचाई करते हैं, हम नहर से सिंचाई करते हैं । आज यहां पर जो विस्तार करने की आवश्यकता है, खासकर जो एनीकट का निर्माण हुआ है, हमारी नदियों में जो बारहमासी भरा हुआ पानी है कि क्या हम इस पैसे के माध्यम से वहां पर लाईन का, बिजली का विस्तार कर सकते हैं ? क्या हम वहां पर तार और खंभा खींचकर उनको दे सकते हैं कि जिससे आने वाले समय में यदि हम यह काम कर देंगे तो किसानों को आसानी होगी और उसके माध्यम से वह अपने खेतों में, जो खंभे और तार लगाये हैं उसके माध्यम से वे कनेक्शन ले सकते हैं लेकिन एक किसान, दो किसान के लिये यदि उनको 2 किलोमीटर लाना पडे, 3 किलोमीटर लाना पड़े तो जो सब्सिडी दे रहे हैं उसके बाद भी संभव नहीं है कि वे सब्सिडी के माध्यम से पंप लगा सकें और इसलिये उसमें मेरा आग्रह रहेगा कि हमें इस क्षेत्र में विचार करने की आवश्यकता है । हमारे यहां का जो पानी है, हमारी नदियों का जो पानी है, बरसात का हमारा जो रोका हुआ पानी है ऐसे पानी का हम अपने

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सिंचाई के दृष्टिकोण से हम खेतों में इसका कितना उपयोग कर सकते हैं और खेतों में उपयोग करके हम अपनी फसल का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम इस दिशा में पहल करें तो मुझे लगता है कि हम किसानों के क्षेत्र में उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत ठोस पहल कर सकते हैं । उसके साथ ही साथ में आज हमारे किसानों की जो स्थिति है कि हमारा बजट पारित हो गया, बजट पारित होने के बाद में बात आई कि हमने माफी कर दिया । लेकिन माफी करने के बाद आने वाले सत्र में उनको लोन लेने की आवश्यकता है । जब हमारा किसान बैंक में जा रहा है, सोसायटी में जा रहा है तो उनको जो ड्यूज मिलने चाहिए, वे देने से इन्कार कर रहे हैं । अगर आप उनको नो-ड्यूज नहीं देंगे तो किसानों को आगामी मिलने वाले लोन में दिक्कत आ रही है । ये प्रमाण पत्र यदि उन्हें जारी हो जाए तो किसानों को लाभ मिले, लेकिन आज तक जारी नहीं हुआ है । मैंने उस दिन भी प्रश्न के माध्यम से पूछा कि कितने किसान ऐसे हैं जिन्हें आज तक डिफरेंस की राशि मिली है । आपने जिस रेट में पहले धान की खरीदी की और बाद में आपने 2500 रूपए की दर से खरीदी की, इसके अंतर की राशि उन्हें मिल गई क्या । जिस 2500 रूपए की बात हो रही है, उसके अंतर की राशि हमारे किसानों को नहीं मिल पाई है । पैसा रहने के बाद भी यदि वह किसानों को न मिले तो निश्चित रूप से यह किसानों के लिए कष्टकारी है । क्योंकि यह समय उनकी आवश्यकता का समय है । घर में शादी-ब्याह से लेकर, मकान बनाने से लेकर किसानों के सामने सारे खर्च आते हैं । ऐसे समय में बजट प्रावधान होने के बाद भी किसानों के खाते में नहीं पहुंच पाना, उनके खातों में राशि उपलब्ध नहीं करा पाना, कहीं न कहीं सरकार की कमियों को दर्शाता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं तालाबों की बात कर रहा हूं । मैंने पीने के पानी की समस्या पर उस दिन बात किया था । पहले तालाबों में ट्यूबवेल लगाए थे और इसके माध्यम से तालाबों को भरा गया था । तालाबों को भरने के बाद जो वहां के पशु से लेकर वहां रहने वालों का निस्तार तालाबों से होता है । इन तालाबों के सूखने के कारण वे इस सुविधा से वंचित हो जाते हैं । मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में पैसे रखे हैं । एक तालाब को हम सुनिश्चित करें और समय पर, क्या है कि बजट में आने के बाद भी हमने देखा है कि इस साल का पैसा तब आएगा, जब पूरी गर्मी निकल जाएगी । लेकिन आवश्यकता आज की है । पिछली बार आगजनी की बहुत सारी घटनाएं हुईं, ऐसे में यदि तालाब में पानी नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी दिक्कत आती है । तालाब भरा रहता है तो हमारे हैंड पम्पों का वाटर लेवल भी रिचार्ज हो जाता है । उसके कारण गांवों में पीने के पानी की दिक्कत भी दूर होती है । मुझे लगता है कि यदि इस दिशा में इस राशि का खर्च हो निश्चित रूप से उस गांव के लिए सहयोग होगा और उस गांव की पेयजल और निस्तारी की समस्या का निवारण होगा ।

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य हमारे जीवन की आवश्यकता है । इस दिशा में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो अस्पताल खोले गए हैं, उसके लिए पद स्वीकृति और उसके बाद उन पदों पर पोस्टिंग होनी है । लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसमें देखेंगे कि लगभग 1500 चिकित्सा विशेषज्ञ के पद रिक्त पड़े हुए हैं । चिकित्सा अधिकारी के लगभग 900 पद रिक्त पड़े हुए हैं । बीएमओ के पद रिक्त हैं। उस दिन जो बात आई थी इसी सदन में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी एक प्रश्न के उत्तर में बता रहे थे कि डायलेसिस मशीन है लेकिन वह काम नहीं कर रही है क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है । एक्स-रे मशीन है लेकिन उसे चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है । ऐसे बहुत सारे पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं । यदि इसे समय पर नहीं भरेंगे, उनकी पूर्ति नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं, बहुत अच्छा इक्यूप्मेंट ला सकते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं होने के कारण, टेकनीशियन नहीं होने के कारण, आपके द्वारा किये गए खर्चे का लाभ से लोग वंचित हैं । मैं आग्रह करना चाहूंगा हम ऐसे विषयों को लेकर चलेंगे और पैसा तो हमारे बजट में है लेकिन बजट में रहने के बाद यदि हम उस पद की पूर्ति नहीं करेंगे तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? और इसलिए इस विनियोग में कि राशि कहां खर्च होनी चाहिए ? इसकी कहां आवश्यकता है? आवश्यकता के अनुसार राशि खर्च हो जिससे लोगों को लाभ मिले। गरीब लोगों को लाभ मिले। ऐसे बहुत सारे विषय इस विषय में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ ही हमारे बहुत सारे जिला चिकित्सालय हैं, जहां पर सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता है, ब्लड बैंक की आवश्यकता है जोकि वहां आज भी उपलब्ध नहीं है। हम अपने जिला चिकित्सालय को कैसे मजबूत कर सकते हैं, उस दिशा में इसमें काम करने की आवश्यकता है। स्वाइन फ्लू की दिशा में लगातार मंत्री जी विशेषज्ञों को बुलाकर राय ले रहे हैं, बैठक ले रहे हैं। पेपर में समाचार में हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन आज भी उसके कारगर पहल, कारगर उपाय उसमें क्या हो सकते हैं ? और आगे जाने की आवश्यकता है। एक बहुत बढ़िया अभी जो मामला आया कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर का। स्वास्थ्य मंत्री उस विषय में बहुत सारे लोगों से अभी बात कर रहे हैं लेकिन आज देखने के बाद भी मैं यह कह सकता हूं कि उस दिन भी प्रश्न के जवाब में आया कि आखिर यह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम क्या है? तो मंत्री जी को बताने के लिए बोले तो वहीं से शुरू किये हैं, मितानिन से शुरू किये हैं और मितानिन के बाद हमारे सब सेंटर और सब सेंटर के बाद हमारे जिला चिकित्सालय हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तो यह आपके बोलने के लिए ठीक है कि जैसा हम बोलते हैं न आपकी एक विचारधारा है। वैसे ही मुझे लगता है कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम....।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मैं क्लियर कर देता हूं। एक तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर अंग्रेजी का शब्द है, उसको विलोपित कर देते हैं। नि:शुल्क दवाई और उपचार की व्यवस्था, इंटरवेंशन की व्यवस्था नि:शुल्क। यह है यूनिवर्सल हेल्थ केयर।

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यह पहले से है। जब आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जायेंगे। आप जिले में जायेंगे। यह स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है। कोई पहली बार उनको फ्री में नहीं दे रहे हैं। आप तो शासकीय अस्पताल में जायेंगे तो अगर शासकीय अस्पताल में जो जाते हैं, एक पर्ची बनवाते हैं और पर्ची बनवाने के बाद उनको पहले से मिल रही है तो मैं तो इसीलिए मंत्री जी से जानना चाह रहा था। बतायेंगे तो ठीक है। तो मैं यह बोल रहा हूं कि उस दिशा में मुझे लगता है कि आज जो काम करने की आवश्यकता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से है तो जो हमारी जो सारे पद खाली हैं, उनमें हमारी नियुक्तियां हो जाएं। उसके पद की पूर्ति हो जाए। जहां पर टेक्नीशियन की आवश्यकता है और संचालित हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे शासकीय अस्पताल हैं, वे कमजोर नहीं हैं। मजबूत हैं लेकिन उसको हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके माध्यम से उसका लाभ मिले। खासकर जो गांव के ग्रामीण लोग हैं, हमारे शहर में रहने वाले ऐसे जो आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग हैं, जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए और यह लाभ यदि उनको मिलेगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस दिशा में एक कारगर पहल होगी। आपसे तो हम लोग उम्मीद करते हैं, बाकी से करें या न करें। संजीवनी कोष में खासकर जो बी.पी.एल. और बी.पी.एल. के बाद में ए.पी.एल.। ए.पी.एल. और बी.पी.एल. के बीच में ऐसे जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा डेढ़ लाख तक के संजीवनी कोष में है। आज जो बहुत सारे पेशेंट आते हैं और आने के बाद एक उनकी आर्थिक स्थिति यह नहीं है कि वे अपना इलाज कराने में समक्ष हों।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, हमारा भी सुन लीजिए। आप लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के पीछे ही पड़ गये हैं। जब विदेश गये तब भी आप बहुत बयान-वयान दिये थे और जब भी देखते हैं तो आप बोलने ने उसमें जो है..।

श्री धरमलाल कौशिक :- तो मेरे को समझ में आये न..।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट। इस हेल्थ स्कीम की जरूरत सबसे ज्यादा आपको पड़ने वाली है। क्योंकि आप यहां से प्रताड़ित हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, दरअसल यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के बारे में चर्चा इसलिए हो रही है कि हमको आप जरा स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी यह बता दीजिए कि स्मार्ट कार्ड वाली योजना बंद है। मैं आपके माध्यम से पूछ लूंगा सर। तो आखिर ये जो गरीब लोग हैं जो बीमार पड़ रहे हैं, वे अस्पताल क्या कागज रखकर जायें, जिसमें उनका इलाज होगा एक। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मेरा यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के बारे में इतना आग्रह है कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम आप जब लागू करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अभी क्या इंतजाम है? कोई फोन करता है कि मेरा स्मार्ट कार्ड नहीं ले रहे हैं। कोई कुछ करता है। विधायक बने हैं तो फोन हमारे ही पास आता है । हमारे पास कोई फण्ड तो है नहीं। तो वह क्या करे। उसका ईलाज बता दीजिये।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विन्रमतापूर्वक आग्रह है कि आज जो बजट पास हो रहा है, उसमें कुछ बजट इधर का उधर करके अपना फण्ड मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान है, उसको खूब पैसा बढ़ा लीजिये। क्योंकि सब आते हैं, कोई कैंसर पेसेन्ट है, कोई हार्ट पेसेन्ट है। दूसरी स्कीम में पैसा नहीं मिल पाता है। तो हम लोग कागज देंगे तो कम से कम आप गरीब लोगों को पैसा दे देना। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप थोड़ा मुख्यमंत्री जी से बोलकर आप भी ले लीजिये। छोटे-मोटे को आप ही निपटा देना। लोगों को बहुत तकलीफ होती है। हम लोगों के पास पैसा तो है नहीं, कहां से देंगे। आप ही के भरोसे में हैं। तो थोड़ा फण्ड को बढ़ा लीजिये। जब बजट पास हो ही रहा है तो लंबे से पास करा लो। कोई दिक्कत थोड़ी है ? हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के पहले गरीबों को क्या करना है, यह बता दीजिये ?

स्वास्थ्य मंत्री (टी0एस0 सिंहदेव) :- यही यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का हिस्सा है। जो आपने कहा कि सरकार की तरफ से समूचा ईलाज हो, यही है।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, ...।

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त कीजिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- समाप्त नहीं करूंगा। मैं तो अभी शुरू किया हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे 5.00 बजे के पहले विनियोग विधेयक पास करना है।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, मेरा विषय तो आया नहीं है। मैं क्या करूंगा?

अध्यक्ष महोदय :- हमारी बाध्यता है, इसलिए आप इनकी मत सुनिये। आप अपनी बात कीजिये। आप दूसरों को हस्तक्षेप करने क्यों दे रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं अमरजीत को एक घटना के बारे में बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, अमरजीत को मत बताईये।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। विदेश से कैसे सीखकर आये।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, 5.00 बजे के पहले विनियोग विधेयक पास होना है, यह नियम में लिखा हुआ है।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, तो मैं क्या करूंगा ?

अध्यक्ष महोदय :-आप बोलिये न, आप जल्दी बोलिये। क्यों उनको बता रहे हैं ?

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, जल्दी नहीं हो सकता है न।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, जल्दी करिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- सारे विषय विनियोग में नहीं आयेगा तो किसमें आयेगा ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- लाईये, जल्दी करिये। हस्तक्षेप बर्दाश्त मत करिये। आप सीधा अपनी बात करिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घटना बता रहा हूँ, मलेरिया की बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। उस मलेरिया की बीमारी के लिए हमारे यहां से नगर निगम का एक सी0एम0ओ0 और महापौर प्रशिक्षण में गये थे। वे विदेश यात्रा में देखने गये थे कि मलेरिया का कैसे कन्ट्रोल होगा और उसका उपाय कैसे होगा ? जब वे लोग विदेश यात्रा से घूमकर आये, वहां से देखकर आये। आने के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मलेरिया के निवारण का क्या उपाय है तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि जब हम गये और देखकर आये तो उसका सार यह है कि यदि मलेरिया से बचना है तो मच्छरदानी लगाना है। मैं इसीलिए इस बात को बोला हूं क्योंकि राजा साहब गये थे, वहां से रिसर्च करके आये कि आपको प्राथमिक उपचार नि:शुल्क मिलेगा, यहां से हमारी शुरूआत हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। आखिर पलायन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आप रेल्वे स्टेशन में दिखवा लीजिये, आप बस स्टैण्ड में दिखवा लीजिये, सारी जगह मनरेगा के काम बंद हैं। कहीं कोई काम नहीं चल रहा है। बाकी पंचायतों का काम वैसे ही बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या रही है तो पलायन की समस्या रही है। उस समय उसको रोकने के लिए कारगर कदम उठाये गये थे। लेकिन आज फिर वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं। इस पलायन को रोकने के लिए, मनरेगा के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से ताकि रोजगार का सृजन हो सके, वहां पर काम प्रारंभ हो सके, यदि उसके लिए भी उपाय नहीं करेंगे तो हमारी जो पुरानी व्यवस्था है कि ठेकेदार के चंगुल में जाकर फंसना, उनको बंधक बनाना, उनसे बेगारी लेना। चार महीने के बाद परिवार के लोग आयेंगे तो कोई न कोई वहां से छूटकर के आकर के किसी न किसी जनप्रतिनिधि से मिलेंगे। मिलने के बाद बातचीत करेंगे तब यहां से हमारे अधिकारी जायेंगे, पुलिस के अधिकारी के बाद हमार श्रम विभाग के अधिकारी जायेंगे और उसके बाद उनको वहां से लेकर आयेंगे। तो हमारा पलायन कैसे रूके, बजट में प्रावधान है, बजट में व्यवस्था है, बजट में राशि भी है। लेकिन यह केवल हमारे देखने के लिए है, पुस्तक में पढ़ने के लिए है। जब तक आप धरातल में काम नहीं करेंगे, हम लोग उनको यहां पर काम नहीं देंगे, तब तक हमारा पलायन जारी रहेगा। मैं इसके लिए आग्रह करना चाहूंगा कि यह पलायन रूके, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत सारे भुगतान की बातें आई हैं। मनरेगा का ही भुगतान नहीं हुआ है, हमारा लगभग 150 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान बाकी है। स्वच्छ भारत अभियान में भुगतान बाकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किश्त जानी चाहिए, जो प्रोत्साहन राशि जाना चाहिए, वह राशि भी रूकी हुई है। आखिर हम लोग बजट में चर्चा क्यों करते हैं, बजट में चर्चा करके यहां पर

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

पैसा क्यों आरक्षित करते हैं, आखिर इस पैसे का क्या उपयोग करना है? ये पैसे का उपयोग इन्हीं गरीब लोगों के लिए है, जो जरूरतमंद है, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन है और क्रियान्वयन के बाद में उनको राशि उपलब्ध हो सके, इसके लिए ये सारी योजनाएं की जाती हैं और इतना बजट उपलब्ध कराने के बाद में यदि उनको राशि समय पर उपलब्ध न हो तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिन्ता का विषय है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा कर्मियों दो साल काम कर चुके हैं, उनके संविलियन वाला मामला है कि उनका संविलियन हो जाये, लेकिन मुझे बजट देखने के बाद ऐसा नहीं लगा कि उनका संविलियन कर पाएंगे । ये बात केवल आधी-अधूरी रह जायेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस की बात करूंगा । इस प्रदेश के आन्तरिक शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए हमारे पुलिस की आवश्यकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस सरकार के आने के बाद लगातार जिस प्रकार से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना और राजनीतिक दुर्भावनावश से जो प्रतिपक्ष के कार्यकर्ता हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ में जिस प्रकार का कार्य पुलिस कर रही है, ये घटनाएं लगातार घट रही हैं । इस सदन में भी इस बात कहा गया है, परसों भी इस बात को कहा गया है कि आरंग में कैसी घटना हुई है, उसके बाद जगदलपुर की जो बात आई है और पुलिस को जो काम करनी चाहिए कि यहां डकैती न हो, यहां पर चोरी न हो, गुण्डागर्दी न हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए यदि पुलिस प्रशासन काम करे तो उसका औचित्य है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा यहां पर कार्य किये जा रहा है, वह उचित नहीं है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहले पुलिस की भर्ती का विज्ञापन निकला था, दौड़ हो गया, परीक्षा दे दिए । बहुत सारे लोग परीक्षा दिए, दौड़ हो गया, लेकिन अब उसमें सरकार का विजन क्या है, उसकी भर्ती करेंगे कि नये सिरे से उसके लिए पुन: विज्ञापन निकालेंगे? पुलिस भर्ती का विज्ञापन चुनाव के पहले निकला था, भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, दौड़ भी हुआ, एग्जाम भी हुआ, लेकिन उनकी नियुक्ति आदेश नहीं निकला है। उसको आगे बढ़ाएंगे या नये सिरे से भर्ती करेंगे ?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रायपुर की घटना बता रहा था कि राजधानी रायपुर में जो घटना हुई, जशराज सोनी को खुले आम गोली मार दी गई, छत्तीसगढ़ ज्वेलर्स, टिकरा पारा, रायपुर में चोरों ने लाखों रूपये की चोरी कर ली, इसी प्रकार से ट्रांसपोर्टर सूरज सिंह की हत्या कर दी गई । ये तमाम घटनाएं हो रही है, पुलिस को इस ओर ध्यान देना चाहिए । इस प्रकार की घटना को कम करने की बजाय, ऐसी घटना को नियंत्रित करने की बजाय पुलिस राजनीतिक दल में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर किस प्रकार से एफ.आई.आर. की जावे, किस प्रकार से उनके ऊपर बरबरतापूर्वक व्यवहार किया जाये, पुलिस का जो महमका है और उसका जो मूल काम है, यदि उससे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भटक जाये और उससे पृथक हो जाये तो प्रदेश की क्या स्थिति होगी ? प्रदेश में बदहाली की जो स्थिति हो रही है, इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग के बहुत सारे प्रश्न आये और बहुत सारे जवाब दिए गए । मैं बताना चाहता हूं कि अभी एडीबी की निविदा में जो बातें आई हैं और मैं पी.डब्ल्यू.डी. और ए.डी.बी. के एस.ओ.आर. के बारे में कहना चाहता हूं। अभी माननीय लोक निर्माण मंत्री सदन में नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं । अभी जो प्रचलित एस.ओ.आर. दर है, उनके अनुसार निविदाओं में एक, दो प्रतिशत एस.ओ.आर. दर से ऊपर गई और इसी को आप पीडब्ल्यूडी की योजना में देखेंगे तो उसमें 25 से 30 प्रतिशत बिलो में है । एक विभाग है, एक महकमा है, लेकिन उनको एस.ओ.आर. बदल गया । जहां 25-30 प्रतिशत बिलो में जा रहा है और यदि यह ऊपर जा रहा है तो कहीं न कहीं मंत्री जी को इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है । ये गरीबों की कमाई का पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है, इसलिए इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुर्ग वृत्त के रोड का है । लगभग 34 करोड़ के रोड की स्वीकृति आचार संहिता के पूर्व हो गयी थी। उसका अनुबंध 15 दिन के अंदर होना था । जनवरी माह से 15 दिवस की अवधि के बाद में अनुबंध कराने का कोई प्रावधान नहीं है । लगातार समाचार पत्रों में भी छप रहा है । मुझे लगता है कि इस मामले को ध्यान देने की आवश्यकता है कि नियम विरूद्ध जो कार्य हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जाये । साथ ही बीओक्यू आईटम में जो परिवर्तन होते जा रहे हैं, जब यहां पर उसका एस्टीमेट बनाया जाता है, प्राक्कलन तैयार किया जाता है, प्राक्कलन तैयार होने के बाद में, क्या-क्या सामान लगेंगे, क्या-क्या वस्तु उसमें लगेंगे, अध्यक्ष महोदय, वह तय हो जाता है और तय हो जाने के बाद में उसको कोई परिवर्तन करे, परिवर्तन करने के बाद में क्यों परिवर्तन किया जाये, तो बोलते हैं कि एडजेस्टमेंट करना पड़ता है । यह कैसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है ? कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसलिए तमाम बातों को इसमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से उसको नियंत्रित किया जा सके । माननीय अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता के बारे में कहना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रश्न में आये हैं, उस दिन शिवरतन जी का ही प्रश्न आया था, जब मैं विधान सभा अध्यक्ष था, मैं तो अपने क्षेत्र के बहुत सारे सड़कों को उखड़वा दिया था । क्या हम उसी को उदाहरण मानकर चलते रहेंगे ? आज हम चाहेंगे कि उसमें कितना सख्ती बरत सकते हैं ? आपके टेण्डर में उस समय कितना बिलो में जा रहा है, कितना उसको कर सकते हैं, उसे आप सुनिश्चित करें । लेकिन एक बार काम शुरू होने के बाद में फिर उसमें समझौता और काम्प्रोमाईस न हो, जिसके कारण सड़क खराब हो, आने वाले समय में...।

असंशोधित/मुद्रणार्थ के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नेता जी से निवेदन करूंगा कि एक ही कम्प्यूटर से पूरा प्रदेश का टेण्डर भराता था ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, दूसरा काम में जो डिले होता है, मैं यह कहना चाहूंगा कि फाईलों में ऑनलाईन व्यवस्था हो । जैसे वित्त विभाग का है तो किस विभाग का फाईल है, किस अधिकारी के पास कहां गया, यदि आप इसी को पी.डब्लू.डी. में लागू कर दें, लागू करने के बाद में उसको बराबर निगरानी में रखें, मुझे लगता है कि समय के साथ में हम उसको स्वीकृति दिलाकर उसको काम करके धरातल में पहुंचा सकते हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता जी, आपने कहा कि आप अध्यक्ष थे, बहुत सारे सड़कों को उखड़वा दिये । कहां-कहां क्या उखाड़े हो, यह तो नहीं जानता हूॅ, लेकिन स्काई वॉक सेंटर को क्यों नहीं उखड़वाये ?

श्री धरमलाल कौशिक :- उसको आप उखाड़ना ? आप निर्णय तो ले नहीं पा रहे हो, आप उसका निर्णय लो । आपकी सरकार है । जो मन में आये, जो अच्छा लगे आप करो । आपको करने के लिए कौन रोकता है ? केवल हाऊस के अंदर नहीं, बल्कि सामने जाकर करना चाहिये, जो आपको करना है, जितने लोगों को आपको निपटाते बनता है, आप निपटाओ, आपको पूरा अधिकार है । माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग हमारा गरीबों से जुड़ा हुआ है । उनकी जो योजनायें बनती है, खासकर ऐसे जो मजदूर है, हमारे जो श्रम है, श्रमिक है, ऐसे जो भाई और बहनें हैं, उनके लिए है । ऐसे लोगों का जो कार्ड बनाया जाता है, कार्ड के बाद जो उनको लाभ देने की योजना है, वास्तविक में यहां 15 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिक हैं । लेकिन उन योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिये, बजट में प्रावधान होने के बाद भी जो समान का वितरण होना चाहिये, जो उनका विवाह का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, समय पर जो राशि उनको जानी चाहिये, वह राशि पहुंचाने में कहीं न कहीं देरी होती है । इसके कारण स्वाभाविक रूप से हमारे श्रमिकों को कहीं न कहीं लाभ मिलना चाहिये, जो वंचित है । इसलिए मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है ।

अध्यक्ष महोदय :- कृपया अब समाप्त करें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए उन पर ध्यान दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कह रहा था कि समाप्ति की ओर बढ़िये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- समाप्ति की ओर ही जा रहा हूॅ । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो स्व-सहायता समूह है, खासकर महिला बाल विकास से जुड़े हुये और पंचायत विभाग से है । ऐसे बहुत सारे जो लोन लेकर काम किये हैं, एक बड़ी उम्मीद जगाई गई, स्व-सहायता समूह में काम करने

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वाली जो महिलायें हैं, इन महिलाओं के कर्जमाफी होंगे, आज वह प्रतीक्षा कर रहे हैं । इस बजट के माध्यम से हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कि उनकी कर्ज से मुक्ति हो जाए जिससे उनको आगे आने वाले समय में रोजगार में मदद मिल सके। बहुत सारे लोग जो रेडी टू ईट चला रहे हैं उनमें प्राय: ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन उनको दो-दो, तीन-तीन महीने तक भुगतान नहीं हो रहा है। यदि उनका समय पर भुगतान हो जाए तो निश्चित रूप से उन्हें आगे काम करने में लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि जानबूझकर चुनाव के बाद उनका भुगतान नहीं किए हैं। इसके अंदर और भी कोई बात हो सकती है जिसे आने वाले समय में हम लोग इस बात को देखेंगे। हम लोग बजट तो पास करते हैं लेकिन वह खर्च क्यों नहीं होता? इतना महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन मैं देख रहा था कि इसका 41 प्रतिशत बजट व्यय नहीं हुआ है। एक तरफ हम बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ जिनको आवश्यकता है उन्हें हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ये जो स्थिति बन रही है उसका कारण क्या है? विलंब क्यों हो रहा है, उसका निदान क्या है, उसका निराकरण कैसे होगा, इस पर हमको चिन्ता करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में गर्भवती माता को जीवित संतान होने पर पांच हजार रूपये सहायता दी जाती है। लगभग 40 हजार आवेदक आज भी उस राशि के लिए घूम रहे हैं। राशि की उपलब्धता के बाद भी उस राशि को हितग्राही तक नहीं पहुंचाना तो आखिर किसके लिए हम बजट पारित कर रहे हैं और इसका पैसा हम कहां खर्च करेंगे? आखिर उन्हीं के लिए तो पारित कर रहे हैं न। तो यह राशि वहां तक पहुंचनी चाहिए न। मुख्यमंत्री जी बीमारी में अनुदान देते हैं उसमें डेढ़ लाख रूपये तक सहायता देने का प्रावधान है। मुझे लगता है कि आज के समय में यदि उस राशि को बढ़ायेंगे तो उससे बाकी लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग आज गरीबी और अमीरी के बीच के अंतर में पिसते हैं। न तो वह इतने सक्षम हैं कि स्वयं अपना इलाज करवा सकें और न वह इस मापदंड पर हैं कि वह कहीं जाएं और उनको कहीं से राशि उपलब्ध हो। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस दिशा में हम लोग चाहते हैं उस दिशा में काम हुए हैं उसे कृपया और आगे बढ़ायेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विनियोग विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों की अपेक्षाएं और माननीय सदस्यों की भावनाएं इन सब बातों को लेकर हमने यहां पर बात रखने का प्रयास किया है ताकि सरकार सकारात्मक दिशा में जाकर इस छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए और छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के संरक्षण और उनकी भलाई के लिए आने वाले समय में हम इस दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन जिस प्रकार से सरकार बनने के बाद बजट में भी हम लोगों ने देखा है और उसके बाद भी लगातार जो कार्य हुए हैं इससे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में विकास की उन उँचाईयों को हम लोग प्राप्त कर

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पायेंगे। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इस दिशा में ठोस पहल हो। लेकिन इन सारे अभावों को देखते हुए मुझे इसलिए इस बात को कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे कि हमने अपने जन घोषणा पत्र का 60 प्रतिशत पूरा कर दिया। शिवरतन जी अभी एक-एक बात को बता रहे थे कि उस 60 प्रतिशत में आपने कितने को किया। आपने जब बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की, आप 23 लाख लोगों को मत दीजिए ना। आप 10 लाख लोगों को मत दीजिए ना। लेकिन आपकी नीयत ठीक है यह तो दिखना चाहिए। आप पांच हजार लोगों को दीजिए ना। आप एक लाख लोगों को दीजिए ना। लेकिन आपने यदि उस बात को कहा है तो उसे अमल में तो लाना चाहिए ना। यदि अमल में लायेंगे तो वह दिखाई देगा। ये जो शराबबंदी की बात आई। अब शराबबंदी की बात आई तो ये लोग एक बढ़िया स्कीम निकाल लिये। शराब बंदी की बात को तो छोड़ दिये और मंत्री जी बोल रहे हैं कि देशी का हम ठेका करेंगे और उसमें भी बोल रहे हैं कि हम उसके लिए प्लास्टिक का बॉटल बनायेंगे । ये सारे चीज तैयार हो गये। हाऊस के अंदर बात नहीं आई, हाऊस के बाहर सारे चीज तैयार हो गये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नेता जी, श्री शिवरतन शर्मा जी आपको भटकाने का काम कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको किसने कहा था कि शराबबंदी करो। लेकिन सरकार में आने के लिये आपने शराबबंदी की बात कही है तो आपको करके दिखाना चाहिए। ये लोक लुभावन केवल घोषणा करने के बाद में जिस प्रकार से मुकरने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- पांच मिनट में कुछ असर हो गया क्या ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक की चर्चा में भाग लेने वाले माननीय श्री अजय चंद्राकर जी, माननीय श्री अमरजीत भगत जी, माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, माननीय श्री मोहन मरकाम जी, माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी, माननीय श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी, माननीय श्री शैलेष पाण्डे जी, माननीय श्री देवव्रत सिंह जी, माननीय श्री बृहस्पत सिंह जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक जी ने भाग लिया और बहुत अच्छे सुझाव आये हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बहुत अच्छे सुझाव देते हैं। उन्होंने सड़क की बात कही, ए.डी.बी की लोन की बात भी उन्होंने कही। 15 साल सरकार में रहे, नेता जी पांच साल अध्यक्ष भी रहे। बिलासपुर और रायपुर की दूरी 120 किलोमीटर है। एक साल में 8 किलोमीटर सड़क बनाते न तो अभी तक के बन चुका होता। आप जमीन में सड़क नहीं बना पाये, स्काई वाक का भी हाल बेहाल है, न जमीन के रहे न आसमान के रहे। ऊपर में लटक गये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आप जिसका बात कर रहे हैं न उसका भूमिपूजन 12 जनवरी 2016 को हुई है। ये सरकार की परमिशन के चलते लेट हुई है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी, मुझे स्मरण है इसकी स्वीकृति 2006 में हो चुकी थी। मैं स्वीकृति की बात कर रहा हूं। भारत सरकार ने 2006 में स्वीकृति प्रदान की है। मैं समझता हूं कि श्री धर्मजीत सिंह जी इससे सहमत होंगे। आज बारह साल हो गये, बारह साल में घुरूवा के दिन बहुर जथे महराज।

श्री शिवतरन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, साहब भूमिपूजन 2016 में होय है मोर विधानसभा में .....।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मतलब आप 2006 से 2016 तक के भूमिपूजन भी नहीं कर पाये।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, भूमिपूजन को 10 साल हो गये।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आप दो महीने में हिसाब मांग रहे हैं।

श्री शिवतरन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, उसका पूरा कितना करस्पांडेंस है उसको जोड़वा के देख लेना। यू.पी.ए गवर्नमेंट के चलते रूका हुआ था।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, 2006 से लेकर 2016 तक आप भूमिपूजन नहीं कर पाये और हमको आप साठ दिन का हिसाब मांग रहे हैं। बेरोजगारों के लिये इतना कर देना था, शराबबंदी कर देना था, शिक्षाकर्मी की बात कर लेनी थी। माननीय नेता जी, आपने शिक्षकों की बातें कही। शिक्षकों का कितना सम्मान करते हैं ये प्रदेश ने देखा है। आप गुरूजनों को दौड़ा दौड़ा के पीटे हैं। खूब पिटाई, 38 दिन तक हड़ताल किये, 38 लोगों की मौत हो गई। गुरूजनों का इतना सम्मान ...।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी रात को दो बजे जेल खुलवाये। वहां शिक्षाकर्मियों को जेल के अंदर में धमकी दिये।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इतना सम्मान, इतना सम्मान ये लोग करते हैं कि संविलियन कर दिया। उसका पेमेंट हम लोगों को सप्लीमेंट्री बजट में 1900 करोड़ रूपये करना पड़ा। आप शिक्षकों का इतना सम्मान करते हैं। आप पुलिस के बारे में । पुलिस विभाग के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजधानी में मौत के बारे में हम लोगों को बड़ी चिंता है। आपकी चिंता से हम लोग भी अलग नहीं है। लेकिन आपने जो कार्यशैली डेवलप की है उससे पूरा प्रदेश न केवल चिंतित है, बल्कि परेशान भी है और एक अविश्वास का वातावरण भी है। माननीय नेता जी, इसे ठीक करने में वक्त लगेगा। माननीय अजय जी ने जो बात कही, चारवाक की बात की। अब मुझे संस्कृत वगैरह नहीं आती है। अभी सत्तू भईया नहीं

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है। चिंतामणी महाराज जानकार हैं। मैं तो आप जिन शब्दों का प्रयोग किये, उसको दोहरा नहीं सकता। मैंने आपकी बातों को सुधार किया और सरलीकृत किया है। मैं तो सीधे-सादे में जानता हूँ कि जब तक जीयो, उधार लेकर घी पीयो, आप यही कहना चाहते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा आपने उसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद कर दिया। कथरी ओढ़कर घी पियो। दोनों में कोई समानता है। दूर-दूर दोनों में तक कोई समानता नहीं है। जब तक जीयो उधार लेकर घी पियो, ये चारवाक् की नीति रही है। मैं ये कहना चाहूंगा और ये भी उन्होंने कहा कि अगले साल ऋण नहीं मिल पायेगा। इसमें आशंका व्यक्त की। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी सरकार है जो लोन नहीं लेती ? आप दो महीने पहले तक सरकार में थे आप ऋण नहीं लेते थे क्या? अभी जो आपने ए.डी.बी. की बात की। क्या वह लोन से नहीं मिलता? ये अलग बात है कि आपकी प्राथमिकता क्या थी और हमारी प्राथमिकता क्या है ? आप सड़क, पुल-पुलिया बनाने के लिए पैसा लिये, इसी विधान के आगे आप सड़क में चल दीजिए, कोल्हान नाला में इतना ऊंचा पुल बना दिये। आप 100 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, कभी कोल्हान नाला में उतना पानी नहीं आया। यदि उस पुल के हिसाब से करें तो पता नहीं कितनी बस्तियां डूब जाएंगी तब उस पुल तक पानी पहुँचेगा। आपने पैसे का अपव्यय किया है। आप अपव्यय करने के लिए लोन लिये थे। आप मोबाईल फोन बांटने के लिए लोन लिये थे। (शेम-शेम की आवाज) और वह भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे शिक्षाकर्मी को शिक्षक में संविलियन कर दिये। बजट में पैसा हम डाल रहे हैं। मोबाईल भी दिये तो इतना प्रचारित किये, स्काई योजना, उसमें 844 करोड़ रुपये भुगतान करना है। आपने अपने कार्यकाल में कितना भुगतान किया, केवल 189 करोड़ का भुगतान किया है। बचत पैसा हमारे लिए छोड़ दिये हैं, हमको पटाना है। आप ऐसा काम करते हैं। मतलब आप काम करें, आप उधारी लें और पटाने का काम हमारा है। उधार लेकर घी कौन पी रहा है ? आप ये बताईये ? अउ कथरी ओढ़के घी पियई, ये काम ला डॉक्टर साहब बहुत अच्छा से करे हे, कोनो ला पता नइ चले हे, कथरी ओढ़कर घी पीना मतलब आसपास के आदमी ला पता मत चले, लेकिन कथरी ओढ़कर गुण्डी-गुण्डी पी लिये हैं। कथरी ओढ़कर घी पीना मतलब। कोनो ला पता नइ चलना चाहिए, पड़ोसी ला भी पता नइ चलना चाहिए, ओ हरे कथरी ओढ़कर घी पियई। आपने जो दोनों कहा, उसमें अंतर यही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋण नहीं लेने की बात है तो इस वर्ष भी 10 हजार, 913 करोड़ रुपये का प्रावधान है। आप इतनी आशंका, चिंता मत करिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने आपसे कहा कि प्राथमिकता इनकी क्या थी? और हमारी प्राथमिकता क्या है? इनकी ये विकास की परिभाषा क्या है? और हमारी परिभाषा क्या है? इनके विकास की परिभाषा ये है कि बिल्डिंग बनाओ, कांक्रीट के जंगल बनाओ, आदिवासी को उजाड़ो, ये इनकी योजना है और हमारी योजना है गांव, किसान, मजदूर को आबाद करो, उनके परिवार के, उसके जीवन में सुधार लाओ, उसके जीवन के स्तर में सुधार आये,

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

इसीलिए हमने ऋण माफी किया और 2500 रुपये में धान भी खरीदा। (मेजों की थपथपाहट) आज पूरे छत्तीसगढ़ के किसान जितना खुशहाल हैं, आप जीवन में पीढ़ी-दर-पीढ़ी निकाल कर देख लीजिए, अध्ययन करा लीजिए, उतना खुश कभी नहीं रहे। हमारे सोच ये है। हम ऋण भी लिये हैं तो किसानों, गांव के लिये लिये हैं। आप दर्शन की बात कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका तो गांव छूट गया है। ये लोग बहुत हंसी उड़ाये हैं, बजट में खोज रहे थे, नरूआ, गरूआ, घुरूआ, बाड़ी कहीं भी ये नहीं है। इनको समझ नहीं आयेगा। मैं 5 साल अध्यक्ष रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अभी भी हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज नरूआ, गरूआ, घुरूआ, बाड़ी में बिल्कुल इसलिए नहीं बोला, आपसे आग्रह है कि उसको भी प्रदेश की जनता जान ले, उसमें भी एक चर्चा आपने लंबित रखी है, उसको स्वीकृत कर दीजिए। आपने बहुत पहले आज विधानसभा संपादित कर दी, बजट के मुख्य कार्य को संपादित कर दिया। उस विजन में भी हम मुख्यमंत्री जी को सुन लेंगे, उसमें क्या है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- तुमन पुल ऊंचा बनाये, मोबाईल टॉवर ऊंचा बनाये, कमीशन भी ऊंचा लेय देव ह, इहां तुंहर प्राथमिकता रहिस। हमर प्राथमिकता हे, हमन ऋण ले हन, लेकिन अन्नदाता मन बर ले हन भैया, उहू ला सोच।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर से दोबारा इसीलिए खड़ा होना पड़ रहा है, पूरे भाषण में मैने ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया था, ऐसी भाषा आपके मंत्री को ही मुबारक हो।

श्री बृहस्पत सिंह :- उसको भी संस्कृत में बोल लीजिए न।

श्री शिवरतन शर्मा :- उस भाषा के लिए भी दीर्घा से चिट आई है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नरूआ, गरूआ, घुरूआ, बाड़ी के बारे में बड़े चिन्तित थे और बहुत आलोचना भी हुई और इसको मजाक भी बनाये थे। अध्यक्ष महोदय, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, इसका मजाक नहीं उड़ा सकते। जो ग्रामीण समस्या से जुझ रहे हैं, इसका उपहास नहीं उड़ा सकते। जो गांव से कट गये हैं, वही उपहास कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मुझे दिसंबर 2013 में ही अध्यक्ष बना दिया गया था और तब से लेकर लगातार हम लोग प्रदेश भर में आंदोलन करते रहे। विकास उपाध्याय जी भी यहां बैठे हुए हैं, वह जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। हम लोग बड़े आंदोलन किये, जब हम लोग महतारी न्याय यात्रा करके लौटे तो एक मंत्री जी मुझे यहां पूछे कि भूपेश भाई यह बताओ कि कार्यक्रम तो तुम्हारा बहुत बढ़िया था, सफल भी हुआ, प्रभावशाली रहा, लेकिन इसका पैसा कौन दिया ? मैंने कहा कि किसी ने नहीं दिया। सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुआ, कोई नाश्ता की व्यवस्था कर रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है, कोई झंडा ले आया है, कोई अपनी गाड़ी ले आया है, कोई टेन्ट की व्यवस्था कर दिया और हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। आप इसमें

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

बजट ढूंढ रहे हैं कि कहां है? नरूआ, गरूआ, घुरूआ, बाड़ी में बजट ढूंढ रहे हैं। इसमें बजट ढूंढने की जरूरत नहीं है। अजय जी, सोच बदलो, सितारे बदल जाते हैं। (मेजों की थपथपाहट) आपके पास तो सोच ही नहीं थी, हमारे पास जो पहले से बजट में प्रावधान है, चाहे वह मनरेगा, फारेस्ट, कृषि, पशुपालन विभाग का हो, केवल उसे एक दिशा देने की जरूरत थी और उसी के पैसे से बन जायेगा। इसमें कोई अतिरिक्त बजट की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में ये मील का पत्थर साबित होगा। सवाल इस बात का है कि हम उसे ईमानदारी से बनायें, निर्माण करें और उसका पालन करें । हमें 3 एकड़ का घेरा करके मवेशी के लिये चारा-पानी, उसके बैठने के लिये छाया की व्यवस्था कर दें, प्लेटफॉर्म बना दें, मनरेगा में एक-एक गांव में 1-1 किलोमीटर तक के आप सी.सी. रोड बनाते रहे हैं, आप पंचायत मंत्री थे, सैकड़ों किलोमीटर का आपने सी.सी. रोड बना दिया लेकिन आप मवेशियों के बैठने के लिये प्लेटफॉर्म नहीं बना सके ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपके डिमांड मांग में यह बात कही थी कि पंचायती राज सन् 1993 में लागू हुआ, सन् 2003 तक ग्रामीण विकास के लिये मूलभूत के अतिरिक्त, कोई भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था नहीं थी और जब पहली बार स्टेट बजट से राशि की व्यवस्था हुई तो मुरमीकरण सबसे पहले बंद हुआ और जो गौठान बनने शुरू हुए, आज गांव में प्लेटफॉर्म देखेंगे तो वर्ष 2003 से लेकर 2018 तक की अवधि के ही हैं । अब जब चर्चा होगी तब इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपका विजन क्या है और हम क्या सोचते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- आपको मौका मिला था, आप उसी विभाग में 10 साल रहे। आप नहीं कर पाये, मैं आपकी कोई आलोचना नहीं करूंगा लेकिन चूंकि आप गांव से आते हैं तो इस बात को समझ लीजिये कि हमारे जो परंपरागत तालाब थे, उसके जो जल स्रोत थे उसको आपने बिना वैज्ञानिक सोच के अवरूद्ध किया । आज तालाब सूख रहे हैं, रायपुर में कोई तालाब नहीं सूखता था, आज सारे तालाब सूख रहे हैं क्योंकि आप कांक्रीटीकरण कर रहे हैं । जल का जो आने वाला स्रोत था उसको आपने बंद करा दिया इसी प्रकार से आपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया । मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं कि वहां महिलाओं के लिये अलग से स्नानाघर बने, वहां सीढ़ियां बनें इसका कोई विरोध नहीं लेकिन आप यह देख तो लीजिये कि उस तालाब में पानी किधर से आता है ? अगर आप उधर ही कांक्रीट की दीवार खड़ी कर देंगे तो तालाब तो सूख ही जायेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री भूपेश बघेल :- देखिये, आपके नेता तो किसी को एक मिनट बोलने का मौका नहीं देते थे, मैंने तो आपको ऐसे ही 4 बार मौका दे दिया ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- चलिये ।

श्री भूपेश बघेल :- अभी भी इतने अहंकार में डूबे हुए हैं । हमने कल भी देखा । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अवैज्ञानिक सोच है इसके कारण से यह स्थिति बनी । छत्तीसगढ़ 15 साल पिछड़ा है । जो पैसा है उसका सही उपयोग करते तो आज यह स्थिति नहीं बनती, किसान आत्महत्या नहीं करते । आपकी सरकार में प्रतिदिन 4 किसान आत्महत्या करते रहे । माननीय अजय जी ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि मुख्यमंत्री ने अभी तक अपने आपको सेवक नहीं कहा, जनप्रतिनिधि कहा । चूंकि जनता ने चुना है तो जनप्रतिनिधि तो हैं । जनता की सेवा करने के लिये, उनके विकास के लिये, उसको आगे बढ़ाने के लिये जितना काम कर रहे हैं तो सेवक भी कह लीजिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सेवक कह लीजिये, मुझे जनप्रतिनिधि कह लीजिये लेकिन चौकीदार भर मत कहियेगा । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि चिटफंड कंपनी के पैसे की वापसी की बात कही गयी । आप 15 सालों तक उद्घाटन करते रहे, कार्यालय का उद्घाटन करते रहे, उनको प्रमाण-पत्र देते रहे । रोजगार मेला लगाकर हमारे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को चूंकि आप कलेक्टरों के द्वारा मेला लगाये । मेरे पास जानकारी है कि अभी हमारे नेता जी ने स्वयं उस प्रमाण-पत्र को जांजगीर जिले में बांटा है और उन्हीं बच्चों को आपने जेल में डाल दिया, जिनको आपने विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से प्रमाण-पत्र बांटा है और उन बच्चों को कहते हैं कि आपने गलत किया, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. करके उनको जेल में डाल रहे हैं । उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं । रोजगार मेला में तो आप गये थे, आपके बगल वाले श्री चंदेल जी भी गये थे । इन लोगों ने प्रमाण-पत्र बांटे हैं, पैसा लूटकर वे लोग ले जायें और हमारे बच्चे जेल जायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसीलिये उन बच्चों के खिलाफ जितने एफ.आई.आर. हुए हैं उनके सारे केस वापिस लेने का निर्णय लिया है । (मेजों की थपथपाहट) मुख्यमंत्री पर यदि जनता विश्वास नहीं करेगी तो फिर किस पर करेगी ? आम जनता की बात तो छोड़ दीजिए, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जो रिटायर हुए, उन्होंने भी अपना पैसा चिटफंड कंपनियों में डाला । क्योंकि प्रदेश के मुखिया ही उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो कैसे विश्वास नहीं करेगा ? हमारा सैकड़ों करोड़ रूपया डूब गया । हमने वापस करने का फैसला किया है और 1 मार्च से ऑनलाईन शुरू हो जाएगा । पीएसीएल की शुरूआत हमने कर दी । हम दूसरे का भी करेंगे । आप तो विधान सभा में जवाब देते रहे, कुछ दिन गृहमंत्री के चार्ज में भी रहे। मैं तो मंत्रालय में ढूंढ डाला, एक फाइल तो मिल जाए चिटफंड कंपनी की । लेकिन मंत्रालय में चिटफंड कंपनी की एक भी फाइल नहीं है । आपने छत्तीसगढ़ के बच्चों के खिलाफ थानों में एफआईआर कराकर जेलों में ठूंसने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, हम पैसे वापसी कराएंगे । उसकी शुरूआत 1 मार्च से हो रही है । दूसरी कंपनियों का भी, सारे दस्तावेज लेंगे कि किसका कितना

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

पैसा लगा है, कौन कौन है, उनकी सम्पत्ति कहां हैं । ये लोग तभी अभी तक यही पता नहीं लगा पाए । कितनी बार यहां स्थगन आया, ध्यानाकर्षण आया उसके बाद भी आप यह व्यवस्था नहीं कर पाए । अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्सिंग के बारे में । आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपने आरक्षण प्रणाली का सत्यानाश कर दिया । बस्तर में आप भर रहे हैं, आपकी नीति क्या है कि आरक्षण खत्म करो । सारे बाहर के लोगों को आपने भरकर, बस्तर और सरगुजा के आदिवासियों का हक मारा है । आउसोर्सिंग का विरोध इसलिए है । जब वे बच्चे छत्तीसगढ़ के ही हैं तो सीधी भर्ती क्यों नहीं, बीच में दलाल क्यों है ? यदि आपके खजाने से 18 हजार रूपया निकल रहा है तो उन बच्चों को 10 हजार क्यों मिलता है ?

श्री मोहन मरकाम :- 14 हजार ।

श्री बृहस्पत सिंह :- 10-12 हजार कमीशन का सवाल रहता है ।

श्री भूपेश बघेल :- सब जगह कमीशनखोर, सब जगह एजेंट, सब जगह प्लेसमेंट । खजाने से पैसा निकलते तो उन्हें पैसा मिलना चाहिए जो मेहनत कर रहे हैं । नीति हमारी यह होनी चाहिए । आप जो दर्शन की बात कर रहे हैं, दर्शन यह है। आपका जो पैसा निकले वह उस हितग्राही के पास पहुंचे, जो मेहनत कर रहा है उसके पास पहुंचे, यह हमारी नीति है, हमने इसीलिए आउटसोर्सिंग का विरोध किया । अध्यक्ष महोदय, वनाधिकार पट्टे का मामला भी उठाया गया । माननीय धर्मजीत जी ने भी वन अधिकार पट्टे का मामला उठाया । यह बहुत ही संवेदनशील मामला है । हम लोगों ने वनाधिकार पट्टे के मामले में लड़ाईयां भी लड़ी हैं, प्रत्येक जिले में जाकर आमसभा भी की और एसडीएम कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा, कलेक्टर कार्यालय में जाकर ज्ञापन भी सौंपा कि हमारे यहां 8 लाख, 55 हजार दावे किये गये थे । अध्यक्ष महोदय, ये तो व्यक्तिगत दावे हैं । वे दावे जो सामुदायिक हैं जिनका फायदा गांव भर के लोग उठाएंगे, वे दावे तो आपके पास हैं ही नहीं । आपने सामुदायिक दावों में केवल आंगनबाड़ी, स्कूल, मरघट को ही सामुदायिक दावा माना । मैं यह नहीं कहता कि आप उसको नहीं समझते, मैं यह भी नहीं कह सकता कि आप नासमझ हैं । आप समझना ही नहीं चाह रहे थे । जिस जंगल में रहने वाले लोगों का पूरा जीवन व्यतीत होता है, उस पर आधारित होता है, वह जंगल की रखवाली करते हैं, जंगल उनके परिवार को पालता है, समझना हीं नहीं चाहते थे, इस कारण सामुदायिक दावे का एक भी प्रकरण का निराकरण आपने नहीं किया । अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत दावे भी 8 लाख, 55 हजार में से आपने 4 लाख 51 हजार दावे को अमान्य कर दिया । जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार ने ठीक से पैरवी तक नहीं की । इन्होंने उच्चतम् न्यायालय में अपनी बात भी नहीं रखी । आज उच्चतम् न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उसका कारण यही है लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से प्रदेश के जंगल में रहने वाले आदिवासी हों या परम्परागत वनवासी भाई हों, उनको मैं आश्वास्त करना चाहूंगा कि आपके अधिकारों का हनन् नहीं होगा,

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किसी कीमत पर नहीं होगा (मेजो की थपथपाहट) जो उनका वाजिब अधिकार है, उसे दिलाकर रहेंगे और इसके लिए सरकार बनते ही हम लोगों ने निर्देश दिया कि 4 लाख 51 हजार जो दावें हैं, उनका पुन: परीक्षण किया जायेगा और पुन: परीक्षण करना भी शुरू कर दिये। हम लोग अभी सीतापुर गये थे। बाबा साहब भी थे। अमरजीत भाई का क्षेत्र है। मैनपाट में एक हजार लोगों को हमने पट्टा बांटा, जिसमें से छ: सौ, साढ़े छ: सौ आपके आदिवासी हैं उनको साढ़े तीन सौ जो परंपरागत वनवासी हैं हमने उनको दिया। बस्तर में अभी माननीय राहुल जी आये थे, उनके हाथों हम लोगों ने भी वहां वितरण किया। हम लोग उसको दे रहे हैं। हमने क्लोज नहीं किया। ये तो आपकी सरकार थी, जो 3 साल पहले ही आपने प्रत्येक पंचायत में आदेश दे दिया था कि जितने भी वनाधिकार पट्टे के मामले हैं, वे सारे निराकृत हो गये हैं, इस प्रकार से ग्राम सभा में पारित करिए। ये हम लोगों ने उस समय विरोध किया था। यदि ऐसा है तो प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जाकर इसका विरोध करेगा और उस दबाव के चलते आपने उस आदेश को वापस लिया था। तो आपकी नीयत ही नहीं है कि आप आदिवासियों की मदद करें। ये हम लड़ रहे हैं। हमारी सरकार लड़ रही है और उसे उस हक को दिलायेंगे और देना शुरू कर दिया है और पूरा करेंगे। झीरमघाटी के मामले में भी, ये आउटसोर्सिंग में एक और भी है, जिसको कितना बंद किये, यह आप पूछे थे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री फेलोशिप है न उसी को हमने बंद कर दिया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकार :- वह आउटसोर्सिंग नहीं थी।

श्री भूपेश बघेल :- और नहीं तो क्या था? कलेक्टर के ऊपर बैठाकर रखे थे। आपको तो आई.ए.एस. अधिकारियों पर विश्वास ही नहीं है (हंसी) दो-दो झनें उसके सिर पर बैठाकर रखा था।

श्री अजय चन्द्राकार :- आप जब अनुदान मांग के समय नहीं थे तब मैंने उस समय विस्तार से बोला कि वह आउटसोर्सिंग नहीं थी और आपने आउटसोर्सिंग में सही मायने में बात नहीं की है।

श्री शिवरतन शर्मा :- कल ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक प्रश्न में जवाब में दिया है कि टेक्नीशियन नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। इसके लिए आउटसोर्सिंग करोगे कि नहीं करोगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उधर से लाये थे। कलेक्टर लोगों को सिर में बैठा दिये थे, वह अच्छा था।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब आपको समझ में नहीं आयेगा। दूसरों को समझ आ जायेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री अमरजीत भगत :- कलेक्टर लोग तो उस पद में अपनी पत्नी लोगों को बैठा दिये थे। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी एक मिनट रूक जायें।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विनियोग विधेयक के पारण हेतु समय वृद्धि की घोषणा

विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 158 (2) के तहत् विनियोग विधेयक के पारण का समय 5.00 बजे निर्धारित है। चूंकि विनियोग विधेयक पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर अभी शेष है, इसलिए मैं सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 158 (2) को शिथिल कर विनियोग विधेयक के पारण के समय में वृद्धि करता हूं। मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार ग्रहण करें।

(2) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5, सन् 2019) (क्रमश:)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग के मामले में आपने चर्चा की। टाटा की जमीन वापस कर दिये तो उसकी जगह कोई उद्योग लगाते। मैं देख रहा था और हम लोग कई बार जब माननीय चौबे जी नेता प्रतिपक्ष थे। टी.एस. सिंहदेव जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो बार-बार इस बात का उल्लेख करते थे। भैया, आप एम.ओ.यू. किये हैं लेकिन उसको धरातल में तो लाइए। ये इतने एम.ओ.यू. किये, इतने एम.ओ.यू. किये, इतने बड़े-बड़े यहां शो किये। करोड़ों रूपया उसमें फूंकें लेकिन एक भी उद्योग नहीं आया। यह सरकार पिछली सरकार थी तो एम.ओ.यू. करने की सरकार थी। यहां करते थे। दिल्ली में जाकर करते थे। बांबे में करते थे। विदेश में जाकर करते थे और अकबर जी का प्रश्न ही था।

श्री कुलदीप जुनेजा :- मेरे विधान सभा में एक सूट टाई पहनकर चला गया। 15 हजार करोड़ का एम.ओ.यू. करके आया था बताया। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जितने एम.ओ.यू. हैं और जिनके साथ एम.ओ.यू. हुए हैं, उनके साथ जरूर बैठक करूंगा और यह जानने का प्रयास करूंगा कि भैया आपने एम.ओ.यू. किया था कि नहीं किया था और किये थे तो फिर आपने लगाया क्यों नहीं और नहीं लगाया तो उसका कारण क्या है, आप किसके लिए एम0ओ0यू0 किए थे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- उसका रेट बहुत ज्यादा था।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, M.O.U. मतलब money order for you. (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- क्यों सत्तू भैय्या, ये you शब्द इधर के लिए है न।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप लोगों ने जो M.O.U. किया था, वह सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ ? पूरा क्यों नहीं हुआ ? इसलिए कि M.O.U.....।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बोल रहे हैं कि उसमें नये सिरे से बात होगी। आप भी चल देना। नये सिरे से बात में इधर कुछ आ जायेगा, ऐसा-ऐसा ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हम लोग नहीं करेंगे, गलत M.O.U. तो करेंगे ही नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :-...(अस्पष्ट) क्यों हो रही है ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- वह memorandem of understanding. है। दोनों में अंतर है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, आप चल देना, ऐसा-ऐसा वहीं हिलाना, साहब मैं ब्राम्हण हूं, ऐसा-ऐसा करके।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- वह memorandem of understanding है भाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- छोड़ो महाराज।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग लगाने की बात है। औद्योगिकीकरण की शुरूआत हम लोगों ने की है। नेहरू जी ने उसको आधुनिक तीर्थ का नाम दिया। भिलाई स्टील प्लाण्ट बनाया, बाल्को बना। हम लोगों ने सार्वजनिक उपक्रम लाने का काम किया है। बेचने का काम तो इन लोगों ने किया है। कोरबा तो बेच ही दिए, बाल्को को बेच ही दिए। भिलाई स्टील प्लाण्ट में कितने आक्सीजन प्लाण्ट, सिन्टर प्लाण्ट, सारे निकलते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नगरनार की स्थिति बताता हूँ। वह 60 प्रतिशत बना था, उसको भी प्रायवेटाइजेशन करने की चाल चल रही थी। हम लोग अपने नेता जी को ले जाकर आंदोलन किए तब जाकर रूका। अभी मैं जगदलपुर गया तब भी उसको निजी हाथों में देने चर्चा थी, चर्चा हो रही है। जो बना नहीं है, उसको भी देने का काम कर रहे हैं और आप औद्योगिकीकरण की बात करते हैं। जहां हमने किसानों को टाटा की जमीन वापिस की, उसी जगह पर फूड पार्क के लिए हमने भूमि पूजन किया है। हमने कोण्डागांव में मक्का प्रोससिंग प्लाण्ट के लिए भूमि पूजन किया है। जितने भी उद्योगपति मित्र है, जब उनके साथ बैठक हुई तब भी हमने कहा कि आप आईये, 2019 का उद्योग नीति बनाईये। देश भर में जो अच्छी-अच्छी नीति है, उसको बताईये, हम लोग उसको लागू करेंगे। लेकिन हम आदिवासियों को उजड़ने नहीं देंगे। हमारी उद्योग नीति इस प्रकार से होगी जो एग्रो बेस हो, जिससे किसानों को भी लाभ मिले, उद्योग भी लगे और हमारे बच्चों को रोजगार भी मिले। यह हमारी उद्योग नीति होगी। (मेजों की थपथपाहट) चाहे टमाटर से संबंधित हो, चाहे फल से संबंधित हो, चाहे लघुवनोपज से संबंधित हो, चाहे मक्का से संबंधित हो, चाहे धान से संबंधित हो, चाहे गन्ना से संबंधित हो, ऐसा लगे। इसीलिए हम लोग एक तरफ उद्योगपतियों को इस दिशा में काम करने

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हाल्टीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलेंगे(मेजों की थपथपाहट) और पूरे प्रदेश भर में हर जगह कालेज खोलेंगे ताकि हाल्टीकल्चर की दिशा में काम हो सके। अध्यक्ष महोदय, उसको बढ़ावा मिले। हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों का उपयोग हो। जो नैसर्गिक संसाधन है, उसको खोदते जाओ, जलाओ और राखड़ के रूप में तब्दील कर दो, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा जंगल भी रहे, जंगल के हमारे वनवासी भी रहें और खेती भी रहे और खेत से जुड़े उद्योग भी लगे और रोजगार भी मिले। यह हमारी नीति रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्यों ने बहुत गंभीरता से झीरमघाटी के मुद्दे को फिर से उठाया। यह चिंता जाहिर की कि एन0आई0ए0 ने जांच कर लिया, आयोग में भी जांच चल रहा है। आप बात सही कर रहे हैं। माननीय धर्मजीत जी ने मामला उठाया, अजय जी ने भी बात कही। अन्य साथियों ने भी इस बात को कहा है। अध्यक्ष महोदय, यह केवल भावनात्मक बात नहीं है। शिवरतन जी, राजनीति से देखने की बिलकुल कोशिश मत कीजिये। यह न्याय की बात है। एन0आई0ए0 राज्य सरकार की सहमति से ही भारत सरकार ने उसकी जांच की घोषणा की। यह राज्य सरकार का केस है।

समय :
5:00 बजे

यदि पुलिस की कोई भी घटना घटती है तो यह भारत सरकार का नहीं, ये राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार ने ही एनआईए की जांच करने की बात कही और केन्द्र सरकार ने उसको स्वीकार किया । मैं उसमें बहुत लंबा-चौड़ा बात नहीं करूंगा कि किसके शासनकाल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन नोडल अधिकारी था, उसने क्या किया ? वह सब बात में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एनआईए ने कोर्ट में फाईनल रिपोर्ट सब्मिट कर दी है । अब उसके बाद भी दूसरी बात ये है कि जो आयोग है, षड़यंत्र की जांच करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वह एजेंसी नहीं है । उसके जो जांच के बिन्दु दिए गए हैं, वह दूसरे हैं । कितने फोर्स लगे थे, कितने डिप्लाई हुए, कौन-कौन थे, क्या जवाब दिया, किसने क्या आदेश दिया ? वह सारी बातें हैं, वह पांच बिन्दु अलग-अलग हैं, लेकिन षड़यंत्र का कहीं उल्लेख नहीं है । एनआईए ने पहले जो एफआईआर दर्ज किया, उसमें गणपति का नाम था और दूसरे और जो नक्सली नेता हैं, उसका नाम था, लेकिन दूसरी बार दोनों नेता का नाम ही हटा दिए । क्यों पूछताछ नहीं हुई ? धर्मजीत जी, एनआईए कोर्ट ने आदेश किया कि जो गुड़सा उसेंडी हैदराबाद में सरेंडर किया है, उसको आप पूछताछ के लिए लाईए, उनकी गवाही लीजिए क्योंकि बयान तो उन्होंने दिया था, जिम्मेदारी तो उन्होंने ली थी तो एनआईए ने आजतक क्यों नहीं पूछा ? इसलिए जांच आवश्यक है और इसलिए हमने एसआईटी का गठन किया है । इसमें कहीं कोई भी जांच में कोई टकराहट नहीं होना है । एनआईए की जांच अलग थी, उन्होंने सबमिट कर दिया, करना तो उनको था ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उन्होंने कहीं षडयंत्र का जिक्र भी नहीं किया, उस दिशा में गए ही नहीं, वे तो गवाह से तक पूछताछ नहीं किये । दूसरी बात छोड़ दीजिए, उन्होंने खुद कहा कि हम जितने गवाह की लिस्टिंग किये हैं, उसमें से आधे से कम गवाही ले पाये हैं, वे खुद स्वीकार कर रहे हैं । जब एनआईए खुद स्वीकार कर रही है तो जांच होना जरूरी है तो जांच कौन करेगा। जब केन्द्र की एजेंसी नहीं कर रही है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वह एजेंसी फिर जांच करेगी, फिर रूकावट क्यों ? आप अपने नेता से कहिए, केन्द्र में आपकी सरकार है, गृहमंत्री से कहिए कि एनआईए की जांच को राज्य सरकार ने वापस लेने की मांग की है, वह वापस करा दे, बात इतनी सी है । क्या गृहमंत्री से आपकी बात नहीं होती? वे तो पहले बहुत आते थे, अब हमारी सरकार बनने के बाद आजतक आना नहीं हुआ है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज भी आये हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- आज आये हैं । आप मांग कर लीजिए, पार्टी के काम से आये होंगे, हमको तो सूचना नहीं दिये हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सहमत हूं, मैं कोई एनआईए की पैरवी नहीं कर रहा हूं और न ज्यूडिसरी का विरोध कर रहा हूं और न एसआईटी का विरोध कर रहा हूं । मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तीनों संस्थाओं की रिपोर्ट में कहीं कोई विभिन्नता मत आये । आप एसआईटी की जांच जैसा चाहें, जिससे चाहें, जब चाहें, जिस स्तर तक चाहें, बिल्कुल कराईए। मैं तो अपने बात की शुरूआत इसी से की थी, पर मैंने एक शंका जाहिर की थी कि कुछ लोग जिंदा थे, उनको पूछना पड़ेगा तो कैसा होगा, मंत्री से कैसे पूछेंगे । गवाही तो उससे भी लेना पड़ेगा, आई.जी. मंत्री से गवाही कैसे लेगा और एसआईटी की जांच में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि जो हत्यारा हो, जो षडयंत्रकारी हो, वह छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, पूरे देश की जनता को मालूम होना चाहिए और उसमें कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत जी, जो एनआईए की खुद की जो फाईडिंग है, उसमें 50 से अधिक जगह षड़यंत्र का उल्लेख है । जब खुद ही कह रहे हैं कि षड़यंत्र है और 50 बार कह रहे हैं तो उस दिशा में जांच क्यों नहीं हो रही है, गवाही है, उससे पूछे भी नहीं तो आखिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस तथ्य तय जायें इसलिए हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति है । छत्तीसगढ़ की वर्ष 2018-2019 में 3 लाख 11 हजार 659 करोड़ रूपया अनुमानित है । गत वर्ष की तुलना में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि है । वर्ष 2018-2019 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि 3.99 प्रतिशत अनुमानित है । अध्यक्ष महोदय, जो हमारी प्राप्तियां हैं, राज्य का स्वयं का कुल

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

राजस्व 31,755 करोड़ है, कुल राजस्व प्राप्तियों का 40 प्रतिशत है । केन्द्र से प्राप्तियां 47,991 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियों का 60 प्रतिशत है । पूंजीगत व्यय है, 11,796 करोड, इसी प्रकार कुल प्राप्तियां 91,542 करोड़ है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-2020 में कुल व्यय
90,910 करोड़, राजस्व व्यय 78,595 करोड़, पूंजीगत व्यय 12,110 करोड़, ऋण एवं अग्रिम 205 करोड़, वर्ष 2019-2020 के लिए राजस्व आधिक्य 1151 करोड़, वित्तीय घाटा 10,880 करोड़, जो कि निर्धारित सीमा, जिसके बारे में माननीय नेता जी चिन्ता कर रहे थे, जी.एस.डी.पी. का 3 प्रतिशत के भीतर कुल विनियोग की राशि 95,899 करोड़, जिसमें पुन:प्राप्तियां एवं ऋण अदायगी की राशि 4,989 करोड़ शामिल है । अध्यक्ष महोदय, ऋण की स्थिति 31 मार्च 2018 की स्थिति में, राज्य शासन का लोक ऋण भार 39,030 करोड़ । अन्य दायित्व 13,877 करोड़, जिसमें भविष्य निधि, आरक्षित निधि तथा जमा एवं अग्रिम, इस प्रकार राज्य शासन का कुल दायित्व 52,907 करोड़, आर.बी.आई. की रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ ऋण भार तथा ऋण ब्याज भुगतान की दृष्टि से देश में सबसे बेहतर स्थिति वाला राज्य है । छत्तीसगढ़ का ऋण भार जी.एस.डी.पी. का 17.4 प्रतिशत जो सभी राज्यों के औसत से 23.2 प्रतिशत से बहुत कम है । छत्तीसगढ़ द्वारा ऋणों के ब्याज भुगतान पर जीएसडीपी का 1.1 प्रतिशत भाग व्यय, जबकि सभी राज्यों का औसत 1.7 प्रतिशत है । अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हमने वित्तीय अनुशासन बनाकर रखा है । जितनी भी योजनायें हैं, उसके बारे में विभिन्न विभागों के द्वारा चर्चा हो चुकी है । चाहे वह कृषि ऋण का हो, चाहे समर्थन मूल्य का हो, चाहे हमारे विधायकों के 2 करोड़ रूपये हो, हम लोग 15 साल मांगते रहे, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, आपने दिया नहीं, लेकिन हमने 1 करोड़ से 2 करोड़ किया है । (मेजों की थपथपाहट) आपके और जो सुझाव आ रहे हैं, उसको भी आगे हम लोग विचार करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुछ घोषणा करिये, बिना घोषणा के विनियोग कैसा ? मुख्यमंत्री का भाषण ऐसे सूखा-सूखा थोड़ी होता है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने अधिकारियों को बोलेंगे, आपसे मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था, आप अपने अधिकारियों को यह जरूर बोलिये कि सदन के हम लोग भी अंग है । यह जरूर है, हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन हमारे मान-सम्मान की रक्षा करने और आपके सरकारी कार्यक्रमों के आयोजनों में सम्मान सहित बुलाने का भी निर्देश दीजिए । कहीं ऐसा न हो कि छाया विधायक टाईप काम हो जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको दो बातें कही थी...।

श्री बृहस्पत सिंह :-चन्द्राकर जी, एक बात और बोले कि सूखा-सूखा ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- सुन तो यार । काम के बात ला एक कनि सुन । मंत्री बन जबे भई तैंहा । वहु लाईन में, तहुं लाईन में हस, वहु हे, यहु हे, माननीय मुख्यमंत्री जी, दो बातें हैं, एक दिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे, आपकी ओर देखते हुये, बोलते-बोलते रूक गये कि साहबहम जनसंपर्क निधि बढ़ायेंगे। दूसरी बात आपके ए.सी.एस. रूरल डेवलपमेंट भी दीर्घा में है, ग्रामीण विकास मंत्री जी भी हैं, जो ग्रामीण के विधायक हैं, उनको अपनी 50 लाख रूपये की राशि कन्वर्जेंस में खर्च करने के लिए नियम बनाये जाये । बहुत सारी परिसंपत्तियां उसमें बन सकती है, गांवों में, यदि उसमें हम 60:40 में उपयोग करने के लिए पैसे दें तो । यह मैंने आपको दो सुझाव दिये थे । विनियोग के भाषण में यदि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते हैं तो वह चीजें कहानी हो जाती है । वैसा भाषण रोज सुनते हैं । इसलिए दोनों घोषणायें स्पष्ट रूप से आनी चाहिये । ऐसा आग्रह है ।

श्री भूपेश बघेल :- अब तो पानी न चढ़ाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो बात कही है, वैसे कलेक्टरों की जो वीडियो कांफ्रेंस हुई उसमें हम लोगों ने कह ही दिया था, आज मैं इसको फिर से यहां दोहरा देता हूं कि जनप्रतिनिधि चाहे वह किसी भी दल से जीतकर आयें उनके मान-सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। प्रोटोकाल के हिसाब से उनका मान-सम्मान रहे और ये तो प्रजातंत्र है। सत्तापक्ष में कभी कोई रहता है तो कभी कोई रहता है लेकिन जनता से चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रोटोकाल में जो सम्मान मिलना चाहिए वह मिलेगा, ये मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) दूसरा माननीय अजय जी ने जो कहा है, चूंकि सुझाव आज ही आपने तत्काल दिया है इसका मैं परीक्षण करा लेता हूं। अगले सत्र में बैठेंगे फिर चर्चा कर लेंगे लेकिन जो जनसंपर्क निधि है इसमें भी वृद्धि की लोगों ने मांग की थी। यह 3 लाख है तो इसे 5 लाख रूपये कर दें?

(माननीय सदस्यों की ओर से 10 लाख करने की मांग की गई।)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 10 लाख रूपये कर दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- वैसे तो सब हाथ ही उठा रहे थे, चन्द्रा जी खड़े ही हो गये।(हंसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने कुछ किया नहीं। आप उदार बनकर कर दीजिए।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- भैय्या जी, भगवान जी ने दस ही उंगली दिया है नहीं तो और ज्यादा मांग करते।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे इधर जाएं या उधर जाएं, विधायक, विधायक होता है वह सबको कहे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप लोगों ने कुछ किया हो तो।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं किया ना, तो मौका आपके हाथ में दिया। हो गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने नहीं किया- नहीं किया कर रहे हैं। आपको भी ऐसा ही करना है क्या? थोड़ा कुछ बदलकर करिये ना। ऐसे ही करोगे तो अगली बार इधर आ जाओगे। दस लाख ठीक है, 09 करोड़ रूपये तो लगना है। कोई ज्यादा नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- जो सदन की इच्छा है कि जनसंपर्क निधि बढ़ाई जाए तो 10 लाख रूपये की जाती है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दीपक बैज :- अरे, अब तो उधर साहब धन्यवाद दे दो।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ ही बहुत अच्छे वातावरण में मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिए साहब, आपका पहला बजट पारित हुआ उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, सारे मंत्रिगणों को बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) पारित किया जाए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 05 बजकर 15 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 9, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई।)

रायपुर (छत्तीसगढ)
दिनांक : 27 फरवरी, 2019

चन्द्र शेखर गंगराडे
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं